मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)

(सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता सहित)

Bachelor of Social Work (Second Year)

(With Specialization in Community Leadership)

मॉड्यूल–11

महिला विकास एवं सशक्तीकरण

(Women Development and Empowerment)

प्रायोजक

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद

संचालन

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय

चित्रकूट, सतना (म.प्र.) - 485334

स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self -Instructional Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल–11
महिला विकास एवं सशक्तिकरण
Women Development and Empowerment

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)
(सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता)

Bachelor of Social Work (Second Year)
(Specialization in Community Leadership)

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला–सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

अवधारणा एवं रूपरेखा : **संस्करण 2017**

बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

अशोक शाह, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा एवं मार्गदर्शन :

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्श :

डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति

जयश्री कियावत, आयुक्त, महिला सशक्तिकरण

श्री उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद

लेखक मण्डल :

गुल सारिका ठाकुर

रचना बुधौलिया

रंजना चितले

आरती पाण्डेय

डॉ. नीलम चौरे

सम्पादक मण्डल :

डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास

डॉ. अमरजीत सिंह

डॉ. सूर्यप्रकाश शुक्ल

रेखांकन :

कु. प्रतिभा देवी, श्री सोवन बनर्जी

मुद्रक एवं प्रकाशक :

कुलसचिव (ग्रामोदय प्रकाशन की ओर से),

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला–सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष– 07670–265411

सम्पर्क :

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

ई–मेल– cmcldpcourse@gmail.com, मोबाइल– 9424356841

श्री आर. के. मिश्रा, राज्य सलाहकार (यूनिसेफ) सी.एम.सी.एल.डी.पी.

ई–मेल– rkmishraguna@gmail.com, मोबाइल– 9425171972

आभारः– इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। पाठ्यक्रम के परामर्शदाताओं का अनुभव और सुझाव भी इसमें शामिल है। सभी के प्रति आभार।

माड्यूल—11 : महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)

प्रस्तावना

किसी भी ग्राम अथवा नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग हैं। विकास की समस्याओं का हल समाज द्वारा ही संभव हैं। ग्राम अथवा नगर का विकास तब तक संभव नही हो पायेगा जब तक कि उसमें स्थानीय जन भागीदारी सुनिश्चित न हो। स्थानीय स्तर की समस्याओं व उनके समाधान की बेहतर जानकारी उन्हीं के पास है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी आंकलन वहां के लोग ही कर सकते हैं।

प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वैच्छिकता के भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिये कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे लोगों को जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से समाज की सहभागिता से समाज के विकास के लिये कार्य कर सकेंगे। ऐसे ही स्वप्रेरणा से प्रयासरत लोगों को शिक्षित कर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में सर्टिफिकेट, दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा तथा तीन साल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में डिग्री दी जायेगी। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओत–प्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हों, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस–पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें।

यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हो और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया था।

पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर आपने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से एक पड़ाव पार कर लिया है। इसी दिशा में सतत् प्रयत्नशील रहकर आपको लोगों की सहभागिता से अपने गाँव/क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलना है। सैद्धांतिक विषयों की कड़ी में यह द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का चौथा प्रश्नपत्र (मॉड्यूल–11) है। शीर्षक है– **महिला सशक्तिकरण।** विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि आधी आबादी का योगदान सुनिश्चित किया जाये। प्रस्तुत मॉड्यूल विकास के सन्दर्भ में महिलाओं की भूमिका को पुनः परिभाषित करने का एक विनम्र प्रयास है। इस मॉड्यूल में वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की संघर्ष यात्रा की प्रस्तुति है। मॉड्यूल में महिला को शोषण से बचाने वाले विविध प्रावधानों का उल्लेख है तो शासन की कल्याणकारी योजनाओं का परिचय भी दिया गया है। इस पाठ्य सामग्री से आप विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महिलाओं के योगदान को समझ सकेंगे और उसे सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयत्नशील भी हो सकेंगे।

विश्वास है कि यह जानकारी और प्रशिक्षण आपके लिए उपयोगी और प्रभावी सिद्ध होगा। चलिए! शुभकामनाओं के साथ पठन–पाठन की इस रचनात्मक प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।

■■■

11.0 : महिला सशक्तिकरण : एक संवाद (Women Empowerment : A Dialogue)

प्रेरणा गीत गा रही है –

कोमल है, कमज़ोर नहीं तू।
शक्ति का नाम ही नारी है।।

जग को जीवन देने वाली।
मौत भी तुझसे हारी है।।



चित्रः 11.0.1 प्रेरणा–भारती

भारती : कितना प्रेरणास्पद गीत है दीदी! पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती **''जब शक्ति का नाम ही नारी है''** तो सशक्तिकरण का पाठ क्यों पढ़ा रही है। वह तो खुद ही सशक्त है। सबल है।

प्रेरणा : बिल्कुल सही। इतिहास के आइने में देखें तो प्रारंभिक काल में स्त्री–पुरूष को समान अधिकार थे। साझा दायित्व थे। 'सामुदायिक संगठन और लामबंदी' के मॉड्यूल में तुमने मानव के विकास क्रम के अंश में इस सत्य और तथ्य को विस्तार से जान ही लिया है।

भारती : वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि बराबरी और समता के इस समाज से आगे बढ़ते हुए समाज में विकृतियाँ क्यों आ गयीं।

प्रेरणा : बस यूँ समझ लो कि **'लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पायी।'**

भारती : पहेलियाँ मत बुझाओ दीदी। विस्तार से पूरी बात बताओ।

प्रेरणा : आदिम युगीन मानव समाज स्त्री–पुरूष के भेदभाव से रहित था। सब साथ मिलकर शिकार करते, खाते और रहते थे। शिकार के लिए गुफाओं से बाहर जाने की आवश्यकता होती थी। बच्चों को जन्म और जीवन देने का वरदान प्रकृति से स्त्री को ही मिला है। शिशुओं के लालन–पालन के दायित्व के कारण कालान्तर में नारी की भूमिका घर की चार–दीवारी तक सीमित होने लगी।

प्रगति, परिवर्तन और विकास के क्रम में पुरूष की प्रधानता बढ़ती गई और स्त्री की भूमिका गौण होती गई। इतना ही नहीं परंपराओं और रीति–रिवाजों की आड़ में कुछ ऐसी अवैज्ञानिक और तर्कहीन मान्यताओं ने जनमानस के मस्तिष्क में गहरी जड़े जमा लीं जिनसे मुक्ति पाना अब भी एक चुनौती है।

भारती : तो क्या बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथाओं के विरोध में कोई आवाज नहीं उठी। कोई समुदाय लामबंद नहीं हुआ। किसी कोने से विरोध का स्वर नहीं फूटा।

प्रेरणा : नहीं–नहीं प्रेरणा! इन अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करने। अंधविश्वास और रूढ़ियों से जकड़े समाज को शिक्षा और वैज्ञानिक चिंतन के नये युग में ले जाने के संगठित प्रयासों का काल भी आया, जिसे हम इतिहास में पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इस युग के महान दार्शनिक चिंतकों ने अज्ञानता और अंधविश्वास, पाखंड और वैचारिक पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े समाज को अपने तर्क–ज्ञान और विवेक से मुक्ति का एक नया मार्ग दिखाया।

भारती : कौन थे वो महामानव?



राजाराम मोहन राय   स्वामी दयानन्द सरस्वती   स्वामी विवेकानन्द

चित्रः 11.0.2 अज्ञानता और अंधविश्वास, पाखंड और वैचारिक पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले महापुरुष

प्रेरणा : दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, एनीबेसेंट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा ज्योति बा फूले, विवेकानन्द, सावित्री फूले, महादेव गोविंद रानाडे इत्यादि।

भारती : इन महान विभूतियों ने क्या किया।

प्रेरणा : स्त्री को बराबरी का दर्जा देने की पुरजोर वकालत। कुरीतियों के अंत के लिये कानूनी प्रावधान। स्त्री शिक्षा का महत्व और बढ़ाना। विधवा विवाह का समर्थन किया।

भारती : कोई फर्क पड़ा?

प्रेरणा : बिल्कुल। इन सभी के प्रयत्नों से समाज में जागरूकता आई। कुप्रथाओं का विरोध हुआ। समता–मूलक समाज की जरूरत को समाज ने समझा। लोग जुड़े और लामबंद हुए।

भारती : नारी के विरूद्ध अत्याचारों को रोकने के लिये कानून तो बने दीदी। पर वो प्रभावी कहाँ हैं। आज के समाचार–पत्र घरेलू हिंसा, दहेज हत्याओं और महिला उत्पीड़न की खबरों से भरे रहते हैं।

प्रेरणा : बात तो ठीक ही है तुम्हारी। अकेले कानूनों से बात नहीं बनेगी।

भारती : तो फिर?

प्रेरणा : लोगों को बदलना होगा। लोगों के सोच को बदलना होगा। हमें संगठित होना होगा। लोगों को जोड़ना होगा। परिवर्तन आयेगा।

भारती : परिवर्तन तो आ ही रहा है दीदी। मध्यप्रदेश में पंचायत के चुनाव में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित थे। 56 प्रतिशत महिलाओं ने सरपंच का चुनाव जीता है।

प्रेरणा : जिस क्षेत्र में देखोगी महिलाओं का परचम लहरा रहा है। प्रवीणता सूचियों में लड़कियों का कब्जा, खेल के मैदान में लड़कियों का मेडल, उच्च पदों पर नारी शक्ति। सर्वत्र सफलता और सम्मान।

भारती : यही हाल रहा तो दीदी कुछ दिनों में लड़कों को मीलों पीछे छोड़कर नारियाँ शिखर पर होंगी।

प्रेरणा : नहीं भारती। इतिहास नारियों को पीछे छोड़ने की गलती कर चुका है। इसे दोहराने की गलती करना मूर्खता होगी। देखो! विकास के लक्ष्यों को पाना है तो महिला और पुरूष को बराबर योगदान करना होगा। अपनी–अपनी भूमिकायें निभानी होंगी। जैसे एक पहिये की गाड़ी मंजिल या लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती, उसी तरह महिला और पुरूष दोनों के साझा प्रयासों के बगैर लक्ष्य प्राप्ति असंभव है।

भारती : दीदी आदर्श स्थिति क्या होगी?

प्रेरणा : विश्व के इतिहास पर नजर डालें तो विविध कालखण्डों में, विविध भौगोलिक परिस्थितियों में कभी स्त्री–सत्ता का तो कभी पुरूष सत्ता का बोलबाला रहा। यह उतार–चढ़ाव की एक लहर के रूप में देखा जा सकता है।

आदर्श स्थिति है जेण्डर भेदभाव रहित समता मूलक समाज। जहाँ नारी और पुरूष बिना किसी पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता के विकास में बराबर के भागीदार हों। प्रतिस्पर्धा का स्थान परस्पर पूरकता ले। अपने–अपने दायित्व और अपनी–अपनी भूमिकायें हों।

भारतीय : दीदी पिछले दिनों मैंने विकसित देशों की सूची देखी हमारा देश तो बहुत पीछे है।

प्रेरणा : सही कहा तुमने। विकास के कई मानकों में हमारा प्रदेश भी पीछे है। विकास के क्षेत्र में काम करने वालों का अनुभव रहा है कि यदि हम महिलाओं को केंद्रित कर प्रयास करते हैं तो इसके दूरगामी सफल परिणाम मिलते हैं।

भारती : हम क्या कर सकते हैं?

प्रेरणा : संगठित और लामबंद होकर प्रयास। हमारे प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को सुधारना एक बड़ी चुनौती है।

इसके दो आयाम हैं – सामाजिक और आर्थिक

आर्थिक क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसरों और कौशल तथा दक्षता बढ़ाकर मजबूती हासिल करना है। नारी शोषण बीते युग का जुमला था नारी सशक्तिकरण और विकास भावी मंत्र हैं। समझीं।

भारती : खूब अच्छे से दीदी।

■■■

इकाई –11.1 : महिला सशक्तिकरण : अवधारणा अर्थ एवं आयाम
(Women Empowerment : Concept, Meaning & Dimensions)

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- महिला सशक्तिकरण से क्या आशय है?
- वर्तमान संदर्भों में महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है?
- महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम कौन–कौन से हैं?
- महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया से हम विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को कैसे संभव बना सकते हैं?

11.1.1 महिला सशक्तिकरण : परिचयात्मक अवधारणा (Women Empowerment : Introductory Concept)

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखें तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ–साथ विकास की सहभागी माना जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएँ अपने आर्थिक स्वावलम्बन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं।

सशक्तिकरण शब्द का विच्छेद है स + शक्ति + करण। जिसमें 'स' उपसर्ग है। शक्ति संज्ञा है। विशेषण तथा करण प्रत्यय से मिलकर शब्द बना है– **सशक्तिकरण**। इसका ध्वनि अर्थ है– शक्ति सहित गत्यात्मकता (गति)। सशक्तिकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। निरन्तर चलने वाली। निर्बल के सबल बनने की प्रक्रिया। एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो, सामाजिक संदर्भों में जिस पर विवाह, संतानोत्पत्ति तथा व्यवसाय आदि से संबंधित विषयों पर घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का दवाब न हो। इस प्रकार स्त्रियों के संदर्भ में सशक्तिकरण की अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारी को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसे अपने जीवन की गरिमा को सुरक्षित रखने और सम्मानित जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि शिक्षा और ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में भी नारी को अपनी प्रतिभा दिखाने और मुखरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। महाभारत काल के बाद नारी की इस स्थिति में गिरावट आयी। उससे शिक्षा का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। धीरे–धीरे नारी की स्थिति दयनीय एवं चिंताजनक होती गयी। वर्तमान संदर्भों में देखें तो समय के साथ–साथ महिलाओं की परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आ रहा है। समय करवट ले रहा है। दमन, दलन और उत्पीड़न से मुक्त होकर नारी जागरूक हो रही है। आज नारी विकास की ओर अग्रसर है। वह हर क्षेत्र में अपनी एक अनोखी पहचान बना रही है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यह आधुनिक युग की नारी का स्वरूप है।

नारी समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। समाज का पूर्ण विकास तभी संभव है, जब पुरुष और नारी दोनों का समान विकास हो। दोनों को व्यावहारिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हों। मात्र एक वर्ग के विकास से समाज में असंतुलन ही पैदा होगा। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं में साक्षरता, जागरूकता, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के समन्वित, संगठित प्रयास हों क्योंकि वास्तविकता यह है कि आज भी अधिकांश महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों और उनके विकास के लिए बनाई गई शासकीय और गैर शासकीय योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है।

11.1.2 अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition)

अर्थशास्त्री **बीना अग्रवाल** महिला सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित करती हैं, जिससे दुर्बल एवं उपेक्षित लोगों के समूहों की क्षमता बढ़े। जिससे महिलाएँ अपने आपको निम्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूदा शक्ति संबंधों को बदल कर अपने पक्ष में कर सकें। नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य नारी को आत्मनिर्भर बनाना है। नारी को समाज में समानता प्रदान करना है। **डॉ. दिग्विजय सिंह** के अनुसार महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है– उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर–तरीकों को चुनौती में समान अवसर, राजनैतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि। **डॉ. अरूण कुमार सिंह** के अनुसार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपने जीवन–यापन की व्यवस्था कर सकें।

लीना मेंहदेले के अनुसार : "सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है।" इनमें प्रमुख हैं –

1. निर्भयता, जिसके लिए समाज में कानून और सुरक्षा का होना।

2. रोजाना के नीरस, उबाऊ और कमर तोड़ कामों से मुक्ति।

3. आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं उत्पादन क्षमता।

4. निर्णय का अधिकार।

5. सत्ता एवं सम्पत्ति में पुरुषों के साथ बराबरी का हक।

6. ऐसी शिक्षा जो महिला को उपरोक्त स्थितियों के लिए तैयार कर सके।

सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर मौके मिल जाते हैं। इसका मतलब केवल संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण नहीं है बल्कि इसका आत्मविश्वास में वृद्धि और पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर निर्णय करने की क्षमता से भी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पुरुष समाज स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूक बनें।



चित्र : 11.1.1 सशक्त महिला

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास स्वतंत्रता के उपरांत ही किए गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु का कहना था ''लैंगिक असमानता चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए उसे दूर करना आवश्यक है।'' नेहरू जी का मानना था कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। निशांत मीनाक्षी ने अपने लेख विकास बनाम सशक्तिकरण में बताया है– ''महिला सशक्तिकरण अर्थात् महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को वे सारे उपकरण उपलब्ध करवाना जिनकी सहायता से आधी दुनिया उन्नति कर सकती है, आगे बढ़ सकती है।'' महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा, महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता की कमी ही है। यदि महिलाओं को शिक्षित बना दिया जाए तो वे अपने सामाजिक व राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएँगी और फिर ऐसी जागरूक महिलाओं को दबाना, किसी के लिए भी सम्भव नहीं होगा। **ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी** में सशक्त होने की स्थिति को सशक्त बनाने की कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया गया है। सशक्त का अर्थ– सक्षम करने के लिए, शक्ति देने के लिए। शक्ति का विचार सशक्तिकरण की जड़ में है।

यूनिफेम के अनुसार नारी सशक्तिकरण का अर्थ है –

- स्त्री–पुरुष के मध्य असमानता आधारित संबंधों को समझा जा सकता है और उन तरीकों को समझा जा सकता है जो इसे बदल सकें।
- महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना–स्वयं का मूल्य समझते हुए।
- महिलाये स्वयं की क्षमता पर विश्वास कर अपने जीवन के सभी निर्णय स्वयं ले सकें।
- महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन की दिशा समझने की और संगठित करने की क्षमता विकसित करना – राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने की दिशा में।

विश्व बैंक के अनुसार सशक्तिकरण विकल्प बनाने के लिए और इच्छित कार्यों और परिणामों में उन विकल्पों को बदलने के लिए व्यक्तियों या समूहों की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया है।

महात्मा गाँधी के अनुसारः "हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं को उनके वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करना होना चाहिए।" यूएनडीपी (UNDP) नारी सशक्तिकरण को सिर्फ इसलिए महत्व नहीं देता कि यह मानव अधिकार है बल्कि इसके माध्यम से हमारे सदियों से चले आ रहे विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का और सतत् विकास के मार्ग में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना को भी शामिल करना है। लैंगिक समानता, गरीबी में कमी, लोकतांत्रिक शासन, संकट की रोकथाम, पर्यावरण और सतत् विकास में महिलाओं की भागीदारी, सशक्तिकरण को एकीकृत करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है।

सशक्तिकरण से अभिप्राय आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शक्ति को व्यक्ति और समुदाय में बढ़ाने से है। इसके फलस्वरूप क्षमतावान, सशक्त, विकासशील और आत्मविश्वास से युक्त महिला समूह निर्मित हो सकता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए एक वैश्विक अभियान, संयुक्त राष्ट्र महिला शाखा (UNIFEM) को दुनिया भर में स्त्रियों की जरूरतों को पूरा करने में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया।

सशक्तिकरण के अंतर्गत इस प्रकार की क्षमताओं को विकसित करने का लक्ष्य हैः

- स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता और उसके लिए पर्याप्त संसाधनों को पहचानने की क्षमता।
- लोकतांत्रिक तरीकों से दूसरों के विचारों को बदलने की क्षमता।
- परिवर्तन और विकास में भागीदारी की क्षमता।

- सामूहिक निर्णय लेने में महिलाओं को जुटाने की क्षमता।

उक्त दिशाओं में न केवल सकारात्मक सोच का होना आवश्यक है, बल्कि उनमें पर्याप्त कौशल विकास भी करना है।

11.1.3 महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम (Various Aspects of Women Empowerment)

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को विस्तार से समझने के बाद अब प्रश्न उठता है कि महिला को सशक्त कैसे बनाया जाये। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को समझने के क्रम में हम यह जान चुके हैं कि यह एक बहुआयामी अवधारणा है, केवल एक दिशा में प्रयत्न करने से वांछित सफलता मिलना कठिन है। यथार्थ में महिला को सशक्त बनाने के कई आयाम, कई दिशाऐं, कई प्रकार हो सकते हैं। कुछ प्रमुख आयामों को हम यहाँ विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु यह भी विचारणीय प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? इसके अभाव में समाज को क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।

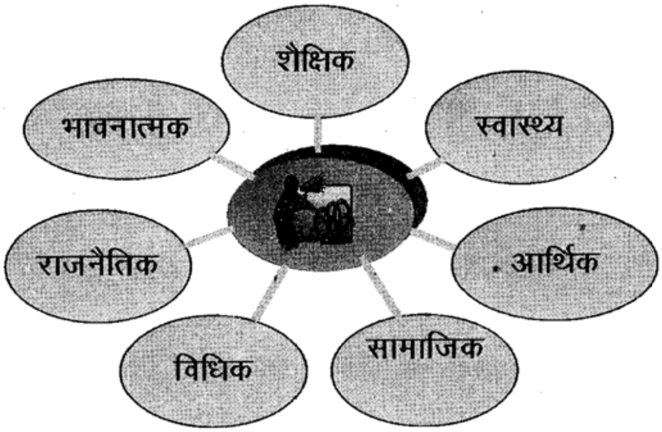
स्त्री सशक्तिकरण क्यो आवश्यक है?

किसी भी संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए विकास के क्षेत्र में स्त्री–पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। इस मॉड्यूल में महिला सशक्तिकरण के पीछे पुरुष या महिला की श्रेष्ठता साबित करना लक्ष्य नहीं है, अपितु उन उपायों को सुनिश्चित करने की पहल करना है जिससे विकास मानकों की प्राप्ति में महिलाएँ और पुरुष बराबर योगदान कर सकें। वातावरण लिंगभेद से रहित परस्पर पूरकता का हो। इस दृष्टि से महिला सशक्तिकरण के अनेक ऐसे आयाम हैं जिनको प्रेरित और प्रोत्साहित करने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। आइये, सशक्तिकरण के कुछ आयामों को, उनके महत्व को समझने, स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं।

महिला सशक्तिकरण के आयाम –

महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए इसके विभिन्न आयामों को समझना आवश्यक है। इस धारणा के मूल में स्त्री–पुरूष को एक दूसरे का पूरक समझते हुए समतामूलक व्यवस्था विकसित करने की भावना निहित है। इस प्रक्रिया के अनेक आयाम हैं, जैसे –

- शैक्षिक
- स्वास्थ्य सम्बन्धी
- आर्थिक
- सामाजिक
- विधिक
- राजनैतिक
- भावनात्मक



चित्र : 11.1.2 महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

शैक्षिक सशक्तिकरण (Educational Empowerment)

एक सुशिक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ–साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है। संतान की प्रथम गुरू अर्थात उसकी माता यदि सुशिक्षिता हो तो भावी पीढ़ी के शिक्षित होने की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विसंगतियों से लड़ने का एक मात्र हथियार भी शिक्षा ही है, इसके इस्तेमाल से स्त्रियां परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ–साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकती हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि शिक्षित स्त्री परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी राय देने के साथ–साथ निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी कर सकती है। आज यह सकारात्मक परिवर्तन प्रत्येक समाज में देखा जा रहा है। लोग बच्चियों को पढ़ाने में रूचि लेने लगे हैं। आवश्यकता यह है कि उनके युवा होने पर भी यह रूचि बनी रहे तथा पढ़ाई समाप्त होने पर ही उनके विवाह की चर्चा हो।

शारीरिक/स्वास्थ्य सम्बन्धी सशक्तिकरण (Physical Empowerment)

इसका अर्थ बॉडी बिल्डिंग अथवा अखाड़े में उतरना नहीं है। इस सशक्तिकरण का अभिप्राय स्त्रियों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। कभी सबको खिलाकर सबसे पीछे खाने की परम्परा तो कई बार जीरो फिगर की चाहत के कारण वह उपयुक्त आहार नहीं ले पाती हैं। जिसके कारण शरीर कमजोर तथा रोगी हो जाता है। शरीर से कमजोर महिलाएं प्रायः गर्भवती होने पर अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाती हैं। कमजोर माँ की संतान भी कमजोर होती है और उसका

जीवन रोगों से संघर्ष करने में बीतता है, उसका स्वस्थ विकास नहीं हो पाता, जिससे उसका पूरा जीवन और एक पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। रोगिणी स्त्री अपना अथवा अपने परिवार का ध्यान रखने में भी असमर्थ होती है। ऐसी स्त्रियां योग्य होने के बाद भी प्रगति नहीं कर पातीं हैं। इसलिए इन्हें अपने खान–पान पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिये। हम सभी जानते हैं जान है तो जहान है।

आर्थिक सशक्तिकरण (Economical Empowerment)

आज के युग में सभी का स्वावलंबी होना आवश्यक है। महिलाओं को भी अपनी योग्यता के अनुसार अर्थोपार्जन हेतु सामने आना चाहिए। महिलाओं के आर्थिक रूप से सबल होने से परिवार में समृद्धि आती है, साथ ही वह अपनी कई इच्छाओं (पहनने–ओढ़ने, खाने पीने, घूमने–फिरने) को अपनी मर्जी से पूरा कर पाती है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला बुरे वक्त में किसी की मोहताज नहीं होती, उसे किसी के सामने अपने तथा अपने बच्चों के पालन–पोषण के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए सरकारी अथवा निजी संस्थानों में नौकरी करने के अलावा स्त्रियाँ स्वयं का व्यवसाय भी कर सकती हैं। यदि पति अथवा पिता आर्थिक रूप से सम्पन्न हो तो भी अपनी रूचि के अनुसार कुछ काम अवश्य करना चाहिए ताकि वह स्वयं की योग्यता सिद्ध कर सकें तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।

सामाजिक सशक्तिकरण (Social Empowerment)

सामाजिक सशक्तिकरण प्रक्रिया की शुरूआत परिवार से होती है क्योंकि विभिन्न परिवारों के योग से ही समुदाय तथा समाज का निर्माण होता है। यदि परिवार में स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार हो तो वे स्वयमेव सामाजिक रूप से भी सशक्त हो जाएंगी। इसके लिए परिवार में पुत्र–पुत्री भेदभाव, घरेलू प्रबंधन में पत्नी को सेविका मानने के बजाय सहयोगिनी मानना, उनके साथ अभद्र व्यवहार अथवा अपशब्दों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ समान व्यवहार करना आदि शामिल है। इस प्रक्रिया में समाज के बड़े–बूढ़ों का सहयोग तथा बाल्यावस्था से ही पुत्रों को अपनी बहन, माता तथा सड़क पर चलने वाली लड़कियों के साथ सम्यक व्यवहार करने की दीक्षा भी शामिल है, क्योंकि व्यक्ति बचपन में जो भी अपने परिवार में देखता, सुनता और समझता है, अधिकांशतः उसे ही युवा होने पर दोहराता है। साथ ही ऐसी परंपराएं जिसमें महिलाओं के निम्न अथवा हेय समझा जाता हो उसे बदलने में भी परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उदाहरण के लिए एक बड़े घराने में बिटिया की शादी थी। उस शादी में लड़की की कुछ ही वर्ष पूर्व विधवा हुई बुआ जी भी आई थीं परंतु अलग थलग बैठी थीं। जैसे ही संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ लड़की के पिता कामता प्रसाद बुआ जी को लेकर आए और कहने लगे–जब तक जसोदा नहीं नाचेगी तब तक संगीत का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। सभी ने बुआ जी की तरफ देखा और अवाक हो गए। रंगीन धोती में बुआ जी

को थामे कामता प्रसाद अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। उसके बाद बुआ जी अपनी भतीजी की शादी में ऐसा नाची कि सभी दंग रह गए। बाद में कामता प्रसाद ने अपनी बहन का पुनर्विवाह भी कराया।

इस उदाहरण में हमने देखा कि बदलाव की शुरूआत किसी एक परिवार से भी हो सकती है। धीरे–धीरे ऐसे अनेक परिवार मिलकर ही ऐसे समाज की रचना करेंगे जिसमें विधवा होने का अर्थ जीवन समाप्त होना नहीं माना जाएगा।

सशक्तिकरण के उपर्युक्त प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक समुच्चय के रूप में समाज पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यद्यपि कुछ लोग कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी अथवा आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं भी शोषित होती है इसलिए यह निरर्थक है। यहां समझना आवश्यक है कि सशक्तिकरण एक सतत् प्रक्रिया है। इसका प्रारंभ व्यक्ति से होता है तथा समाज की विचारधारा के साथ होता है। वही विचारधारा उसे कालांतर में विकसित तथा पोषित करती है, जिसे हम प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए आज से महज कुछ वर्ष पूर्व पेट्रोल पंप पर स्त्रियों को देखा जाना कौतुक की बात होती थी। आज समाज के लगभग सभी वर्गो में स्त्रियों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने का चलन प्रारंभ हो चुका है। आज पेट्रोल पंप पर वाहन चालिका ही नहीं बल्कि वहां कार्य करने वाली महिलाएं भी दिखतीं हैं। इस चलन का प्रारंभ किसी न किसी व्यक्ति द्वारा किया गया होगा, जिसे समाज ने धीरे–धीरे स्वीकारा तथा अब यह चलन के द्वारा पोषित हो रही है तो किसी को ऐतराज भी नहीं है।

विधिक सशक्तिकरण (Legal Empowerment)

भारतीय संविधान पुरुष और महिला को बराबरी का दर्जा देता है। संविधान की दृष्टि में दोनों समान हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिये अनेक प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे प्रयास रखे जा सकते हैं जिन्होंने महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने के लिये अनेक विधिक प्रावधान और कानून बनाये हैं। घरेलू हिंसा का कानून ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कानून है। दूसरी श्रेणी में वे प्रयास आते हैं जिनमें नारी क्षमता के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन की योजनायें बनाई गईं। अपनी उन्नति और विकास के लिए महिला को उन समस्त विधिक प्रावधानों का ज्ञान होना चाहिए जो उसे शोषण से मुक्ति दिलाने और अवसरों का लाभ उठाने के योग्य बनाते हैं।

राजनैतिक सशक्तिकरण (Political Empowerment)

भारतीय स्वतंत्राता संग्राम में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। देश के राजनैतिक परिदृश्य में महिलाओं की बराबर और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव में भी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। इसका परिणाम यह होता

है कि आज महिलायें राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी योग्यता और परिश्रम से मानक स्थापित कर रहीं हैं। मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित है, लेकिन वर्तमान में उससे अधिक संख्या में महिला प्रत्याशी निर्वाचित होकर राष्ट्र को अपनी सेवाऐं दे रहीं हैं। राजनैतिक जागरूकता और अवसर के आधार पर महिलाओं में बढ़ रही जागरूकता के दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम मिलना अवश्यंभावी है।

भावनात्मक सशक्तिकरण (Emotional Empowerment)

यदि स्त्रियां शिक्षित तथा आर्थिक रूप से मजबूत हो तब भी अतिशय भावुकता के कारण कई बार गलत निर्णय ले बैठती हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई बार–बार प्रताड़ित करे फिर रो धोकर माफी मांग ले, भावनात्मक रूप से कमजोर कर अपनी नाजायज मांग पूरी करवा ले यह अच्छा नहीं है। इसे एक कहानी से समझा जा सकता है। सुनीता एक टाईपिस्ट है। वह एक युवक से प्रेम करती है, माता पिता को पुत्री की समझदारी पर कोई शक नहीं था इसलिए वह भी आड़े नहीं आए। उस युवक में एक गलत आदत थी, वह क्रोधित होने पर सुनीता पर हाथ उठा देता था। पहली बार सुनीता भौंचक्की रह गई, उसने सोचा वह यह संबंध तोड़ देगी परंतु अगले ही दिन वह युवक उसके हाथ पैर जोड़ने लगा। परंतु कुछ ही दिन बाद दुबारा वह घटना हुई, इसके बाद यह सिलसिला चल निकला। हर बार वह युवक रो–धोकर माफी मांग लेता और भावुक सुनीता उसे माफ कर देती। एक दिन उसकी मां ने समझाया कि –बिटिया अन्याय सहना और प्रेम करना दो बातें हैं। तुम प्रेम करती हो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह तुम पर अत्याचार करे। प्रेम करना गुनाह नहीं है फिर क्यों सजा भुगत रही हो। यह बात सुनीता के समझ में आ गई। अगली बार किसी छोटी सी बात पर जैसे ही उसके मंगेतर ने हाथ उठाया सुनीता ने कलाई पकड़ ली और कहा–आगे से हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर जाओ और तसल्ली से सोचो, अगर यह आदत नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकती। वह युवक हैरान था सुनीता की इस हिम्मत पर। चूंकि वह भी सुनीता से प्रेम करता था इसलिए उसने यह गंदी आदत छोड़ दी। सुनीता ने दो साल बाद तसल्ली होने पर उससे शादी कर ली।

हमने जाना

- नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है।

- सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा महिलाएँ अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होती हैं।

- मानव विकास के क्रम में कुछ कारणो से महिला–पुरुष की स्थिति समान नहीं रह सकी और अतीत के अनेक कालखण्डों में महिलाओं की दशा दयनीय और चिंतनीय हो गयी।

- महिला सशक्तिकरण के बिना महिलाओं की सक्रिय और सार्थक भागीदारी विकास कार्यों में सुनिश्चित न होने से विकास लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।

- महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी दृष्टिकोण है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, विधिक, स्वास्थ्य संबंधी अनेक पहलुओं का समावेश है।

- महिला सशक्तिकरण आवश्यकता नहीं अनिवार्यता है। आधी आबादी को सम्मान और प्रतिष्ठा से जीने की आजादी और बराबरी की हकदारी दिये बिना समाज में बड़ा गुणात्मक बदलाव लाना संभव नहीं होगा।

- पूर्व के अनुभव इस तथ्य को बताते हैं कि महिला सशक्तिकरण के समान्य प्रयासों से दूरगामी और प्रभावित करने वाले परिणाम मिले हैं। अतः महिला सशक्तिकरण में हमारे प्रयासों का निवेश बेहतर भविष्य की गारन्टी है।

कठिन शब्दों के अर्थ

- **सशक्तिकरण** : सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता और निर्णय लेने की सामर्थ्य बढ़ती है।
- **आरक्षण** : ऐंसी व्यवस्था जिसमें कोई पद या स्थान किसी विशेष कोटि के व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए निर्धारित होता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. आपकी दृष्टि में स्त्री क्या है? 500 शब्दों में अपने विचार लिखें।
2. इतिहास की किस महिला पात्र से आप सर्वाधिक प्रभावित हैं? उनके विषय में 500 शब्द में विवरण तैयार करें।
3. स्त्रियों के लिए कौन सा युग स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, कारण की विवेचना करें।
4. मध्ययुगीन स्त्रियों की अवस्था पर एक लेख लिखें।
5. ऐतिहासिक तथा वर्तमान युग की पांच स्वयंसिद्धाओं का संक्षिप्त विवरण दें।

आओ करके देखें

- विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत तथा सफल महिलाओं की सूची तथा संक्षिप्त विवरण तैयार करें।
- वर्तमान युग की महिलाओं को कैसा होना चाहिए? कक्षा में वाद–विवाद आयोजित करें।
- महिलाओं से संबंधित कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए 10 सुझावों का विवरण तैयार करें।
- संविधान सभा में सम्मिलित महिलाओं के जीवन–वृतांत पर एक रिपोर्ट तैयार करें।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय का गठन किया गया है। इसकी अनेक शाखाएँ हैं। वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक अनेक संस्थायें एवं संगठन, महिलाओं के मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। इनके द्वारा प्रकाशित, प्रसारित सामग्री से अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। स्त्री–विमर्श के रूप में यह बौद्धिक वर्ग में विचार–विनिमय का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इससे सम्बन्धित अनेक पुस्तकें, लेख इत्यादि प्रकाशित होते रहते हैं। रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रम भी महिला सशक्तिकरण विषयक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन सभी से महिलाओं के सशक्तिकरण के सम्बन्ध में सूचना, समाचार, संचार और प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है।

■■■

11.2 : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महिलाएँ : अतीत से अब तक (Women : Historical Background)

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि –

- मानव विकास के प्रारम्भिक दौर में महिला और पुरुषों के सम्बन्ध किस प्रकार के थे?
- इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में महिलाओं की दशा किस प्रकार की रही?
- शोषण और अन्याय के विरोध में स्त्री स्वातंत्र्य के स्वर किन रूपों में मुखरित हुये?
- नारी मुक्ति आंदोलन के विविध रूपों कौन से हैं।

11.2.1 : प्रारम्भिक काल में महिलाओं की स्थिति (Status of Women in Ancient Period)

मॉडयूल – 9 सामुदायिक संगठन एवं गतिशीलता में हमने ऐतिहासिक दृष्टि से मानव के उद्‌भव एवं विकास के क्रम को विस्तार से जाना। हम जान चुके हैं कि सृष्टि के प्रारम्भ में मानव का जीवन कैसा था? स्त्री–पुरुष के सम्बन्ध उनकी भूमिकाएं क्या थीं? जिससे स्पष्ट हुआ कि प्राचीन काल से अब तक इतिहास के भिन्न–भिन्न कालखण्डों में महिलाओं की दशा भी बदलती रही है। महिला सशक्तिकरण के इस मॉडयूल में आइये! मानव के उद्‌भव एवं विकास के ऐतिहासिक क्रम में हम गहराई से महिलाओं की स्थिति को जानने का प्रयत्न करते हैं।

महिलाओं को केन्द्र में रखकर इतिहास को निम्नांकित कालखण्डों में बांटा जा सकता है –

- आदिकाल
- बौद्धकाल
- वैदिककाल
- धर्मशास्त्रकाल
- स्मृति काल (मनु स्मृति काल)
- मौर्यकाल तथा गुप्त काल
- रामायण एवं महाभारत काल
- मध्यकाल
- आधुनिक काल : नारी मुक्ति आंदोलन

आदिकाल : आदिमानवों का समाज झुण्ड में रहता था। इस झुण्ड में कुछ स्त्री पुरुष तथा बच्चे होते थे। वे फल–फूल तथा शिकार कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। बारिश तथा धूप से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। स्त्री–पुरुष संबंध स्वच्छंद थे। धीरे–धीरे इस व्यवस्था ने उस समय की जरूरत के हिसाब से आकार ग्रहण करना शुरु कर दिया।

गर्भवती तथा प्रसूता स्त्रियाँ शिकार तथा भोजन एकत्र करने की अन्य गतिविधियों में पहले की तरह हिस्सा नहीं ले पाती थीं। शिशु के प्रति एक स्वाभाविक लगाव, उसकी देख–रेख आदि समस्या के समाधान स्वरूप स्त्रियाँ घर पर रहने लगीं। बाहर जाकर कंदमूल तथा शिकार की व्यवस्था करना पुरूषों का काम बन गया। इस अवस्था में सभी कार्य सामूहिक रूप से सम्पन्न होते थे। समूह की सभी स्त्रियाँ मिलकर सभी के बच्चों की देख–रेख करती थीं। समूह का कोई भी पुरुष शिकार लाये वह समान रूप से सभी में बांटे जाते थे। यह परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। अगले चरण में ज्ञान बढ़ा। मानव ने गुफा छोड़कर घर बनाना सीख लिया। घुमंतू एक जगह स्थिर होकर रहने लगे। बस्तियाँ बसने लगीं। उस समय वह सूर्य, चंद्रमा, तारे, वर्षा, धूप आदि को विस्मय की दृष्टि से देखते थे परंतु ईश्वर जैसी अवधारणा नहीं थी। इसलिए तब तक पुरूषों को भी ईश्वर का दर्जा नहीं था। गृह प्रबंधन पूरी तरह स्त्रियों के हाथ में था। पुरुष सैनिक की भांति अपने घर की रक्षा करते थे। आदिमाता, सप्तमातृका, वनदेवी, प्रकृतिदेवी आदि की अवधारणा प्रारंभिक मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की ही देन है। इस सामाजिक व्यवस्था ने स्त्री–पुरूष दोनों के लिए जीवन पहले से अधिक सरल बना दिया। पुरुष शिकार के लिए नए–नए हथियार गढने में रुचि लेने लगा जबकि स्त्रियाँ गृह प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने में व्यस्त हो गईं। परंतु यह सुखद स्थिति लम्बे समय तक नहीं टिक सकी। सभ्य होते–होते मनुष्य में महत्वाकांक्षा के साथ–साथ प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ने लगी। खेती ने दोनों के जीवन को स्थिरता दी। खानाबदोश जीवन का अंत हुआ और कृषि संपत्ति और उस पर अधिकार की भावना विकसित हुई। विवाह संस्था ने जन्म लिया और उपार्जन एवं संपत्ति के आधार पर पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था का जन्म हुआ। जीवन का उद्देश्य मात्र भोजन एकत्र कर जीवन–यापन करना नहीं रह गया बल्कि संपत्ति और उस पर अधिकार स्थापित करने की भावना प्रबल होती चली गई। कबीले एक–दूसरे पर हमला करने लगे। पराजित कबीले की संपत्ति के साथ–साथ कबीले की स्त्रियों पर भी कब्जा करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी तथा इसके साथ ही शनैः–शनैः स्त्रियों के हाथ से सत्ता फिसलती चली गई। गर्भवती स्त्री की सुरक्षा, उसकी देखभाल एक बार फिर प्रश्न चिन्ह बन गई। उसी दौरान एक नए नियम ने जन्म लिया जिसके अनुसार स्त्री एक ही व्यक्ति से संबंध बनाये ताकि गर्भस्थ शिशु के पितृत्व का निर्धारण किया जा सके। वही व्यक्ति उस स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु की देखभाल के लिए जिम्मेवार होगा तथा वही शिशु उस व्यक्ति के संपत्ति का उत्तराधिकारी भी होगा। इस नियम को पालन करवाने के लिए अनेक उपनियम भी बनाए गए। इस नियम के पश्चात स्त्रियों की दुनिया चारदीवारी में कैद होती चली गई। सामाजिक गतिविधियों में उनकी भूमिका नगण्य हो गई। उपार्जन के साधनों पर पूरी तरह पुरुषों का आधिपत्य हो गया। यही वह कालखंड है जब विवाह नामक संस्था ने जन्म लिया। तथापि घरेलू स्तर पर उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी।

वैदिक काल : वेदों में स्त्रियों का उल्लेख सम्मानजनक ढंग से किया गया है। वैदिक काल के जिन विदुषी महिलाओं की चर्चा होती है उनमें गार्गी, सूर्या, अपाला, लोपामुद्रा, रोमशा आदि के नाम प्रमुख हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं जिनमे से 30 नाम महिलाओं के हैं। स्त्रियाँ वेद शिक्षित तथा युद्धकला में भी निपुण हुआ करती थीं।

- वैदिक युग में पितृसत्तात्मक समाज था। तथापि परिवार नामक संस्था उन्नत थी। स्त्रियों को पति के घर में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। अथर्ववेद में कहा गया है –"नव वधु तू जिस घर में जा रही है वहां की सम्राज्ञी है, तेरे सास, ससुर, देवर व अन्य व्यक्ति तुझे सम्राज्ञी समझते हुए आनंदित होंगे।" (अथर्ववेद 14 / 14)



चित्र : 11.2.1 वैदिक काल में शास्त्रार्थ में महिलाओं की भागीदारी होती थी।

- वैदिक युग में पत्नी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। आर्य पत्नी को ही घर मानते थे। उनके गृहस्थ धर्म का आशय था– नारी के साथ रहकर धर्म, अनुष्ठान और यज्ञ सम्पन्न करना। पति–पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ करते थे। इतना ही नहीं कई बार पत्नी स्वतंत्र रूप से भी यज्ञ करती थीं।
- **स्मृति काल (मनु स्मृति)** : वेदों के बाद सर्वाधिक मान्यता स्मृतियों की है। स्मृतियों में सबसे प्रसिद्ध मनु स्मृति ग्रंथ है। जिसे तत्कालीन समय में सामाजिक आचार–व्यवहार सम्बन्धी नियमावली या नैतिक मूल्य संहिता का दर्जा प्राप्त था। उदाहरण के लिए– मनु स्मृति में महिला सम्मान को दर्शाने वाली उक्ती –**'जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता का वास होता है**, उल्लेखित है। **'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता'** का अर्थ यही है कि तत्समय सभ्य समाज की पहचान स्त्रियों की स्थिति से होती थी। नारी का पूजनीय चेहरा ही सभ्यता की चरम सीमा को प्राप्त करना था।

रामायण तथा महाभारत काल : रामायण बाल्मीकि रचित महाकाव्य है जिसमें राम कथा वर्णित है। इस प्रतिनिधि महाकाव्य के कुछ प्रसंगों से उस समय की स्त्रियों के बारे में जाना जा सकता है –

प्रसंग–1 युद्ध कला में पारंगत कैकयी युद्ध भूमि में पति का साथ देते हुए उसके रथ का संचालन करती हैं। इस प्रसंग से स्त्री की मजबूत स्थिति सामने आती है।

प्रसंग–2 पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। इस प्रसंग से सहज रूप से व्यक्त होता है कि व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी।

प्रसंग–3 सीता के प्रसंग में नारी की शुचिता अग्नि परीक्षा से प्रमाणित होती थी।

महाभारत काल : महाभारत का काल द्वापर युग माना जाता है। जिसमें कृष्ण जैसे महानायक हुए। महाभारत की कथा में अनेक विदुषी राजनीतिक ज्ञान से परिपूर्ण स्त्री चरित्रों का वर्णन है।

- कुंवारी कन्या का मां बनना लज्जास्पद था। इसलिए कुन्ती ने पुत्र (कर्ण) जन्म के पश्चात उसे जल में प्रवाहित कर दिया। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि नियोग के उपरान्त भी स्त्री की पवित्रता बनी रहती है तो कर्ण को त्यागने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
- इसी प्रकार द्रौपदी का पांच भाइयों में बंट जाना तथा युधिष्ठिर द्वारा जुए में द्रौपदी को हार जाना। इन दोनों प्रसंगों को स्त्री सम्मान के विरुद्ध कहा जा सकता है।

बौद्धकाल : भगवान बुद्ध ने संघ में जातिवाद या लिंग भेद को कोई स्थान नहीं दिया। उनकी दृष्टि में सभी लोग समान थे। महात्मा बुद्ध द्वारा संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया जाना एक युगांतकारी घटना थी।

> **थेरी गाथा**
>
> दीक्षा प्राप्त स्त्रियां थेरी कहलाती थीं। थेरी गाथाओं में 73 भिक्षुणियों की 522 गाथाओं का संग्रह है। इन थेरियों में नगरवधु आम्रपाली की कविताएं भी हैं। जिन स्त्रियों ने भिक्षुणी की दीक्षा ली, उनमें से अधिकांश ऊँची आध्यात्मिक पहुँच के लिए और नैतिक जीवन के लिए प्रसिद्ध हुईं। कुछ स्त्रियाँ पुरुषों की शिक्षिका तक बन गईं। इतना ही नहीं उन्होंने उस स्थिति को भी प्राप्त कर लिया था, जो कठिन साधना के बाद ही प्राप्त होती है।

धर्मशास्त्र काल : 788 ईस्वी में जन्मे शंकराचार्य अद्वैत वेदान्त के ज्ञानी माने जाते हैं। उन दिनों शास्त्रार्थ की परंपरा थी। ऐतिहासिक विवरणों में शंकाराचार्य और मण्डन मिश्र के शास्त्रार्थ का उल्लेख मिलता है। जिसमें मण्डन मिश्र पराजित हो गए। तब मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने कहा – आपने अभी आधे अंग को ही पराजित किया है। मैं इनकी वामांगी हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, तभी विजेता कहला सकेंगे। इसके बाद भारती ने कुछ प्रश्न शंकराचार्य से पूछे, जिसका उत्तर वह नहीं दे सके। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल के उत्तरार्द्ध में भी विदुषी स्त्रियों का अस्तित्व रहा है।

मौर्यकाल तथा गुप्तकाल : इस युग में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षित थीं तथा सामाजिक समारोहों में हिस्सा लेती थीं। अंगरक्षक तथा गुप्तचर के रूप में नियुक्त होती थीं। मौर्यकाल में राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 'विषकन्या' के उपयोग का उदाहरण मिलता है। इस काल में वेश्यावृति भी प्रचलित थी। तथापि बौद्ध धर्म की महिलाओं की स्थिति अन्य की अपेक्षा बेहतर थी। गुप्तकाल में भी कमोवेश यही स्थिति बनी रही। इस युग में देवदासी, नगरवधु, बिना विवाह किए स्त्री को रक्षिता बनाकर रखने का प्रचलन बढ़ने लगा।

11.2.2 : मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति (Status is Women in Medival Period)

मध्यकाल : 7वीं शताब्दी के अंत में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया जिसके साथ ही देश में मुसलमान शासकों का प्रमुत्व बढ़ने लगा। इसी युग में विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए स्त्रियाँ जौहर की अग्नि में भस्म होने लगीं। इस युग में अनेक कुप्रथाओं का जन्म हुआ। इनमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बांझ, जैसी कुरीतियों ने समाज को चारों ओर से जकड़ लिया।

➤ **पर्दा प्रथा** : मुगलों के आगमन के पश्चात सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कुलीन वर्ग के लोगों ने पर्दा प्रथा को अपनाया। धीरे–धीरे समाज के अन्य वर्गो ने भी इसका अनुसरण किया।



चित्र : 11.2.2 पर्दा प्रथा

➤ **बाल विवाह** : यद्यपि इस कुरीति का प्रारंभ बहुत पहले हो चुका था तथापि मध्यकाल में यह बर्बरता की स्थिति थी। बाल्यावस्था में विवाह के कारण अधिकांश लड़कियों की प्रथम प्रसवकाल में ही मृत्यु हो जाती थी। बाल्यावस्था में स्त्रियों का विधवा हो जाना उनके सम्पूर्ण जीवन के लिये अभिशाप बन गया था।

➤ **विधवाओं की स्थिति** : कम आयु की बच्चियों का विवाह अधेड़ तथा वृद्ध से होना आम बात थी। जिनके कारण समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। समाज में विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त नहीं था। बल्कि विधवा होने के पश्चात उन्हें धर्म सम्मत ढंग से जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया जाता था। इन निर्देशों में बाल मूड़ दिया जाना, सफेद धोती पहनना, तामसिक भोजन न करना, जीवन के आमोद–प्रमोद से दूर रहना आदि शामिल था। कई बार विधवाएं अपने ही परिवार के पुरुष की कुदृष्टि का भी शिकार बन जाती थीं। अपनी इस स्थिति की कल्पना करते हुए कई बार स्त्रियाँ स्वयं ही पति की चिता में कूदकर प्राण त्याग देती थीं।



चित्रः 11.2.3 विधवाओं की स्थिति

➤ **सती प्रथा** : इस युग में यह प्रथा अपने वीभत्स रूप में थी। पति की चिता के साथ जलकर मरने वाली स्त्रियों का महिमा मण्डन किया जाता था। परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो चुकी थीं कि पति की मृत्यु के बाद जो पत्नी उसके साथ सती नहीं होना चाहती उसे निंदनीय माना जाता था। अर्थात स्वयं को पतिव्रता सिद्ध करने के लिए उनका सती होना आवश्यक था।



चित्रः 11.2.4 सती प्रथा

11.2.3 अन्याय के विरूद्ध प्रथम स्वर तथा नारी मुक्ति आंदोलन (Women Libration Movements)

वैदिक युग में अपनी विद्वता सिद्ध कर चुकी स्त्रियों को मध्ययुग में इस सत्य का भान हुआ कि जिस नियम उपबंधों को वह अपने तथा अपने परिवार के हित में समझ रही थीं वह दरअसल उनके पांव में बांधी जाने वाली बेड़ियाँ थीं। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अधिकांश स्त्रियाँ नियति मानकर अन्याय को चुपचाप सहन कर रही थीं। मध्ययुग के

उत्तरार्द्ध में कुछ ऐसी वीरांगनाएं भी सामने आईं जिन्होंने परिणाम की परवाह न करते हुए अन्याय के विरूद्ध न केवल आवाज उठाई बल्कि तत्कालीन समाज को पुनर्विचार के लिए विवश कर दिया।

सीमांतनी उपदेश

सन् 1882 में एक अज्ञात महिला ने **'सीमांतनी उपदेश'** नामक पुस्तक लिखी। और उसकी तीन सौ प्रतियाँ गुप्त रूप से बँटवा दीं। इस पुस्तक में लेखिका का नाम दर्ज नहीं है। डॉ. धर्मवीर ने इस लेखिका पर शोध किया और पाया कि इसका पहला लेख एक भाषण है जो इस महिला ने बम्बई के प्रार्थना समाज द्वारा आयोजित एक स्त्री सभा में दिया था। **(16, सीमंतनी उपदेश)** अर्थात पुस्तक में यह अज्ञात लेखिका अपने व्यक्तिगत जीबन में बढ़–चढ़कर स्त्री आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। सीमांतनी उपदेश पुस्तक के कुछ अंश निम्नांकित हैं–

- सीमंतनी उपदेश नामक पुस्तक में 'ऑनर किलिंग' रिश्तेदारों द्वारा होने वाले यौन शोषण, पति से मार खाती औरत की कहानी है। इस पुस्तक में उन बाल विधवाओं की भी कथा है जो मानसिक और यौनिक शोषण सहती हुई अंत में वेश्या बन जात्ती हैं। इन कहानियों में औरतों के लिए शिक्षाएँ भी दी हुई हैं। जैसे औरतें खुद पसंद करके शादी करें। घर वाले अनुमति न दे तो कानून का सहारा लें। स्वयं के लिए शिक्षा का मार्ग तलाशें।

नारी मुक्ति आंदोलन : 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध से भारत में स्त्रियों द्वारा अन्याय के खिलाफ स्वर उठना प्रारंभ हो गया था परंतु नारी मुक्ति आंदोलन यूरोपीय समाज की देन कही जा सकती है। स्त्रियों के प्रति भेद–भाव की भावना दुनिया भर में फैली थी। पश्चिमी देशों में नारीवाद की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति (1789–1799) से मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति में स्त्रियों ने भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया था। इससे पूर्व स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व पुरुषों के लिए आरक्षित था। पुरुषों के अधिकार के लिए **'विंडिकेशन आफ राइट्स ऑफ मैन'** जैसी किताबें भी लिखी गई थीं। इस पुस्तक के जवाब में मेरी वुल्सटनक्राफ्ट ने **'विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन'** लिखा। कहा जाता है हैरियट टैलर नाम की महिला ने **'औरतों की गुलामी'** नाम से पुस्तक लिखी जो उनके पति जॉन स्टुअर्ट मिल के नाम से प्रकाशित हुई। इसी प्रकार हरवर्ट स्पेंसर द्वारा नारी मुक्ति पर रचित पुस्तक की असल लेखिका जार्ज इलियट बतायी जाती हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी देशों की स्त्रियाँ शिक्षा, नौकरी, सम्पत्ति के अधिकार मताधिकार सहित सभी नागरिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रहीं और उन्हें काफी हद तक अर्जित भी किया, लेकिन उनकी नागरिकता दोयम दर्जे की ही थी और पूंजीवादी उत्पादन तन्त्र में वे निम्नस्तरीय गुलामों में तब्दील कर दी गयी। फिर भी कुछ समकालीन क्रांतियाँ ऐतिहासिक तौर पर नारी मुक्ति संघर्ष को एक कदम आगे ले आई। उन्हें सामंती समाज के निरंकुश दमन से एक हद तक छुटकारा दिलाया। सामाजिक उत्पादन में उनकी भागीदारी की स्थितियाँ पैदा की और उनके भीतर अपने अधिकारों, स्वतंत्र अस्मिता और स्वतंत्र पहचान के लिए लड़ने की, सामाजिक–राजनीतिक क्रियाकलापों और संघर्षों में हिस्सा लेने की और एक नई जमीन पर खड़े होकर यौन–असमानता एवं लिंग–उत्पीड़न का विरोध करने की चेतना पैदा की ।

इसी समयावधि में 28 फरवरी 1909 को अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर, महिला दिवस सबसे पहले मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था। उस समय अधिकतर देशों में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1911 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा शुरु हुई। 1917 में रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिये हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल ऐतिहासिक महत्व की मानी जाती है।

भारत में नारी मुक्ति तथा देश की गुलामी से मुक्ति की लड़ाई समानांतर रूप से लड़ी गई। राष्ट्रीय आंदोलन में एक बार फिर समाज को स्त्री शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। यह वही स्त्रियाँ थीं जो सदियों पूर्व अज्ञानता के अंधकार में धकेली जा चुकीं थीं। नेतृत्वकर्ता, समाज से अज्ञान व कुरीतियों से मुक्त होकर स्वतन्त्रता संग्राम में सम्मिलित होने की अपील कर रहे थे। इस अर्थ में भारतीय स्त्रियों का मुक्ति आंदोलन पश्चिमी **वुमेन लिबरेशन** से थोड़ा सा भिन्न है। 1828 में राजा राममोहन राय ने महिलाओं की दशा सुधारने हेतु गहन आंदोलन चलाया। परिणामस्वरूप 1829 में सती प्रथा विरोध अधिनियम पारित किया गया। इसी समय बाल विवाह की समाप्ति, स्त्री शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु प्रयत्न किए गए। प्रसिद्ध समाज सुधारक दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर कुरीतियों के विरूद्ध आंदोलन चलाया। स्त्री शिक्षा, बाल विवाह निषेध और विधवा विवाद हेतु अनेक समाज सुधार कार्य किये। अनेक मुद्दों पर समाज के कड़े विरोध के बावजूद कई अभियान आज भी जारी है।

राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने हर कदम पर पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेजी सत्ता से संघर्ष किया। आगे चलकर महात्मा गांधी के आह्वान पर हजारों की संख्या में अमीर–गरीब, शिक्षित–अशिक्षित स्त्रियाँ दहलीज से बाहर निकल पड़ीं। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी ही नहीं नेतृत्व क्षमता भी सिद्ध हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में भीकाजी कामा, ऐनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा बाद की नेत्रियों में अरूणा आसफअली, सुचेता कृपलानी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसी अनेक नेत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं। दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय समस्त उदारवादी नेतागण यह समझ चुके थे कि स्त्री की दशा सुधारकर ही स्वतंत्रता की लड़ाई जीती जा सकती है तथा एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है। गांधी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली अधिकांश स्त्रियाँ वही थीं जिनके पति आंदोलन में सक्रिय थे। राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने वाली अधिकांश महिलाएं पति की अनुमति के पश्चात ही आंदोलन में प्रवेश कर सकीं। इसलिए यह महज एक शुरूआत थी। बाद में स्वतंत्र भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार होना चाहिये अथवा नहीं यह गंभीर प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ। सन् 1924 में श्रीमती चमेली देवी चौरसिया अपने लेख में स्त्रियों को राजनैतिक

अधिकार न दिये जाने के विरोध में लिखती हैं – मैं यहाँ देश की पार्लियामेंट एवं भारतीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि वे एक प्रस्ताव के द्वारा यह घोषणा कर दें कि स्वतंत्र भारत में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी अधिकार प्राप्त होंगे।

स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण हेतु गठित संविधान सभा में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। जिनका नाम है – अम्मू स्वामी नाथन, एन्नी मास्करेनी, बेगम एजाज रसूल, दक्षयिनी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंड़ित। भारतीय स्त्रियों के जीवन में स्वतंत्र भारत का संविधान मानो नव जीवन संदेश लेकर आया। इन प्रबुद्ध महिलाओं ने भारत के संविधान के निर्माण में अपने समृद्ध विचारों को व्यक्त कर अमूल्य योगदान दिया है। भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को सामान अधिकार **(अनुच्छेद 14)**, राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने **(अनुच्छेद 15 (1))**, अवसर की समानता **(अनुच्छेद 16)**, समान कार्य के लिए समान वेतन **(अनुच्छेद 39 (घ))** की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति देता है **(अनुच्छेद 15(3))**, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने **(अनुच्छेद 51(ए)(ई))** और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है। **(अनुच्छेद 42)।**

1970 के दशक में नारीवादी आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। अब तक अनेक महिला संगठनों का निर्माण किया जा चुका था तथापि उनमें लामबंदी का अभाव था। 70 के दशक में महिलाओं के संगठनों को एक साथ लाने वाले पहले राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में से एक मथुरा बलात्कार का मामला था। 1979–1980 में एक थाने (पुलिस स्टेशन) में मथुरा नामक युवती के साथ बलात्कार के आरोपी पुलिसकर्मियों के बरी होने की घटना बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का कारण बनी। परिणामस्वरूप सरकार को साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता को संशोधित करने और हिरासत में बलात्कार की श्रेणी को शामिल करने के लिए बाध्य होना पड़ा। महिला कार्यकर्ता, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद, महिला स्वास्थ्य और महिला साक्षरता जैसे मुद्दों पर एकजुट हुईं। 1975 में भारतीय महिलाओं के बड़े जत्थे ने बर्लिन में आयोजित प्रथम विश्व स्तरीय महिला कांफ्रेंस में हिस्सा लिया।

चूंकि शराब की लत को भारत में अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जोड़ा जाता है, इसलिए महिला संगठनों द्वारा आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में शराब–विरोधी अभियानों की शुरुआत की। कई भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने शरीयत कानून के तहत महिला अधिकारों के बारे में रूढ़िवादी नेताओं की व्याख्या पर सवाल खड़े किये और तीन तलाक की व्यवस्था की आलोचना की।

1990 के दशक में विदेशी दाता एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों ने नई महिला–उन्मुख गैरसरकारी संगठनों (NGO) के गठन को सम्भव बनाया। स्वयं सहायता समूहों एवं सेल्फ इम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन (SEWA) जैसे एनजीओ ने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कई महिलाएं स्थानीय आंदोलनों के नेताओं के रूप में उभरी हैं। उदाहरण के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन की 'मेधा पाटकर'।

महिला संगठनों के प्रयास से सरकार द्वारा महिला विषयक विधेयकों के द्वारा समय–समय पर संशोधन किया जाता रहा। वर्ष 2001 को महिलाओं के सशक्तिकरण (स्वशक्ति) वर्ष के रूप में घोषित किया गया तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गयी थी। सरकार द्वारा 2001 में लागू की गई महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना है कि वे जीवन के हर क्षेत्र और गतिविधि में खुलकर भागीदारी करें। इस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई। लैंगिक समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। योजना प्रक्रिया एक विशुद्ध कल्याण उपाय से आगे बढ़कर उन्हें विकास योजना के केन्द्र में लाने के प्रयास तक आ पहुंची है। इस नीति के अनुसार महिलाओं का भविष्य एक सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वस्य सरक्षित माहौल में सांस लेने वाले समाज का है।

2006 में बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला इमराना की कहानी प्रकाश में आयी। इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने किया था। कुछ मुस्लिम मौलवियों की उन घोषणाओं का जिसमें इमराना को अपने ससुर से शादी कर लेने की बात कही गयी थी, व्यापक रूप से विरोध किया गया और अंततः इमराना के ससुर को 10 साल की कैद की सजा दी गयी। कई महिला संगठनों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन बाद, 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर दिया जिसमें संसद और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। यह विधेयक आज तक लोक सभा में लंबित है।

लंबी लड़ाई के पश्चात आज भारत की महिलाएं कानूनी स्तर पर पुरुषों के समकक्ष खड़ीं हैं। भारतीय संविधान में वर्णित समस्त मौलिक अधिकारों में स्त्री–पुरुष को समान माना गया है। इस दौरान कई उपलब्धियाँ भी हासिल हुई। उदाहरण के लिए मताधिकार तथा महत्वपूर्ण राजनैतिक पदों पर नियुक्त होने के अधिकार के साथ–साथ विवाह, तथा संपत्ति में समानाधिकार उल्लेखनीय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बालिग होने की आयु में विवाह तथा विशेष परिस्थितियों में गर्भपात का अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ महिलाएं कार्यरत नहीं हैं। यद्यपि सामाजिक स्तर पर यह संघर्ष आज भी जारी है।

हमने जाना

- मानव विकास के प्रारम्भिक क्रम में महिला और पुरुषों की स्थिति समान थीं। जीवन से जुड़े सभी कार्यों में दोनों समान रूप से सहभागी बनते साथ–साथ शिकार करते और मिलकर खाते थे।
- कालांतर में बच्चों के जन्म और उनके लालन–पालन संबंधी दायित्वों का पालन करने से महिलाओं की स्थिति घर की हदों में सीमित होती चली गयी।
- प्रारम्भिक काल में महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी सहभागिता, शिक्षा क्षेत्र में उनकी भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उन्हें महत्व दिया गया।
- बाद के कालखण्डों में स्त्रियों की दशा कुछ अतार्किक परम्पराओं, रूढ़ियों और कुप्रथाओं के कारण दयनीय होती चली गयी। सामाजिक जीवन में उनका बराबरी का दर्जा भी नहीं रहा। कुछ कालखण्ड ऐसे भी रहे जब शोषण और अत्याचार सहना नारी की नियति मान ली गई।
- इस अवस्था में प्रतिरोध के स्वर भी मुखरित हुये। अन्याय के विरूद्ध नारी मुक्ति आन्दोलन में थेरी गाथा, सीमांतनीय उपदेश, दक्षिण में वक्षस्थल ढंकने के लिये आन्दोलन आदि मील के पत्थर कहे जा सकते हैं।
- नारी मुक्ति आन्दोलन के एक प्रमुख पड़ाव के रूप में भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण काल को माना जा सकता है। जहाँ सती प्रथा को दूर करने, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने संगठित प्रयास हुए। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, सावित्री बाई फूले, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, ऐनीबीसेन्ट और स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों का योगदान स्मरणीय है।
- भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन महिलाओं की सक्रिय, सक्षम और प्रभावी भागीदारी का जीवन्त प्रमाण है। महिलाओं के सहयोग से ही स्वतंत्र भारत के सपने को यथार्थ का धरातल मिल सका।
- आज महिलायें विकास की दौड़ में पुरुषों से कन्धा से कन्धा मिलाकर योगदान कर रही हैं। आधुनिक जगत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाओं ने अपने परिश्रम और योग्यता से अपनी विशिष्ठ पहचान न बनायी हो।

- विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आधी आबादी का पूरा योगदान जरूरी है। अतीत की भूलें, पुरुषवादी मानसिकता, कुप्रथाएं और रूढियों के काले बादल विकास के आकाश को ढंक लेते हैं। इन्हें बेहतर और सह–अस्तित्व वाली सोच से हठाया जा सकता है।

- विकास की ओर आगे बढ़ते समाज की आवश्यकता है– भेदभाव और पक्षपात से रहित, पूर्वाग्रह और शोषण से मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना जिसमें सह–अस्तित्व और सौहार्द का भाव हो।

कठिन शब्दों के अर्थ

- आदिमानव : सभ्यता के प्रारम्भिक काल में प्राकृतिक स्वरूप में रहने वाला मानव–समुदाय।
- पितृसत्तात्मक व्यवस्था : ऐसी व्यवस्था जिसमें परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय पिता द्वारा लिये जायें और पिता की सम्पत्ति पुत्रों को उत्तराधिकार में प्राप्त हो।
- मनुस्मृतिः स्मृतिकाल में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसे पारिवारिक सामाजिक जीवन की आचार–संहिता के रूप में मान्यता प्राप्त थी।
- पुर्नजागरण कालः मध्यकाल के पश्चात् सामाजिक सुधारों का वह काल जहाँ अनेक विभूतियों के प्रयास से बहुत सी कुरीतियों का अंत हुआ।
- स्वाधीनता आन्दोलन : भारत में अंग्रेजी दासता से मुक्ति का संघर्ष।

अभ्यास के प्रश्न

- प्रारम्भिक कालीन मानव जीवन में स्त्री–पुरुष के दायित्व और भूमिकाओं की चर्चा कीजिए।
- वैदिक काल में महिलाओं स्थिति वर्णन कीजिए।
- सामाजिक जीवन की नैतिक आचार–संहिता के रूप में मनुस्मृति के प्रावधानों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
- मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति पर समीक्षात्मक आलेख लिखिए।
- भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में महिलाओं के योगदान का वर्णन कीजिए।
- स्वतन्त्रता के बाद भारतीय नारी की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में आये बदलावों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

आओ करके देखें

- विभिन्न कालखंडों में महिलाओं की स्थिति के बारे में एक परिचर्चा आयोजित करें। परिचर्चा में व्यक्त महत्वपूर्ण विचारों को अपनी कॉपी में लिखें।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय का गठन किया गया है। इसकी अनेक शाखाएँ हैं। वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक अनेक संस्थायें एवं संगठन, महिलाओं के मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। इनके द्वारा प्रकाशित, प्रसारित सामग्री से अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। स्त्री–विमर्श के रूप में यह बौद्धिक वर्ग में विचार–विनिमय का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इससे सम्बन्धित अनेक पुस्तकें, लेख इत्यादि प्रकाशित होते रहते हैं। रेडियो और टेलीविजन महिला सशक्तिकरण विषयक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन सभी से महिलाओं के सशक्तिकरण के सम्बन्ध में सूचना, समाचार, संचार और प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अनेक स्वैच्छिक संगठनों की वेबसाइट्स पर भी महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी विविध जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है।

■■■

11.3 : जेंडर तथा सेक्स (Gender and Sex)

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- जेंडर तथा सेक्स से क्या आशय है और इनमे क्या भिन्नता है?
- जेंडर आधारित भेद–भाव के क्या कारण हैं और इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं?
- महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच उन पर नियन्त्रण और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है?
- जेंडर संवेदीकरण की दिशा में अब तक क्या प्रयास हुए हैं और मानसिकता में बदलाव लाने के लिये क्या प्रयास किये जा सकते हैं?

11.3.1 : जेंडर एवं सेक्स में अंतर (Difference between Gender and Sex)

बोल–चाल की भाषा में प्रायः लोग जेंडर तथा सेक्स शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं। जबकि यह कई अर्थों में भिन्न है। महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करने से पूर्व इस विभेद को समझना आवश्यक है।

जेंडर एवं सेक्स में अंतर जानने के लिए हमें पहले स्त्री को वैज्ञानिक एवं सामाजिक संदर्भ में समझना होगा। शाब्दिक अर्थों में जेंडर एवं सेक्स का अर्थ एक ही है– लिंग। लैंगिक असमानता की बात आती है तो जेंडर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सेक्स शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? जबकि दोनों के अर्थ एक ही हैं। यह सवाल स्वाभाविक है। इसके लाक्षणिक अर्थ के अनुसार सेक्स शब्द प्राणिशास्त्रीय रूप में और जेंडर का उपयोग व्यापक सामाजिक संदर्भों में होता है।

जेंडर एवं सेक्स की जैविक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्राणीशास्त्रीय तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया जाना आवश्यक है –

मनुष्येतर प्राणी और वनस्पति जगत में लिंग की स्थिति – प्राणी और वनस्पति जगत दो लिंगों की संभावनाओं में हमेशा नहीं बंटे होते। कुछ जीव बारी–बारी से नर एवं मादा होते हैं। कुछ एक एवं बहुकोषीय जीव या पादप एक लिंगी होते हैं जैसे अमीबा, शैवाल, केंचुआ आदि।

स्तनधारी जीवों की लैंगिक स्थिति – स्तनधारी जीवों में लैंगिक विभिन्नताएं कई प्रकार की होती है। यहां हम मनुष्यों के संदर्भ में बात करेंगे –

- **गुणसूत्र** : स्तनधारी जीवों में प्रजनन के लिए मादा एवं नर होना आवश्यक है। मादा एवं नर का निर्धारण गुणसूत्रों के आधार पर तय होता है। मनुष्यों में 46 प्रकार के गुणसूत्र पाये जाते हैं। जो 23 जोड़े की संख्या में होते हैं। मादा लिंग के निर्धारण के लिए XX तथा नर लिंग के निर्धारण के लिए XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। मुनष्यों में लिंग निर्धारण में इन्हीं नर XY गुणसूत्रों की भूमिका होती है। यदि मादा के अंडाणु में XY गुणसूत्र वाले शुक्राणु का मेल होता है तो नर लिंग बनता है और XX गुणसूत्र मेल होता है तो मादा लिंग का निर्माण होता है। 1969 में अपराधशास्त्रियों ने Y गुणसूत्र के बारे में नई खोज के बारे में बताया कि हिंसक अपराधों में लिप्त लोगों में XYY गुणसूत्र पाये जाते हैं जो उन्हें अधिक आक्रामक और विध्वंसक प्रवृत्ति वाली मानसिकता का बनाते हैं।

- **हार्मोन** : शारीरिक रचनाओं के निर्माण के लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टीरॉन और एंड्रोजन हार्मोन होता है जो नर लिंग के गुणों में वृद्धि करता है। उसी प्रकार महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है जो उनमें मादा लिंग के गुणों की वृद्धि करता है। यह हार्मोन महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करता है साथ ही धमनियों को लचीला बनाये रखता है जिससे उनमें दिल की बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। गुणसूत्रों के लिंग निर्धारण के पश्चात् गर्भाशय में ही शारीरिक ढांचे का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जिसमें महिलाओं के शरीर के विशेष अंगों का निर्माण होता है जैसे हार्मोन, गर्भाशय, योनि, स्तन आदि।

- **केश एवं हड्डियाँ** : नर एवं मादा के भेद में हड्डियों का ढाँचा भी एक अंतर बताया जाता है। ढाँचे के आधार पर शक्ति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। 1995 में अमेरिकी सेना द्वारा स्त्री के शारीरिक बल का अध्ययन कराया गया। जिनमें विभिन्न क्षेत्रों की बेडौल शरीर वाली महिलाओं का चयन किया गया। इन महिलाओं ने प्रशिक्षण के बल पर मात्र 6 माह में पुरूष सैनिकों के बराबर शारीरिक कुशलता हासिल कर ली।

- **मस्तिष्क** : 1966 में इलीनॅर मैक्काबी ने पचास वर्षों के परीक्षणों को अपनी पुस्तक **'द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स डिफरेंस'** में लड़के और लड़कियों पर किये संपूर्ण बुद्धि परीक्षण के परिणामों का विवरण दिया जिसमें दोनों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर में अंतर नहीं पाया गया।

- **प्रजनन**: स्त्री और पुरूष की शारीरिक संरचना में यही एक बुनियादी अंतर है। महिलाओं में यह एक अतिरिक्त विशेषता है जो पुरूषों में नहीं पायी जाती। वह है– गर्भाशय। गर्भाशय की दीवार 28 दिन बाद

टूटती है और वह प्रतिमाह रक्तस्राव के जरिये महिला के शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी दरमियान वह गर्भवती हो जाती है तो इस प्रक्रिया में रोक लग जाती है। मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है। लेकिन इसे पवित्रता और अपवित्रता से जोड़कर समाज में कई तरह की भ्रांतियां व्याप्त हैं। किशोरावस्था से प्रजनन संबंधी तैयारी जैविक रूप से प्रारंभ हो जाती है जैसे लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ होना, स्तनों का विकास आदि। लड़कों में यह दाढ़ी मूंछ का उगना, आवाज का भारी हो जाना तथा शुक्राणुओं का निर्माण, स्वप्नदोष आदि के रूप में प्रकट होते हैं।

उपरोक्त संदर्भों से स्पष्ट है कि लिंग या सेक्स के निर्धारण में कोई अंतर नहीं है साथ ही स्त्री पुरूषों में जैविक दृष्टिकोण से भी अन्तर सिर्फ शारीरिक बनावट में है। फिर ऐसी क्या बात है कि लैंगिक असमानता विश्व में एक बड़ा मुद्दा है और आँकड़े दर्शाते हैं कि किस प्रकार महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव है जो उनके गरिमामयी जीवन जीने के अधिकारों का भी हनन हो रहा है।

जेंडर : अर्थ व परिभाषा

जेंडर अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सेक्स से अलग है। यह शब्द 1970 के दशक में सामान्य प्रचलन में आया। इस शब्द का प्रयोग एक विश्लेषणात्मक वर्ग की तरह किया गया। जिससे महिला–पुरूषों के मध्य जैव शारीरिक भेदों व उनके आधार पर पुरूषोचित और स्त्रियोचित व्यवहार की व्याख्याओं में अंतर किया जा सके। महिला व पुरूष के मध्य जैव–शारीरिक भेद पूरी दुनिया में लगभग समान हैं। परन्तु विभिन्न समाजों में पुरूषोचित और स्त्रियोचित व्यवहारों की व्याख्या में बहुत अंतर पाया जाता है। **जेंडर एक सामाजिक–सांस्कृतिक संप्रत्यय है।** अर्थात् सामाजिक रूप से पुरूष अथवा महिला होने के क्या मायने हैं? समाज पुरूष व महिला में किस प्रकार भेद करता है? उनसे किस प्रकार की प्रत्याशाएं रखता है? समाज यह तय करता है कि स्त्री और पुरुषों को किस प्रकार की भूमिकाएं निभानी है।

जेंडर एवं सेक्स में अंतर–

सेक्स	जेंडर
• प्राकृतिक एवं प्राणीशास्त्रीय	• सामाजिक सांस्कृतिक
• सार्वभौम – लिंगों के मध्य जैव–शारीरिक अंतर व प्रजनन कार्य की प्रकृति पूरे	• स्थानीय – पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित गुणों के मानकों की प्रकृति स्थानीय

विश्व में एक जैसी है।	होती है। मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक समाज इसका उदाहरण हैं।
• लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। चिकित्सा विज्ञान की मदद से लिंग परिवर्तन अपवाद हो सकते हैं।	• जेंडर का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। यह सामाजीकरण की एक प्रक्रिया है।

सामाजिक पृष्ठभूमि में जब लैंगिक भेदभाव की बात की जाती है तो जेंडर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर जेंडर शब्द का उपयोग करने के पीछे की वजहों पर हमें जाना होगा। लैंगिक असमानता की बात आप तब तक नहीं कर सकते जब तक उसमें दोनों जेंडर की व्यापकता को नहीं समझते और उसे शामिल नहीं करते। इनमें से एक शासक और शोषक है जबकि दूसरा दमित और शोषित है। यह असमानता किस प्रकार से हमारे समाज में आई इसका विस्तृत विवरण इकाई–**2** में हमने विस्तार से जाना है। इकाई–**4** में किस तरह की असमानता और हिंसा महिलाओं के साथ होती है तथा उसका क्या निराकरण हो सकता है उस पर विस्तार से चर्चा की गई है। अतः उसमें न जाते हुए हम इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि आखिर लैंगिक भेदभाव शब्द कैसे अस्तित्व में आया और कैसे उसकी पुष्टि होती चली गयी।

सेक्स एवं जेंडर विभेद – नारीवादी विचारधारा में नये विकास

नारीवादी विमर्श में सेक्स एवं जेंडर विभेद का महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं की वर्तमान अधीनता, अपरिवर्तनीय जैविक असमानताओं की वजह से नहीं है। बल्कि यह उनके सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं विचारधाराओं व संस्थाओं की देन है, जो स्त्री की अधीनता सुनिश्चित करते हैं। नारीवादी विचारधारा ने जेंडर की समझ को विस्तार दिया है। नारीवादी सिद्धांतों में सेक्स जेंडर विभेद के संबंध में निम्न चार धारायें हैं –

1. एलीसन जैगर के अनुसार सेक्स व जेंडर एक दूसरे के साथ द्वंदात्मक रूप से संबंधित हैं और अविभाज्य हैं। सेक्स का रिश्ता प्रकृति से है और जेंडर का संस्कृति से। यह परिभाषा हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जाती क्योंकि सेक्स एवं जेंडर दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैगर कहती है इंसान का हाथ श्रम का औजार ही नहीं, श्रम की उपज भी है। अर्थात् दोनों प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। मानवीय हस्तक्षेप बाहरी वातावरण को परिवर्तित करते हैं। उदाहरण के लिए पूरे विश्व में अलग–अलग वातावरण में मानव शरीर स्थानीय आहार, मौसम, जलवायु और किये जाने वाले विशिष्ट कार्यों की वजह से अलग–अलग और विशिष्ट रूप से विकसित

हुये हैं। अर्थात् एक लंबी उद्‌विकास प्रक्रिया में वातावरण मानव शरीरों पर प्रभाव डालता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव शरीर की जैविक बनावट संस्कृति से भी उतनी ही प्रभावित होती है जितनी प्रकृति से जैविक बनावट के अनुसार संस्कृति बंधन लादे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दो दशक पहले की एथलीट रिकॉर्ड देखें तो पायेंगे कि पूर्व के रिकॉर्ड से आज के रिकॉर्ड में बढ़ोत्तरी हुई है। इससे यह पता चलता है कि महिलाओं के शरीर पर जो सामाजिक बंधन लादे गये थे उनकी वजह से उसका शारीरिक विकास अवरूद्ध हो रहा था। **जैसे**-- चीन में लड़कियों के पैर बांधने की प्रथा का होना। फ्रांस में कोर्सेट पहनने की प्रथा का होना। इस प्रकार हम कह सकते है कि जैविक शरीर का दुरूपयोग या उपयोग सांस्कृतिक मांगों के अनुसार होता है। महिला एथलीट, मुक्केबाजों का शरीर व पुरुष नर्तकों के शरीर के आकार, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का परिणाम है। नारीवादी मानव शास्त्रियों ने अपने अध्ययन में बतलाया है कि नृजातीय समूहों में स्त्री–पुरूष के मध्य शारीरिक असमानताएं बेहद मामूली हैं। अतः जैगर के अनुसार सेक्स कोई स्थायी, अपरिवर्तनशील आकार नहीं है जिस पर समाज जेंडर का निर्माण करता है, बल्कि सेक्स स्वयं ही बाहरी कारकों से प्रभावित होता है।

2. **सेक्स** : जेंडर के बारे में रेडिकल नारीवादियों का मत है कि स्त्री–पुरूष के मध्य का जैविक अंतर महत्वपूर्ण होता है। रेडिकल नारीवादियों के अनुसार प्रजनन की जैविक क्षमता के कारण स्त्रियाँ ज्यादा संवेदनशील और प्रकृति के ज्यादा निकट होती हैं। उदाहरण के लिए रेडिकल नारीवादी सुजेन ग्रिफिन और एंड्रया वार्किन मानती हैं कि मातृत्व का अनुभव बाहरी दुनिया से स्त्रियों के संबंध को प्रभावित करता है इसलिए महिलाएं दुलार, पालन–पोषण व संवेदनशीलता के कारण प्रकृति के गुणों की वाहक हैं। पितृसत्ता ने स्त्रियों के इन गुणों का अवमूल्यन करके खारिज किया है। नारीवादियों का काम महिला संस्कृति के जरिये इन गुणों को पुनः स्थापित करना है। इनके अनुसार जेंडर निर्माण में संस्कृति को ही सारा महत्व देने का मतलब उन्हीं पितृसत्तात्मक मूल्यों को स्वीकारना है जो नारीत्व को महत्वहीन मानते हैं।

कुछ विचारकों का मानना है कि पुरूषत्व व नारीत्व का संकीर्ण द्विध्रुवीय मॉडल और नारीत्व का अवमूल्यन पश्चिमी सभ्यता की देन है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार की यौनिक पहचानों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध था। उदाहरण के लिए इस काल में किन्नरों के लिए ज्यादा स्वीकार्यता थी जो आज के समाज में नहीं है। सूफी और भक्ति परंपराएं उभय लैगिंकता पर आधारित थी जो दुनिया के द्विलिंगी मॉडल को स्वीकार नहीं करते थे। बारहवीं सदी में कन्नड़ भाषा के शैव मत को मानने वाले कवि बासवन्ता की कविता उभयलिंगता का उदाहरण है –

"यहां देखो मेरे हमसफर,

मैंने पुरुषों के कपड़े धारण किये है, सिर्फ तुम्हारे लिये

कभी मैं पुरूष हूँ,

कभी मैं स्त्री हूँ।"

या जैसे कबीर कहते हैं कि – "राम मेरे प्रियतम, मैं राम की बहुरिया।"

3. सेक्स व जेंडर विभेद की यह अवधारणा रेडिकल नारीवाद से बिल्कुल विपरित है। जुडिथ बटलर कहती है कि सोचने के एक तरीके और अवधारणा के रूप में जेंडर जैविक सेक्स की श्रेणी को जन्म देता है। इस अवधारणा के अनुसार जेंडर एक ऐसा अर्थ है जो सत्ता संबंधों द्वारा निर्मित होता है। विशेष कायदे कानूनों के जरिये स्त्री पुरूष शरीरों को एक विशेष प्रकार की पहचान दी जाती है। अमेरिका में अन्तरलिंगी शिशुओं (ऐसे शिशु जिनमें डिंब व वृषण ग्रंथि दोनों होते हैं या जिनके जननांग अस्पष्ट होते हैं) के अध्ययन में सुजैन कैस्टर ने बतलाया कि ऐसे शिशुओं के लिंग निर्धारित करने के लिए चिकित्सीय निर्णय जैविक लक्षणों के बजाय सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर लिये जाते हैं। उदाहरण के लिए अन्तरलिंगी शिशुओं को पुरुष बना दिया जाता है फिर उसे जीवन भर हार्मोन थैरेपी दी जाती है। एलीसन जैगर भी मानती है कि उम्र बढ़ने पर बच्चे का सेक्स उभर कर जो सामने आने लगता है, माँ–बाप उस जैवकीय सत्य को न स्वीकार कर जो लिंग बच्चे का बताया जाता है उसके आधार पर सर्जरी को प्राथमिकता देते हैं। इससे प्रतीत होता है कि जेंडर जैवकीय तत्व से अधिक प्रभावी होता है।

आज स्त्री अपनी जैविक पहचान से वर्गीय पहचान ऊपर रख सकती है। प्राथमिक रूप से स्वयं को जेंडर के संदर्भ में देख सकती है। दुनिया की सभी स्त्रियों के हित, जीवन, परिस्थितियाँ साझा हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए देखा गया है कि उन्हें एक महिला आंदोलन की तुलना में अन्य आंदोलनों के जरिये संगठित कर पाना ज्यादा सरल है। दुनिया के लगभग सभी संगठित धर्म महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम मानता है। यह माना जा सकता है कि महिलाएँ अपनी जेंडर पहचान को ऊपर रखती हैं। अतः सेक्स जेंडर पहचान में हमेशा जेंडर पहचान चाहती है।

लैंगिक असमानता या जेंडर असमानता, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें स्त्री–पुरूष दोनों ही शामिल हैं। पितृसत्तात्मक सोच को खत्म करने के लिए जरूरी है कि पुरूषत्व की अहंवादी सोच पर भी अंकुश लगाया जाये और इसीलिए अब इसे नारीवादी आंदोलन के रूप में न देख कर लैंगिक असमानता या जेंडर के रूप में देखा जाता है।

लिंग आधारित काम का बंटवारा –

महिला पुरूष के लिए अलग–अलग काम का बंटवारा है। महिलाएं वही कार्य करती हैं जिसका कहीं कोई मान्यता नहीं है। घरों में किये जाने वाले काम की गिनती श्रम में नहीं है। वहीं गर्भधारण से लेकर बच्चा पैदा करने तक जो शारीरिक–मानसिक हानि होती है उसको भी मान्यता नहीं है। घरों में किये जाने वाले कार्य जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, बच्चों की देखभाल, पानी भरना, बगीचे में काम करना, बर्तन साफ करना, खाना परोसना, सफाई करना आदि पुरूष करते हैं तो उसके लिए उन्हें भुगतान प्राप्त होता है। यही कार्य यदि महिला घर में करती है तो उसे श्रम की गणना नहीं होती न ही उसका उन्हें कोई भुगतान प्राप्त होता है।

उपर्युक्त प्रक्रिया सामाजीकरण की प्रक्रिया में सदियों से दोहराई जा रही है। स्त्री–पुरूष विभेद की यह अवधारणा सामाजिक सीख के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति की भांति हस्तान्तरित होती है। अर्थात विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से समाज बाल्यावस्था से ही सिखाता है कि यदि लड़की हो तो ऐसा व्यवहार करो, लड़का हो तो ऐसा व्यवहार करो। इन धारणाओं का प्रचलन अपने तथा आस–पास के घरों में सरलता से देखा जा सकता है। इस श्रृंखला को तोड़े बिना स्त्री–पुरूष सह–संबंध की नवीन अवधारणा विकसित नहीं की जा सकती। इसलिए वर्तमान में समस्त प्रचिलित अवधारणाओं की पड़ताल आवश्यक है।

हमने जाना

- बोलचाल की भाषा में प्रायः जेंडर तथा सेक्स शब्दों का उपयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। जबकि दोनो में भिन्नता है।
- सेक्स एक प्राकृतिक एवं प्राणीशास्त्रीय प्रत्यय है, जबकि जेंडर इसके आधार पर सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से जुडा शब्द है। दूसरे शब्दों में स्त्री या पुरुष होना सेक्स है जबकि इसके आधार पर पुरुष और स्त्री के प्रति दृष्टिकोण (भेदभावमूलक) जेंडर के रूप में अभिव्यक्त होता है।
- एलीसन जैगर के अनुसार सेक्स व जेंडर एक–दूसरे के साथ द्वंदात्मक रूप से संबंधित हैं और अविभाज्य हैं। इसलिये सेक्स का रिश्ता प्रकृति से है और जेंडर का संस्कृति से है।
- जेंडर के बारे में रेडिकल नारीवादियों का मत है कि प्रजनन की जैविक क्षमता के कारण स्त्रियाँ ज्यादा संवेदनशील और प्रकृति के ज्यादा निकट होती हैं।

- कुछ विचारकों का मानना है कि पुरुषत्व व नारीत्व का संकीर्ण द्विध्रुवीय मॉडल और नारीत्व का अवमूल्यन पश्चिमी सभ्यता की देन है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार की यौनिक पहचानों के लिये अधिक स्थान उपलब्ध था।
- लैंगिक असमानता का अर्थ है –लिंग के आधार पर भेदभाव। लैंगिक असमानता या जेंडर असमानता एक ऐसा मुद्दा है। जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। पितृसत्तात्मक सोच को खत्म करने के लिये जरूरी है कि पुरुषत्व की अहमवादी सोच पर भी अंकुश लगाया जाये।

कठिन शब्दों के अर्थ

- सेक्स : प्रकृति द्वारा बनाई गई स्त्री और पुरुष की शारीरिक संरचना में अंतर है। यह अंतर सेक्स कहलाता है।
- जेंडर : शारीरिक संरचना में अंतर के आधार पर सामाजिक व अन्य प्रकार का भेदभाव जेंडर कहलाता है।
- गुणसूत्र : जन्म के समय लिंग के निर्धारण का आधार।
- हार्मोन : शारीरिक संरचनाओं के निर्माण एवं विकास के लिये विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव।
- लैंगिक असमानता : लिंग के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या कमतर समझना।

अभ्यास के प्रश्न

- जेंडर तथा सेक्स में अन्तर स्पष्ट कीजिये?
- लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं?
- गुणसूत्र तथा हार्मोन से आप क्या समझते हैं? जैविक विकास में इनकी क्या भूमिका है।
- भारतीय महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए।
- सामाजीकरण की प्रक्रिया में बाल्यावस्था से ही समाज का प्रभाव किस रूप में पड़ता है? स्पष्ट कीजिए।
- लैंगिक असमानता में विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को कठिन बना दिया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए।
- लिंग के आधार पर कार्य और दायित्व के विभाजन की अवधारणा को आप सही ठहराते हैं या गलत? अपने मत के समर्थन में तर्क दीजिये।

आओ करके देखें

संसाधनों तक पहुंच व नियंत्रण, निर्णय प्रकिया में भागीदारी

भारतीय समाज में स्त्रियों के अधिकारों से ज्यादा कर्तव्य है। वहीं पुरूषों को अधिकार ज्यादा कर्तव्य कम है। हम इसे एक अभ्यास से देख सकते हैं। विभिन्न कार्यों का विवरण लिखते हुये टिक लगाया जाये कि कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाता है--

विवरण	कार्य	महिला	पुरूष
बच्चे पालन पोषण से संबंधित कार्य (गर्भधारण से लेकर शादी तक का विवरण)			
परिवार की संपत्ति का विवरण (आय के स्रोत से लेकर व्यय करने तक के कार्य का विवरण)			
परिवार की देखभाल के कार्य (शादी के बाद नव दंपत्ति द्वारा परिवार के प्रति किये जाने वाले समस्त कार्य)			
कृषि संबंधित कार्य (बुआई, जुतायी, निंदायी गुड़ायी से लेकर फसल काटने और बेचने तक के समस्त कार्य)			
मजदूरी से संबंधित कार्य (मजदूरी में किये जाने वाले स्त्री पुरूष के कार्य, मजदूरी की अदायगी)			
बैंक में खाता, संपत्ति में नाम			
विवाह में चयन का अधिकार			

उपरोक्त अभ्यास में हम देख सकते हैं कि अधिकारों एवं कर्तव्यों का पलड़ा किसके तरफ है। महिलाओं के कर्तव्य और पुरूषों को अधिकार यहां तक कि पितृसत्ता में स्त्री की मातृत्व को भी नियंत्रित किया जाता है। कब गर्भधारण करना है, किस लिंग का बच्चा पैदा करना है और कितने बच्चे पैदा करना है अपनी कोख होने के बाद भी महिला नहीं तय कर सकती। जेंडर असमानता की इतनी व्यापकता हमें किसी और संदर्भ में देखने को नहीं मिलती। इसी प्रकार महिला नौकरी करती है और वेतन पाती है लेकिन उसे कहां और किस पर खर्च करना है यह निर्णय पुरूष द्वारा किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय का गठन किया गया है। इसकी अनेक शाखाएँ हैं। वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक अनेक संस्थायें एवं संगठन, महिलाओं के मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। इनके द्वारा प्रकाशित, प्रसारित सामग्री से अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। स्त्री–विमर्श के रूप में यह बौद्धिक वर्ग में विचार–विनिमय का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इससे सम्बन्धित अनेक पुस्तकें, लेख इत्यादि प्रकाशित होते रहते हैं। रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रम भी महिला सशक्तिकरण विषयक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन सभी से महिलाओं के सशक्तिकरण के सम्बन्ध में सूचना, समाचार, संचार और प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है।

11.4 : कुप्रथाएं एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (Violence Against Women)

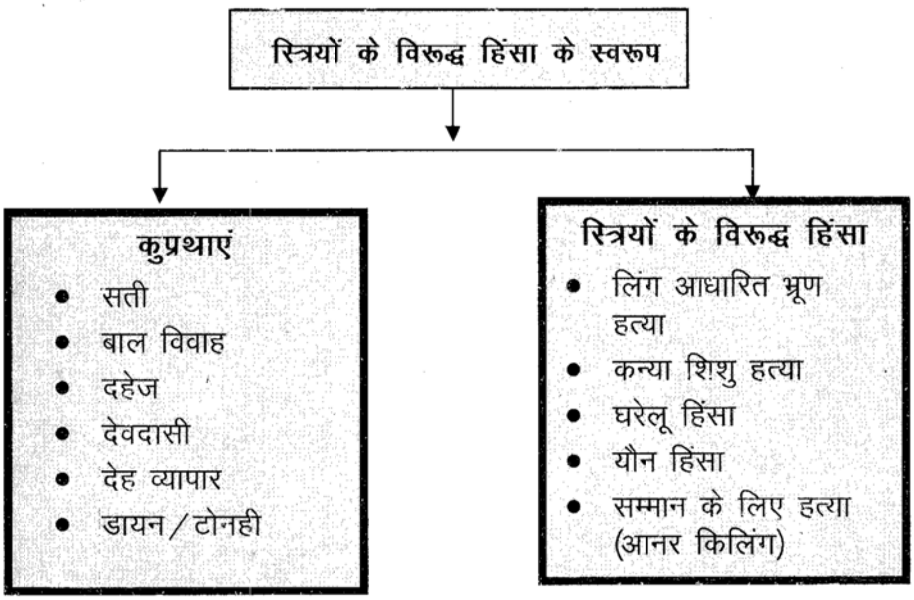
उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा किन–किन रूपों में हो रही है?
- समाज में प्रचलित कुप्रथाओं के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं?
- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अपेक्षाकृत नये–नये रूप कौन से हैं?
- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से विकास का मार्ग कैसे अवरूद्ध है और इसमें बदलाव के लिये किन उपायों को प्राथमिकता से किये जाने की आवश्यकता है?

11.4.1 : कुप्रथाएं तथा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा (Violence Against Women)

सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के अनेक प्रयासों के बाद भी देश के अनेक हिस्सों में आज भी कई कुप्रथाएं जीवित हैं। इन कुप्रथाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए उनके मूल में छिपी सामाजिक मानसिकता को समझना आवश्यक है। आज मुख्यत: स्त्रियों के जीवन में जिन कुप्रथाओं और हिंसा के स्वरूपों को सर्वाधिक देखा जा रहा है उन्हें दो भागों में बाँटकर देखा जा सकता है–



- **सती प्रथा** : मध्ययुग से ही इस क्रूर प्रथा को रोकने की अनेक चेष्टाएं हुई। यद्यपि इतिहास में यह भी दर्ज है कि सती होने से रोककर स्त्रियों को हरम में डाल दिया जाता था। 5वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकन्दर ने इस प्रथा को बन्द करवा दिया था। मुगल सम्राट अकबर व पेशवाओं के अलावा ईस्ट इंडिया कम्पनी के कुछ गवर्नर जनरलों जैसे लार्ड कार्नवालिस एवं लार्ड हैस्टिंग्स ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये। इस क्रूर प्रथा को कानूनी रूप से बन्द करने का श्रेय लार्ड विलियम बैंटिक को जाता है। राजा राममोहन राय ने बैंटिक के इस कार्य में सहयोग किया। राजा राममोहन राय ने अपने पत्र 'संवाद कौमुदी' के माध्यम से इस प्रथा का व्यापक विरोध किया। 1829 ई. में विधवाओं को जीवित जिन्दा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया। पहले यह नियम बंगाल प्रेसीडेंसी में लागू हुआ, परन्तु बाद में 1830 ई. के लगभग इसे बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। 19वीं शताब्दी में यह प्रथा नियंत्रित हो गई। फिर भी, घटना अक्टूबर 2008 की है। छत्तीसगढ़ के छेछर गांव में लंबी बिमारी के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। पति की मौत से दुखी उसकी पत्नी लालमती पति की जलती चिता में कूद गयी। वहाँ उपस्थित लोगों में किसी ने उसे रोकने की चेष्टा नहीं की बल्कि आजादी के 60 साल बाद हुई इस घटना के बाद लोगों ने लालमती को सती मइया के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इससे पहले सन् 1987 में राजस्थान में रूपकुंवर इसी प्रकार सती हुई थी। अतिशय भावुकता अथवा अवसाद में उठाये गए इस कदम का परिजनों तथा अन्य लोगों द्वारा नहीं रोका जाना इस बात का प्रमाण है कि इस मामले में आज भी मानसिकता वही है। सती आयोग (निवारण) अधिनियम 1987 (1988 में संशोधन) जैसे अधिनियमों के बाद भी इस तरह की घटनाएं समाज के दूषित मानसिकता को प्रतिबिंबित करती हैं। रूपकुंवर के सती बनने के बाद सरला माहेश्वरी ने एक कविता लिखी जिसमें वह रूपकुंवर से पूछती हैं कि क्या तुम्हें इस बात का डर था कि यदि देवी न बनी तो डायन बना दी जाओगी? उनकी यह कविता पठनीय है।



चित्र : 11.4.2 सती प्रथा

सच बतलाना रूपकंवर। किसने किसने किसने।। तुम्हारे इस सुंदर तन–मन को आग के सुपुर्द कर दिया/क्या तुम्हें डर था कि देवी न बनी तो डायन बना दी जाओगी/ क्या तुम्हें डर था/अपने उस समाज का/जहाँ विधवा की जिंदगी काले पानी की सजा से कम कठोर नहीं होती/लेकिन फिर भी/यकीन नहीं होता रूपकंवर/कि हिरणी की तरह चमकती तुम्हारी आंखों ने/यौवन से हुलसतें तुम्हारे बदन ने/ आग की लपटों में झुलसने से इंकार नहीं किया होगा।

- **बाल विवाह :** मध्ययुगीन समाज विवाह नामक संस्था पर कठोर नियंत्रण रखना चाहती थी। ताकि वयस्क होने पर इच्छा–अनिच्छा, पसंद–नापसंद, विद्रोह आदि की स्थिति से बचा जा सके। इसलिए लड़का तथा लड़की दोनों का विवाह कम उम्र में ही तय कर दिया जाता था। लड़कों को विशेषाधिकार के तहत बहुविवाह की अनुमति थी। इसके अलावा, बड़े बूढ़ों में पोते का मुंह देखने की कामना एवं विदेशी आक्रांताओं द्वारा लड़की को अपहरण तथा बलात्कार से बचाने के लिए कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अतः कई बार 75 वर्ष के वृद्ध के साथ 5 वर्ष की कन्या ब्याह दी जाती थी। यह समस्या समय के साथ बढ़ती चली गई तथा आज भी कई समुदायों में प्रचलित है।



चित्र : 11.4.3 बाल विवाह



चित्र : 11.4.4 सामूहिक बाल विवाह

बाल विवाह क्या है: भारतीय कानून के अनुसार बाल विवाह वह विवाह है– जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होती है।

बाल विवाह खतरनाक है क्योंकि–

- वैवाहिक संबंध के लिए शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता आवश्यक है। अल्प आयु में बने यौन संबंध से लड़कियाँ कई शारीरिक व्याधियों से पीड़ित हो जाती हैं। वैवाहिक संबंध के लिए भारतीय कानून में लड़कियों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की आयु 21 वर्ष होना जरूरी है।
- अल्पायु में लड़कियां गर्भधारण के योग्य नहीं होती हैं। यूनिसेफ चाइल्ड मैरिज इन्फॉर्मेशन शीट के मुताबिक अगर लड़की 20 साल से कम उम्र में मां बनती है तो 5 साल की उम्र तक बच्चे की मृत्यु का अंदेशा डेढ़ गुना बढ़ जाता है। कम उम्र में गर्भधारण तथा बार–बार गर्भपात लड़कियो के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसके अलावा एक सहज सा प्रश्न उठता है कि जो स्वयं बच्ची है वह भला अपने बच्चों की देख–भाल कैसे कर सकती है?

- गृहस्थी का भार उठाने के लिए पति–पत्नी दोनों का मानसिक रूप से परिपक्व होना भी आवश्यक है, ताकि वे साथ मिलकर जीवन के लिए जरूरी कामों में अपनी सहभागिता निभा सकें। गृहस्थी का दायित्व नन्हें कंधों पर डाल देना एक प्रकार की अमानवीयता है। छोटी उम्र में विवाह के बाद एक लड़की अपने कई अधिकारों से वंचित कर दी जाती है। जैसे–खेल–कूद, पढ़ाई–लिखाई, इच्छानुकूल आजीविका तथा व्यवसाय का चयन आदि।

भारत में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति : यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 प्रतिशत बाल विवाह भारत में होते हैं। 49 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम की आयु में हो जाती है। इस मामले में बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में सबसे बुरी स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

मार्च 2015 में जारी भारत की जनगणना–2011 के कुछ खास आंकड़े बताते हैं कि इस समय देश में 1.21 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनका बाल विवाह हुआ है। यह संख्या देश के कुल आयकर दाताओं की एक तिहाई है।

कहां रह गई कमी :

- राजा राममोहन राय से शुरू हुए संघर्ष के पौने दो सौ साल बीतने के बाद भी बाल–विवाह की बीमारी हमारे सामने खड़ी है। सन् 2012 में 14 वर्षीय भानु के दादा ने उसके माता–पिता को बताए बगैर 2 लाख रुपये में उसकी शादी 55 साल के आदमी के साथ करा दी। नवम्बर 2013 में परिवार ने शादी निरस्त करने के लिए मुकदमा लगाया। लेकिन अदालती प्रक्रिया जटिल साबित हुई। परिणाम स्वरूप दिसम्बर 2014 में लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शिकायती पत्र लिखने के बाद इस मामले में रोजाना सुनवाई होने लगी। कानून के जानकारों के अनुसार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू होने के बावजूद कई राज्यों में कानून को लागू कराने वाले नियम अब तक नहीं बने हैं। राजस्थान भी ऐसे राज्यों में शामिल है। फलतः अदालतें इसे सामान्य तलाक के मामले की तरह ले लेती है। जो लड़की के लिए बहुत भारी हो जाता है।
- पिछली जनगणना में बाल–विवाह के 1.21 करोड़ मामले दिखते हैं। जबकि पुलिस के पास मुश्किल से साल में कुछ सौ मामले ही दर्ज होते हैं अर्थात आज भी 99 प्रतिशत से अधिक बाल–विवाह गुप–चुप तरीके से हो रहे हैं। यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ **दोरा गिउस्ती** का कहना है, इस रफ्तार से बाल विवाह खत्म करने में 50 साल और लग जाएंगे।
- बाल विवाह का समर्थन करने वाले पहले से अधिक चतुर एवं चालाक हो गए हैं। अक्षय तृतीया (आखा तीज) के अवसर पर प्रायः पुलिस व्यवस्था चौकन्नी कर दी जाती है। इसलिए इस तरह का विवाह अक्षय तृतीया

(आखातीज) की आस–पास वाली तिथियों में होती है। जब प्रशासन की सख्ती थोड़ी कम रहती है। इसके अलावा प्रशासन को गुमराह करने के लिए विवाह स्थल दर्शाया कहीं जाता है और होता कहीं है। ऐसे में शिकायत के बावजूद ऐसे लोग पकड़ में नहीं आते।

2005 में **नेशनल प्लान फॉर चिल्ड्रन** के तहत 2010 तक बाल विवाह पूरी तरफ समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया तथापि सामाजिक सहयोग न मिलने कारण 2016 में भी यह लक्ष्य दूर ही प्रतीत हो रहा है। आप अपने आस–पास बाल विवाह को रोककर और इस बारे में जागरूकता बढ़ाकर अपने गाँव को बाल विवाह मुक्त गाँव बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर सकते हैं।

शाबाश बेटियों!

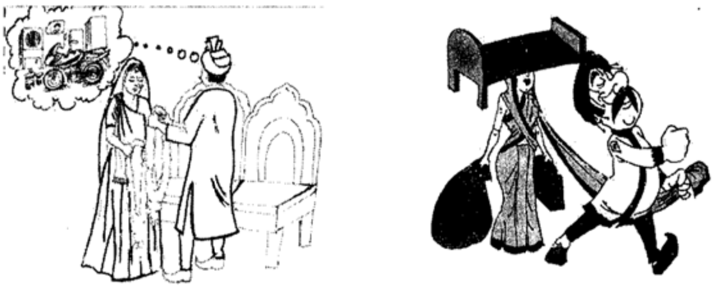
लक्ष्मी : देश में पहला बाल विवाह अदालत से निरस्त कराने वाली जोधपुर की लक्ष्मी की कहानी प्रेरक है। वह बचपन में अपने ननिहाल में थी। उसी बीच नाना की मौत हो गई। नानी ने घर की सुख–शांति के लिए उसका बाल विवाह करवा दिया। जब उसके ससुराल वाले उसे लेने आए तो उसने बगावत कर दी और अदालत से शादी निरस्त कराई। बाद में लक्ष्मी ने अपनी पसंद के लड़के से विवाह किया। राजस्थान के कुछ समुदायों में ऐसी मान्यता है कि किसी की मौत के 14 दिन के अंदर घर में विवाह करवाने से सुख–शांति आती है।

आरती : प्रदेश के दमोह जिले में रहने वाली नाबालिग आरती की शादी 30 अप्रैल, 2013 को होने वाली थी। आरती के पिता नहीं हैं। उसने अपने रिश्तेदारों को खूब समझाया पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। बहादुर आरती ने प्रशासन को अपने जन्मतिथि का प्रमाण भेजा तथा खत लिखकर शादी रुकवाने की मांग की। सरकारी टीम पुलिस बल के साथ गांव पहुंची। पहले परिवारवालों को समझाया गया। जब वे नहीं माने तो कानूनी ढंग से शादी रुकवा दी गई। लेकिन यह जज्बा आरती के लिए चुनौती साबित हुआ। विरोध तथा दबाव में मां–बेटी को गांव छोड़कर जाना पड़ा। बालिग होने के बाद आरती के मामा ने उसकी शादी उसी लड़के से कराई, जिसकी बारात तब आरती के संघर्ष के बाद लौटा दी गई थी।

- **दहेज प्रथा** : प्रारंभिक काल में जब नव वधुओं को गृहस्थी आरंभ करने हेतु उपहार स्वरूप दहेज दिए जाने की शुरूआत हुई होगी तब संभवतः उन्हे इस बात का आभास नहीं रहा होगा कि यही उपहार भविष्य में नव वधुओं को जिन्दा जला दिये जाने का कारण बन जाएगा। इस प्रथा के कारण आज असंख्य नव वधुयें या तो मार डाली जाती हैं अथवा नर्क समान जीवन व्यतीत करने पर विवश होती हैं। यह ऐसी प्रथा है जिससे शिक्षित वर्ग भी मुक्त नहीं है। बड़े–बड़े घरानों में भी दहेज के लिए वधुओं को प्रताड़ित किया जाता है। इस समस्या का ही विस्तृत कुपरिणाम कन्या भ्रूण हत्या के रूप में हमारे सामने आया। लड़कियां बोझ समझी जाने लगीं। विवाह में होने वाले भारी भरकम खर्चों के कारण उन्हें शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया। सरकार द्वारा

1961 में ही दहेज विरोधी कानून पारित कर दिया गया, परंतु इसका सार्थक प्रभाव नहीं दिखा। इस कानून का सहारा लोग तभी लेते हैं जब दहेज के लिए किसी नव वधू की हत्या हो जाती है। अन्यथा दहेज मांग के विरूद्ध वधु पक्ष से भी आवाज नहीं उठायी जाती है। इसका एक कुपरिणाम यह हुआ कि अमीर वर्ग इस प्रथा के जरिये अपने शान और शौकत का प्रदर्शन करने लगा। जबकि गरीब तबका बिटिया के बड़े होते ही एड़ियां घिसने को मजबूर हो गया। यह अलग बात है कि कई बार अमीर घराने की बेटियां भी दहेज लोभियों की शिकार हो जाती हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों से साल 2014 में दहेज हत्या के 8,455 मामले सामने आए। केन्द्र सरकार की ओर से जुलाई 2015 में जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते तीन सालों में देश में दहेज संबंधी कारणों से मौत का आंकड़ा 23,771 था, जिनमें से 7,048 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश से थे। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश में क्रमशः 3,830 और 2,252 मौतों का आंकड़ा सामने आया।



चित्र : 11.4.5 दहेज प्रथा

- **देवदासी प्रथा** : भारत में यौन शोषण को सर्वप्रथम संस्थागत रूप देने का प्रयास है– देवदासी प्रथा। यह प्रथा मुख्य रूप से दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में पुष्पित–पल्लवित हुई। इतिहासकारों के अनुसार इसकी शुरूआत संभवतः 6वीं शताब्दी में हुई थी। इसी काल में सर्वाधिक पुराणों की रचना हुई! विद्वानों का यह भी मानना है कि देवदासी शब्द का प्रथम प्रयोग चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया था। देवदासी ऐसी स्त्रियाँ होती हैं जो आजन्म अविवाहित रहकर मंदिर में सेवा कार्य करती हैं। इस प्रथा में माता–पिता स्वेच्छा से अपनी पुत्री को बाल्यावस्था में ही देवी एलम्या को समर्पित कर देते हैं। मंदिर में ही इन्हें नृत्य संगीत की दीक्षा दी जाती थी। ईश्वर की सेवा को समर्पित देवदासियां समाज के आभिजात्य वर्ग के हाथों शोषित होने के लिए विवश होती थीं। इन्हें अतीत मान लेना भूल होगी क्योंकि दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी किसी न किसी रूप में देवदासियों का अस्तित्व है।



चित्र : 11.4.6 देवदासी प्रथा

कर्नाटक सरकार ने 1982 में तथा आंध्र प्रदेश की सरकार ने 1988 में इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। परंतु इससे पूर्व ही अनेक कारणों से मंदिरों में देवदासियों के लिए जीवन–यापन करना मुश्किल हो चुका था। 1990 में हुए एक सर्वेक्षण में 45.9 प्रतिशत देवदासियां वेश्यावृत्ति में संलग्न पायी गईं। शेष ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूर अथवा दिहाड़ी मजदूर बन गईं। परंतु यह प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। 2012 में प्रकाशित बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद में जनसुनवाई में 500 देवदासियां शामिल हुईं जिसमें उन्होंने अपनी दीन–हीन अवस्था के बारे में खुलकर बताया। इस जन सुनवाई में यह बात भी निकलकर समाने आई कि यौन शोषण के परिणाम स्वरूप बच्चों की संख्या हजारो में है। देवदासी लक्ष्मा इस जन सुनवाई में मांग रखती हैं कि सभी बच्चों का डी.एन.ए. टेस्ट करवाया जाए ताकि उनके पिता का पता लग सके और बच्चों को उनका हक मिल सके। **कट्टी पोसनी** नामक देवदासी कहती है कि– 'मैं चाहूं तब भी इसे नहीं निकल सकती क्योंकि अब मुझसे विवाह कौन करेगा और फिर मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता।' इसलिए इस समस्या को समाप्त मानकर आंखे मूंद लेना उचित नहीं है। यह आवश्यक है कि स्वयंसेवी संस्थाएं सरकारी तंत्र के साथ मिलकर इन्हें इस घृणित दुनियां से बाहर निकालकर इनके पुनर्वास की व्यवस्था करें।

- **देह व्यापार** : देह व्यापार आदिकाल से अलग–अलग स्वरूपों में विद्यमान रहा है। संस्कृत श्लोकों में इन्हें रूपजीवा, पण्यैक्रेता स्त्री अर्थात जिसे रूपया देकर क्रय किया गया हो, कहा गया है। कई ग्रंथों में नगरवधु का उल्लेख मिलता है।

वर्तमान युग में देह व्यापार स्थल को हम चकला अथवा रेड लाईट ऐरिया के नाम से जानते हैं। आज देश में कुल 1170 ज्ञात चकला घर हैं। देश के विभिन्न कोनों से लड़कियां अपहृत कर जबरन इस धंधे में धकेली जा रही हैं। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के सभी प्रयास अभी तक असफल ही साबित हुए हैं। एक अध्ययन के अनुसार देश में यौन कर्मियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1997 में इनकी संख्या 20 लाख थी जो 2003–2004 में बढ़कर 30 लाख हो गई।

दो वयस्कों के यौन संबंध को, यदि वह जन शिष्टाचार के विपरीत न हो, कानून व्यक्तिगत मानता है, जो दंडनीय नहीं है। भारतीय दण्डविधान 1860 से वेश्यावृत्ति उन्मूलन विधेयक 1956 तक सभी कानून सामान्यतया वेश्यालयों के कार्य व्यापार को संयत एवं नियंत्रित रखने तक ही प्रभावी रहे हैं। वेश्यावृत्ति का उन्मूलन सरल नहीं है, पर ऐसे सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए जिससे इस व्यवसाय को प्रोत्साहन न मिले क्योंकि यह व्यवसाय एक मनुष्य के लिये या स्वयं स्त्री के लिए किसी भी प्रकार से हितकर नहीं है।

परम्परागत **देह व्यापार** : भारत में कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जहां देह व्यापार को न केवल सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है बल्कि यह सदियों से चली आ रही परंपरा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां के लोग इसे कोई बदनामी नहीं मानते। उनके अनुसार यह सब उनकी जीवन शैली का हिस्सा है और उन्हें इस पर कोई शर्मिन्दगी नहीं है। कई स्थानों पर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था इसी धंधे पर टिकी है।

- **डायन अथवा टोनही प्रथा** : 8 अगस्त, 2015 **सुबह** की अखबार में एक खबर छपी कि झारखण्ड में रांची से 37 किलोमीटर दूर मांडर थाने के कजिया गांव में कुछ लोगों ने घर का दरवाजा तोड़कर महिलाओं को निकाला और उन्हें डायन बताकर मार डाला। पांचो औरतें अलग–अलग परिवार से थीं। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि झारखण्ड राज्य बनने से लेकर 2015 तक 1200 महिलाओं को डायन बताकर राज्य में मार डाला गया। जबकि देश में पिछले दो दशक में 1385 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। इससे पहले भी देश के अन्य हिस्सों में इस तरह की खबर छपी थीं और इस घटना के बाद भी कई औरतें डायन बताकर मार डाली गयीं। सवाल यह उठता है कि क्यों कोई औरत डायन बताकर मार डाली जाती है। विकास अध्ययन संस्थान की **प्रोफेसर कंचन माथुर** गांव–गांव गई और लगभग 60 डायन करार दी गई महिलाओं से मिलीं। उन्होंने पाया कि ऐसी ज्यादातर महिलाएं गरीब



चित्र : 11.4.7 डायन या टोनही मानकर महिला के साथ हिंसा

पिछड़े, समाज से होती हैं। डायन करार दिये जाने का कारण बहुत ही छोटा है **जैसे–गाय ने दूध देना बंद कर दिया**, किसी बच्चे की मौत हो जाना, कूंए का पानी सूख जाना आदि। जबकि कई मामलों में सम्पत्ति हड़प लेने की नीयत भी सामने आती है। डायन करार दी गई औरतों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है जैसे– बाल मूड़ देना, यौन उत्पीड़न, गांव से निकाल देना और अंत में हत्या कर देना। देश में अभी भी इस से संबंधित केंद्रीय कानून का अभाव है। परंतु उल्लेखनीय है कि यह कानून से अधिक स्त्रियों के प्रति

सामाजिक असहिष्णुता का मामला है। स्त्री हिंसा तथा अन्य हिंसाओं के लिए अनेक कानून पहले से ही निर्मित हैं। यदि इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर गम्भीरता से लिया जाता तो संभवतः स्थिति इतनी भयावह नहीं होती।

11.4.2 : महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अन्य रूप (Other Forms of Violence Against Women)

देश की स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं को कई कानूनी अधिकार प्राप्त हुए, तथापि सामाजिक स्तर पर अभी भी शोचनीय स्थिति बनी हुई है। गर्भस्थ कन्या भ्रूण से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक परिवार तथा समाज द्वारा स्त्रियाँ आज भी प्रताड़ित हो रहीं है। इस प्रताड़ना की शुरूआत गर्भ से ही हो जाती है तथा जीवन भर अपने विभिन्न स्वरूपों में स्त्री जीवन को प्रभावित करती है।

- **कन्या शिशु हत्या** : यह प्रवृत्ति मध्ययुग की देन है। लड़कियों की सुरक्षा उस समय बहुत बड़ा प्रश्न माना जाता था। विवाह में दहेज का प्रचलन बढ़ने लगा। पुत्रवती स्त्रियाँ सम्मान की पात्र होती थीं। परिणाम स्वरूप विभिन्न समुदायों में असुरक्षा की भावना उभरी तथा दहेज जुटाने में असमर्थ माता–पिता जन्म लेते ही कन्या शिशु की हत्या कर देते थे। यह कुप्रवृत्ति अनेक समुदायों समाजों में आज भी देखी जा सकती है। हत्या के लिए, जमीन में जिंदा गाड़ देना, ढेर सारा नमक अथवा तम्बाकू मुंह में भर देना, माता के दूध से वंचित कर कई दिनों तक भूखा रखना आदि उपाय किये जाते थे। **चंबल क्षेत्र** के सुदूर गांवों में आज भी एक रिवाज है जिसमे लड़की पैदा होने पर उसके मुंह में तम्बाकू भरकर झूले में झूलाते हुए एक गीत गाया जाता है जिसका सार है– **लाली जा लाला को ले आ।** इसी प्रकार बिटिया को मौत की नींद सुलाते समय पंजाब में यह लोरी गायी जाती है– गुड़ खावीं, खा के जावीं, वीर नूं घल्लीं, आप ना आवीं।



चित्र : 11.4.8 भ्रूण परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या

कारणः कन्या भ्रूण हत्या तथा कन्या शिशु हत्या के पीछे भारतीय समाज में व्याप्त पुत्र–पुत्री में भेद करने वाली अनेक प्रचिलित धारणाएं उत्तरदायी हैं। जैसे –

- **पुत्र ही वंश को आगे बढ़ाता है। पुत्र बुढ़ापे की लाठी है। पुत्र नहीं होने पर सद्गति प्राप्त नहीं होती। पुत्री पराया धन है।**
- **लिंग आधारित भ्रूण** हत्या **: बात** कुछ ही दिन पहले की है। एक महिला चिकित्सक के सामने एक युवती गिड़गिड़ा रही थी– मैडम, बता दीजिए लड़का है या लड़की, मेरी पहले से ही तीन लड़कियां हैं, अगर इस बार भी लड़की हुई तो ससुराल वाले मार डालेंगे। महिला चिकित्सिक ने उसके परिवार वालों को बुलाकर समझाना चाहा पर वे टस से मस नहीं हुए। तब चिकित्सक ने अंतिम हथियार के रूप में उन्हें उस कानून के बारे में बताया जिसमें लिंग परीक्षण गैरकानूनी बताया गया है। उस लड़की के ससुराल वाले उस वक्त तो लौट गए मगर पता चला उस लड़की को यह कहकर मायके भेज दिया गया, कि अगर लड़का हुआ तभी वापस आना। अब लड़की के मायके वाले गैर कानूनी तरीके से लिंग परीक्षण का ठिकाना ढूंढने में व्यस्त हो गए।

भ्रूण नष्ट कर देने की यह प्रवृत्ति कन्या भ्रूण हत्या के नाम से जानी जाती है। प्रश्न उठता है क्या कन्या भ्रूण को नष्ट करना हत्या है? यह एक सामाजिक धारणा है कि वंश पुत्र से चलता है। पुत्र ही परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है। पुत्र के द्वारा किये गये संस्कारों से वह सीधे स्वर्ग पहुंचता है। कन्या कमजोर और पराया धन होती है। पुत्री के विवाह की रकम जमा करते–करते पिता कमजोर होकर कर्ज में डूब जाता है। पुत्र के जन्म से ऐसी परेशानियाँ नहीं आतीं हैं। अतः लैंगिक दुर्भावना से प्रेरित होकर यह जानकारी होते ही कि गर्भस्थ शिशु कन्या है–गर्भपात करा दिया जाता है। कन्या भ्रूण की पहचान हो जाने के बाद करवाया जाने वाला यह कृत्य भले ही बोलचाल की भाषा में गर्भपात कहा जाए पर वास्तव में यह लिंग आधारित भ्रूण हत्या है।

चिकित्सा विज्ञान में अल्ट्रासाउंड टेस्ट एक चमत्कार माना जा सकता है। इस टेस्ट से गर्भस्थ शिशु में होने वाली समस्याओं तथा प्रसवकालीन समस्याओं के निदान में चिकित्सा जगत को अपार सफलता मिली। इस टेस्ट से गर्भस्थ शिशु का लिंग भी उजागर होने लगा। परिणामस्वरूप लिंग आधारित भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति सामने आई जो समय के साथ बढ़ती चली गई। लिंगानुपात के आंकड़ों में हैरतअंगेज असमानता दिखने के बाद अल्ट्रासाउंड टेस्ट के द्वारा लिंग परीक्षण सरकार द्वारा पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) एक्ट के तहत अवैध घोषित कर दिया गया है। **इस एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी आगे की इकाई 5 में दी जाएगी।**

दुष्परिणाम : भ्रूण हत्या तथा कन्या शिशु हत्या का सीधा असर देश में स्त्री–पुरूष अनुपात में देखा गया। पुरूषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या में हो रही गिरावट होश उड़ाने वाली है। निम्नलिखित चार्ट में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के अनुपात में स्त्रियों की संख्या तथा 0–6 वर्ष तक आयु के शिशु लिंगानुसार पर दृष्टि डाली जा सकती है–

2011 की जनगणना में लैंगिक अनुपात

क्रम	राज्य	स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरूष	शिशु लिंगानुपात
1	केरल	1084	964
2	पुडुचेरी	1037	967
3	तमिलनाडु	996	943
4	आंध्र प्रदेश	993	939
5	छत्तीसगढ़	991	969
6	मेघालय	989	970
7	मणिपुर	985	930
8	उड़ीसा	979	941
9	मिजोरम	976	970
10	गोआ	973	942
11	कर्नाटक	973	948
12	हिमांचल प्रदेश	972	909

13	उत्तराखण्ड	963	890
14	त्रिपुरा	960	957
15	आसाम	958	962
16	पश्चिम बंगाल	950	956
17	झारखण्ड	948	948
18	लक्ष्यद्वीप	946	911
19	अरूणाचल प्रदेश	938	972
20	नागालैंड	931	943
21	मध्य प्रदेश	931	918
22	महाराष्ट्र	929	894
23	राजस्थान	928	888
24	गुजरात	919	890
25	बिहार	918	935
26	उत्तर प्रदेश	912	902
27	पंजाब	895	846
28	सिक्किम	890	957
29	जम्मू तथा कश्मीर	889	862

30	हरियाणा	879	834
31	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	876	968
32	दिल्ली	868	871
33	चंडीगढ़	818	880
34	दादर नगर हवेली	774	926
35	दमन दीप	618	904

आजादी के समय भारत में स्त्री–पुरूष का आंकड़ा समान था। मध्ययुगीन सभ्यता से प्रभावित होने तथा कई आक्रमणकारी शासकों को झेलने के बाद भी पुत्रियों की हत्या जैसी प्रवृत्ति संभवतः उस समय कम रही होगी। इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि स्वतंत्रता के बाद हुई समस्त जनगणनाओं में स्त्री–पुरुष अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। 2001 तथा 2011 की जनगणना के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि केरल तथा पुडुचेरी जैसे राज्यों में स्त्रियों का अनुपात बेहतर है जबकि राजधानी दिल्ली, दमन दीप जैसे स्थानों पर चिंताजनक है।

लैंगिक अनुपात को संतुलित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य अथवा केन्द्र शासन की नहीं है। यह जिम्मेदारी समाज के कंधों पर भी आ गई है। स्वस्थ समाज की संरचना के लिए स्त्री तथा पुरूष की संख्या में संतुलन आवश्यक है। असंतुलित अनुपात से भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे–

- बहुपति विवाह की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कई लड़के कुंवारे रह जाएंगे। लड़कियों की तस्करी बढ़ेगी। पत्नी क्रय करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्रय करने में असमर्थ व्यक्ति उन पर हमले करेगा तथा अवसादग्रस्त हो जाएगा।

- लड़कियों की संख्या कम होने पर हम एक ऐसे समाज में जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे जहां दिन–रात औरतों के लिए छीना–झपटी मची होगी। इस स्थिति की शुरूआत हरियाणा तथा उड़ीसा में प्रारंभ हो चुकी है, जहां शादी के लिए देशभर से लड़कियाँ खरीदकर लायी जा रही हैं।

- **घरेलू हिंसा :** भारतीय समाज में स्त्रियों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की जड़ें बहुत गहरी हैं। अनेक परिवारों में छोटी–छोटी बातों पर स्त्रियों पर हाथ उठा देना, उसे गाली देना, सुविधाओं से वंचित रखना आम बात है। समाजिक व्यवस्था द्वारा स्वीकृत होने के कारण स्त्रियाँ इसका विरोध करने का साहस नहीं कर पाती हैं। प्रायः अपने साथ हुए हिंसा के विषय में जैसे ही वह मुंह खोलती है रिश्तेदार तथा समाज उन्हें बदचलन घोषित कर देता है।



चित्र : 11.4.9 घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा क्या है : देश में वर्ष 2005 में घरेलू हिसां अधिनियम लागू हुआ। इसे विस्तृत अर्थ में परिभाषित करते हुए इसमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की प्रताड़नाओं का उल्लेख किया गया है।

कारण : पारिवारिक व्यवस्था में सहज रूप से लड़की को कमजोर तथा लड़के को साहसी बहादुर आदि मान लिया जाता है। इस व्यवस्था में शादी होते ही पुरुष को पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार मिल जाता है। कुछ परिवारों में तो स्त्रियां परम्परागत रूप से पशुवत समझीं जाती हैं। इस लिए परिवार के सभी सदस्यों में उन्हें हीन समझने की प्रवृत्ति होती है। परंतु घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामलों में दहेज, पुत्र न होना, पति का शराबी तथा जुआरी होना, विवाहेत्तर संबंध अथवा शक प्रमुख कारण होते हैं।

कानून के प्रति समाज का रवैया : स्त्रियों के साथ घर में होने वाली हिंसा पर अंकुश लगा पाना देश की कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। किसी भी कानून का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब उसमें समाज की सक्रिय भागीदारी होती है। घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए बने कानून के प्रति समाज प्रारंभ से ही उदासीन रहा है क्योंकि यह उन्हें विरासत में स्त्री को मारने–पीटने के विशेषाधिकार से वंचित करता है। समाज की बनावट एवं बुनावट इस प्रकार की है कि स्त्रियाँ कानून का सहारा लेने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं।

स्त्रियाँ कानून का सहारा लेने से क्यों कतराती हैं : इस समस्या के पीछे कई कारण हैं जिनकी विवेचना निम्नांकित रूप से की जा सकती है–

- **परम्परा :** अनेक परिवारों मे बच्चे बचपन से ही माता को पिता से प्रताड़ित होते हुए तथा माता को चुपचाप सहते हुए देखते हैं। मातायें पुत्रियों को सिखाती हैं कि स्त्री को सहनशील होना चाहिए। ऐसे वातावरण में पलने वाला पुत्र माता की दयनीय स्थिति को देखकर क्रोधित अवश्य होता है परंतु स्वयं पति बनने के बाद वैसा ही बर्ताव अपनी पत्नी के साथ करता है। बचपन में देखा हुआ व्यवहार युवावस्था तक आते–आते सीख

बन जाता है। दूसरी तरफ लड़कियां जब पत्नी बनती हैं तो अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को सामान्य समझकर स्वीकार कर लेती हैं।

- **अशिक्षा** : अशिक्षित स्त्रियाँ स्वाभिमान तथा अपने अधिकारों के प्रति न सचेत होती हैं न उनमें प्रतिरोध की क्षमता विकसित हो पाती है।
- **आर्थिक रूप से आश्रित होना** : प्रायः स्त्रियाँ इसलिए भी प्रतिरोध नहीं कर पाती हैं क्योंकि विरोध करते ही उन्हें घर से निकाल दिए जाने का भय होता है। ऐसे में अपनी तथा अपने बच्चे के भविष्य की चिंता उन्हें सब कुछ चुपचाप सहने पर मजबूर कर देती है।
- **सामाजिक प्रताड़ना** : भारतीय सामाजिक व्यवस्था जुझारू तथा हिम्मती स्त्री को प्रोत्साहित नहीं करती। स्त्री ने पति को छोड़ा अथवा पति ने स्त्री को छोड़ा दोनों ही स्थिति में वह परित्यक्ता ही कही जाती है। ऐसी स्त्री को बदचलन करार देना आम बात है। यदि इसके बाद भी कोई स्त्री ऐसी हिम्मत करती है तो समाज का पुरुष वर्ग उसे सहज उपलब्ध मान लेता है।
- **कानूनी समझ का अभाव** : हमारे समाज में आज भी अनेक सुशिक्षित स्त्रियों को भी अपने कानूनी अधिकार का ज्ञान नहीं है। जब अधिकार का ही ज्ञान नहीं तो उसे प्राप्त करने का सवाल कहां उठता है।
- **जटिल कानूनी प्रक्रिया** : घरेलू हिंसा का विरोध कर रही स्त्रियाँ प्रायः लम्बी कानूनी लड़ाई से तंग आकर समझौता कर लेती हैं।
- **भावुकता** : घरेलू हिंसा के खिलाफ भले ही सभी स्त्रियाँ कानून का सहारा नहीं लेती हों लेकिन कई उदाहरणों में वह घर छोड़कर चली जाती हैं तथा अपनी शिक्षा अथवा हुनर के अनुसार आजीविका चलाने लगती हैं। ऐसे मामलों में देखा गया कि पति तथा ससुराल वाले पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं, घर तथा बच्चों के भविष्य की दुहाई देते हैं, यदि तब भी स्त्री नहीं पिघलती तो पुरुष उसके प्रति अपने प्रेम का वास्ता देता है। इस बिंदु पर आकर मजबूत से मजबूत स्त्री मोम की तरह पिघल जाती है। बिना किसी ठोस आश्वासन के घर लौट जाती है। जहां कुछ ही दिन बाद पुराना किस्सा दोहराया जाने लगता है। कई बार ऐसे मामलों में स्त्रियों की हत्या भी कर दी जाती है।

- **यौन हिंसा** : आज के समय में यौन हिंसा के तहत सिर्फ बलात्कार को ही नहीं रखा गया है। भारतीय कानून में बलात्कार के अतिरिक्त घूरना, गलत नियत से छूने का प्रयास करना, गंदे इशारे तथा टिप्पणी करना आदि भी इस हिंसा में शामिल हैं।



चित्र : 11.4.10 यौन हिंसा



चित्र :11.4.11 कार्यस्थल पर यौन हिंसा

बलात्कार की समस्या : आए दिन समाचार पत्रों में बलात्कार की खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। बलात्कारियों में सिर्फ सड़क पर चलने वाले असामाजिक तत्व नहीं वरन् पिता, भाई, शिक्षक, चिकित्सक जैसे सम्मानित नामों का आना इस बात की गवाही देता है कि व्यक्ति आज भी स्त्रियों को मात्र उपभोग की वस्तु समझता है। भले ही वह बेटी ही क्यों न हो।

16 दिसम्बर, 2014 को दिल्ली में एक युवती अपने पुरुष मित्र के साथ सिनेमा देखने जाती है। लौटते वक्त उसे देर हो जाती है। वह एक चाटर्ड बस में लिफ्ट लेती है। उस बस में सवार ड्राइवर और उसके अन्य तीन साथी जिसमें एक नाबालिग भी होता है उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। वह युवती अंत तक संघर्ष करती है और उसे मृत मानते हुये सड़क के किनारे फेंक देते हैं। इस घटना ने देश भर को झकझोर दिया। प्रतिरोध का ऐसा स्वर इससे पहले कभी नहीं सुना गया। लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद कानून में बलात्कार के रेयरेस्ट ऑफ रेयर अर्थात दुर्लभ मामलों को फॉस्ट ट्रेक कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान बना। इस घटना को हम **निर्भया काण्ड** या **दामिनी काण्ड** के नाम से जानते हैं।

इस घटना के बाद देश भर में बहस छिड़ गई। कुछ सम्मानित पुरुषवादियों द्वारा उस लड़की को दोषी ठहराते हुए जो तर्क दिये गए उस पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है–

- लड़कियाँ भड़काउ कपड़े पहनती हैं इसलिए बलात्कार होता है।
- जब जब लड़कियाँ मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लाघेंगी तब–तब बलात्कार होगा ही।

- एक नेता ने बलात्कारियों का पक्ष लेते हुए कहा– लड़कों से गलती हो ही जाती है।
- वह इतनी रात को निकली ही क्यों?

इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समाज स्त्रियों को आज भी सात पर्दे के भीतर देखना चाहता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बलात्कार एक मनोविकार है जिसका कपड़ों से कोई लेना–देना नहीं है, क्योंकि बलात्कार की शिकार, दो महीने की बच्ची अथवा 75 साल की वृद्धा भी होती है। लक्ष्मण रेखा तथा मर्यादा ऐसे बलात्कार के बाद की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। स्त्रियों के साथ 'इज्जत' शब्द जुड़ा होने के कारण वह सामाजिक उपहास तथा निंदा का कारण बन जाती है। कई बार पीड़िता को बदचलन मान लिया जाता है। यहां तक कि कोई उससे विवाह करने को भी तैयार नहीं होता। शारीरिक और मानसिक रूप से वह टूट जाती है। ऐसी अवस्था में कई लड़कियाँ मौत को गले लगा लेती हैं तो कई विक्षिप्त हो जाती हैं।

आइये! स्थिति की गम्भीरता को आँकड़ों के आईने में देखते हैं–

- राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड के ताजा आँकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन लगभग 50 बलात्कार के मामले थानों में पंजीकृत होते हैं। इस प्रकार देशभर में प्रत्येक घंटे दो महिलाएँ बलात्कारियों का शिकार होती हैं, जबकि अनेक मामले दर्ज ही नहीं होते।

- भारत के विभिन्न राज्यों में बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश भी अग्रणी हैं, जहाँ 1,262 मामले दर्ज हुए, जबकि दूसरे और तीसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश 1,088 तथा महाराष्ट्र 818 रहे। इन तीनों प्रदेशों के आंकड़े मिला दिए जाएँ तो देश में दर्ज बलात्कार के कुल मामलों का 44.5 प्रतिशत इन्हीं तीनो राज्यों में दर्ज किया गया। यह आंकड़ा स्त्रोत राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का है।

- राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली बलात्कार के मामले में सबसे आगे है। पिछले कुछ दिनो में ही दिल्ली में कार में बलात्कार के कई सनसनी खेज मामले दर्ज हुए। दूसरी ओर राजस्थान की राजधानी जयपुर भी बलात्कार के मामलों में देशभर में पांचवें नम्बर पर है। दिल्ली, मुम्बई, भोपाल और पुणे के बाद जयपुर का नम्बर इस मामले में आता है। 2007 से 2011 की अवधि के दौरान इस मामले में दिल्ली नम्बर वन रही। **विश्व स्वास्थ संगठन** के एक अध्ययन के अनुसार, 'भारत में प्रत्येक 54वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है।' वहीं महिलाओं के विकास के लिए केन्द्र (Centre for development of women) के

अनुसार, 'भारत में प्रतिदिन 42 महिलायें बलात्कार का शिकार बनती हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 35वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है।'

- **सम्मान के लिए हत्या (आनर किलिंग)** : जैसा कि नाम से ही जाहिर है इस प्रकार की हत्याएं सम्मान के लिए की जाती हैं। भारतीय समाज में स्त्रियाँ घर की इज्जत मानी जाती हैं। जाति से बाहर जाकर विवाह करना अथवा एक ही गोत्र में शादी कर लेना समाज में अप्रतिष्ठा का कारण बन जाता है। इस प्रतिष्ठा के कारण भारत में प्रति वर्ष एक हजार युवक–युवतियों की हत्या कर दी जाती है। वास्तविक आंकड़ा कभी भी सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि कई मामले आत्महत्या या दुर्घटना करार देकर दबा दिए जाते हैं। इस माम्ले में युवक तथा युवती दोनों ही प्रायः जाति पंचायत के खूनी फैसलों के शिकार होते हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना होता है कि ये अपने पसन्द से जीवन साथी चुन लेते हैं।

ऐसा नहीं है कि इस समस्या के चंगुल में सिर्फ भारतीय जोड़े घुटन महसूस कर रहे हों। न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1991 में इराकी कुर्दिस्तान में 12,000 से भी अधिक स्त्रियों की सम्मान के नाम पर हत्या की गई। ब्रिटेन में हर साल 17 हजार से भी अधिक स्त्रियाँ इस तथाकथित सम्मान के लिए हिंसा का शिकार बनती हैं, जिसमें कई बार हत्या भी शामिल होती है। बी.बी.सी. की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में चार हजार से भी अधिक स्त्रियां **''ऑनर किलिंग''** का शिकार हुईं, वहां इस प्रथा को **'कारो–कारी'** के नाम से जाना जाता है। कभी–कभी पंचायती फैसले न हों तो भी सम्मान का विषय मानकर माता–पिता रिश्तेदार आदि अपने ही बच्चों की हत्या कर बैठते हैं। वर्तमान युग में सम्मानपूर्वक जीने के लिए उनका शिक्षित होना तथा आर्थिक रूप से सबल होना आवश्यक है। शिक्षिता, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान से भरी हुई एक स्त्री अनेक पीड़ितों के लिए एक मिसाल बन सकती है।

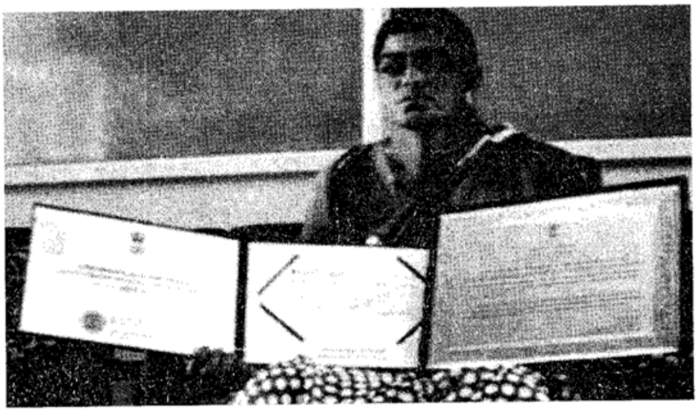
निराकरण : मनुष्य ने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। समाज में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। जो नियम अथवा अनुशासन आज प्रासंगिक हैं वह कल अनुपयोगी भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए कानून में भी संशोधन का प्रावधान किया जाता है। कोई भी सामाजिक नियम मनुष्य से ऊपर नहीं हो सकता। यह भी स्वीकार करना होगा कि एक झटके में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है इसके लिए सरकार, स्वयंसेवी संगठन तथा पीड़ित स्त्री समुदाय सभी को एक साथ

मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। यदि आपको हमारी बात में विश्वास न हो तो इन सच्ची घटनाओं से प्रेरणा लें आपके विचार बदल जायेगें।

तकदीर है इनकी मुट्ठी में

प्रधानमंत्री से सम्मानित होने वाली रेखा त्यागी

कुछ वर्ष पूर्व तक पांचवी कक्षा तक पढ़ी रेखा एक आम घरेलू महिलाओं की तरह घर में रहकर अपने तीन बच्चों का पालन--पोषण कर रही थीं। उनके पति किसान हैं। वे कई सालों से नुकसान झेल रहे थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें नष्ट हो जाती थीं। इस नुकसान से बचने के लिए रेखा स्वयं कमर कसकर खड़ी हो गईं। उन्होंने नई किस्म की फसल लगाने का विचार किया। इसके लिए वह अनुभवी किसानों तथा जिला कृषि अधिकारी से मिलीं।



कहते हैं कि हौसले के आगे किस्मत भी हार मान लेती है। यह कहानी है मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के जलालपुर गांव में रहने वाली रेखा त्यागी की। वह प्रदेश में बाजरे की खेती में बंपर पैदावार करने वाली प्रदेश की पहली महिला किसान हैं। रेखा की इस सफलता पर उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

उनसे सलाह मशविरा करने के बाद उन्होंने बाजरे की फसल लगाने का निर्णय किया। साथ ही, खेती की परंपरागत पद्धति छोड़कर नवीन वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। बीज, मिट्टी के परीक्षण के बाद खाद पानी पर भी उन्होंने यथासंभव जानकारी हासिल करने का प्रयत्न किया। प्रयोग के तौर पर खेत में सीधे बाजरा बोने की जगह छोटे पौधों को तैयार किया गया। पौधा तैयार होने के बाद उसे उखाड़कर पुनः खेतों में लगाया गया। परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बाजरे की फसल तैयार हुई। आम तौर पर परंपरागत तकनीक से प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल बाजरे की पैदावार होती है। परंतु रेखा के खेत में 40 क्विंटल बाजरे की पैदावार हुई। रेखा की इस सफलता की कहानी केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से होते हुए प्रधानमंत्री तक पहुंची। श्रीमती रेखा त्यागी को इसी वर्ष 19 मार्च को दिल्ली में आयोजित कृषि कर्मण पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया।

खुले में शौचमुक्त गांव का निर्माण करने वाली महिला सरपंच रितु पांचाल

उज्जैन जिले में जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर भिड़ावद नामक एक गांव है। इसी गांव में रहती हैं 21 वर्षीया महिला सरपंच रितु पांचाल। रितु विक्रम विश्वविद्यालय से एमबीए कर रही हैं तथा सरपंच पद से जुड़े दायित्वों को भी कुशलता से निभा रहीं हैं।

भिड़ावद, भिड़ावद क्र 3 तथा लोहरा ग्राम को मिलाकर बने ग्राम पंचायत की सरपंच बनते ही रितु ने गांव का कायाकल्प कर दिया। पहले जहां चारों तरफ कीचड़ नजर आता था वहां ग्रामीणों के सहयोग से सीमेंट कंक्रीट की सड़की बना डाली। अब इस गांव में नल जल योजना के तहत सबको पेय जल की सुविधा उपलब्ध है। मल–जल निकासी के लिए मुख्य मार्गों पर नालियां बनी हैं। आज यह गांव प्रदेश का पहला खुले में शौच मुक्त गांव है। रितु अब अपने गांव में वाई–फाई की सुविधा, ई–पंचायत भवन के निर्माण, सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाईट व्यवस्था तथा ई–समाधान केन्द्र खुलवाने जैसी योजना पर काम कर रही हैं।



ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनतीं सरपंच रितु पांचाल।

एक दादी जो आंगनबाड़ी केन्द्र की प्रेरणा है

होशंगाबाद के पांचराकलां आँगनवाड़ी केन्द्र–चार में बच्चों की पर्याप्त उपस्थिति में कृष्णा की दादी बसंती बाई की अहम भूमिका है। दादी स्वयं निरक्षर हैं, लेकिन वह अपने प्यारे पोते कृष्णा को हर–हाल में पढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए उसने आँगनवाड़ी के नर्सरी शिक्षा केन्द्र में पोते को भेजना शुरू किया। पोते ने अकेले शिक्षा केन्द्र जाने में आना–कानी की, तो दादी रोज उसके साथ केन्द्र जाने लगी। अब कृष्णा रोज दादी के साथ आँगनवाड़ी केन्द्र जाता है।दादी और कृष्णा की देखा–देखी गाँव के अनेक अभिभावक भी अपने बच्चों को दादी के साथ आँगनवाड़ी केन्द्र भेजने लगे हैं। दादी का कहना है बच्चों के बीच उनका समय आसानी से गुजर जाता है। मजे की बात यह है कि वे भी अक्षरों को जानने लगी। इस तरह से आँगनवाड़ी केन्द्र के लिए कृष्णा की दादी एक प्रेरक का कार्य कर रही हैं।



अंजलि भदौरिया जिसने फिल्म और मॉडलिंग की दुनिया में धूम मचा दी।

भिण्ड जिले के छोटे से गाँव किशुपुरा में जन्मी अंजू उर्फ अंजलि भदौरिया का गाँव से फिल्मी दुनिया का सफ़र काफी उतार–चढ़ाव भरा रहा है। लड़कियों के प्रति संकुचित सोच रखने वाले गाँव से फिल्मी दुनिया का सफर अंजू के लिए आसान नहीं था, किन्तु उसकी महत्वाकांक्षा तथा दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते यह संभव हुआ।

अंजू ने बारहवीं तक की पढ़ाई अपने गाँव से पूर्ण कर उच्च शिक्षा भिण्ड के चौधरी दिलीप सिंह कॉलेज से पूर्ण की। परिवार पर आर्थिक बोझ न बनने की सोच रखते हुए, अंजू ने एक स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्य किया और स्वयं के खर्च से पढ़ाई पूरी की। लोगों के तानों की परवाह न करते हुए अंजू निरंतर आगे बढ़ती गईं। फौजी पिता की सोच ''अगर बेटियों को अवसर दिया जाए तो वे भी लड़कों से कम नहीं '' ने भी अंजू का मनोबल बढ़ाया।

बी.एससी. के बाद अंजू ने एयर होस्टेस बनने के लिए इंदौर में प्रशिक्षण लिया। इस दौरान जेट एयरवेज में नौकरी भी की। एक दिन विमान यात्रा के दौरान ही टी.वी. एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री फूल सिंह की सलाह पर उसने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। दूरदर्शन में 'नैंसी' धारावाहिक के एसीपी आकांक्षा शर्मा के किरदार ने अंजू की दुनिया ही बदल दी। फिल्मी दुनिया में निरंतर आगे बढ़ते हुए अंजू ने कई टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया। इनमें ''महादेव'', ''ये कैसी है जिन्दगी'' आदि शामिल है। 'अफसर बिटिया' धारावाहिक में अंजू महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं। आज छोटे से गाँव की बेटी अंजू किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बेटी को बोझ समझने वाले समाज के लिए अंजू ने एक मिसाल कायम की है।



मुस्कान समूह का हैप्पी डेज

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिये अनूपपुर जिले के बरबसपुर संकुल के मुस्कान स्व–सहायता समूह की 25 ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये सेनेटरी नेपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण जिला प्रशासन द्वारा हेल्दी लिविंग डेव्हलपमेंट सोसायटी, इंदौर के माध्यम से दिया गया। गरीब ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में किये गये इस नवाचार को व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। सेनेटरी नेपकिन बनाने का प्रशिक्षण लेने के बाद अब 12 प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा रोजाना 550 पैड सेनेटरी नेपकिन तैयार की जा रही हैं।

समूह के बनाये जा रहे सेनेटरी नेपकिन का ब्रांड नेम हेप्पी डेज रखा गया है। मुस्कान समूह को स्वास्थ्य विभाग, अनूपपुर से करीब 50 हजार रुपये के सेनेटरी नेपकिन प्रदाय का पहला आर्डर मिल चुका है। इस सफलता से समूह की महिला सदस्यों के चेहरों पर आयी मुस्कान को साफ देखा जा सकता है। समूह द्वारा तैयार सेनेटरी नेपकिन की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा गया है। अनूपपुर जिला मुख्यालय स्थित आजीविका फ्रेश की दुकानों पर इनका विक्रय भी शुरू हो गया है। नेपकिन विक्रय की संभावनाओं के आधार पर इसे बड़े पैमाने पर तैयार किये जाने की योजना है।

महक उठा जीवन अगरबत्ती से

सीधी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है बैगा जनजाति बहुल गाँव–गाँधीग्राम। मात्र ढ़ाई–तीन साल में लोगों के जीवन–स्तर में सुखद बदलाव देखना है तो गाँधीग्राम जाइये।

इस ग्राम और आसपास के गाँव– कोल्हूबीह, हसवा, बहेरटा, तेजवा, दरिया, कुडिन, गुरियरा, नेबुहा, अधियारी खोह, सतपहरी, पदखुरी, बिसमीटोला आदि की 2500 महिलाएँ पिछले तीन साल से अगरबत्ती उद्योग से जुड़कर घर की मुख्य कमाऊ सदस्य बन चुकी हैं। इनकी अगरबत्ती सीधी, रीवा, मैहर, सतना, जबलपुर, सिंगरौली और ब्यौहारी के बाजार में अपनी पैठ बनाने के साथ ही राष्ट्रीय बाजार में जगह बनाने के प्रयास कर रही हैं। कोलकाता के लिये अनुबंध मिल चुका है तो शिलांग तक इनकी अगरबत्ती पहुँच चुकी है। माँ चामुण्डा नाम से यह अगरबत्ती उत्तरी–पूर्वी भारत में अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रही है। अगरबत्ती से एक महिला को 150 से 200 रुपये रोजाना की आमदनी हो रही है।

अभी सब कुछ जितना सुनहरा दिख रहा है, गाँधीग्राम क्षेत्र में, तीन साल पहले हालात बिलकुल उलटे थे। बैगा, कोल, गोंड, साकेत आदि आदिवासी मात्र लकड़ी काटने–बेचने तक ही थे। महिला–पुरुष जंगल जाते, पेड़ों को काटते, सूखी लकड़ी बीनते–बेचते और पेट भरने लायक आमदनी से ही संतुष्ट हो जाते। न ठीक से तन ढँकता, साफ–सफाई, बच्चों की शिक्षा की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं, जंगलों को नुकसान पहुँचाते सो अलग। ऐसे में वन विभाग ने इनकी आमदनी बढ़ाने का बीड़ा उठाया। वर्ष 2012 में गाँधीग्राम में अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया। शुरू में इक्का–दुक्का को छोड़ ग्रामीणों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। वन विभाग ने घरों में ही कच्चा मसाला पहुँचाया, बनाना सिखाया, बिक्री कर आमदनी हाथ पर रखी, तो ग्रामीण महिलाओं का हौसला बढ़ा। शुरू में स्व–सहायता समूह द्वारा 450 महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 20 महिलाओं को मास्टर–ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इन मास्टर–ट्रेनर ने गाँधीग्राम और आसपास के गाँव के 60 स्व–सहायता समूहों की 600 महिलाओं को प्रशिक्षित किया। गाँधीग्राम प्रशिक्षण केन्द्र में केवल 50 महिला ही काम कर रही हैं। बाकी अपने–अपने घरों में ही अपनी सुविधा से अगरबत्ती बनाती हैं। एक माह में लगभग 12–15 क्विंटल अगरबत्ती बन रही हैं।

वन विभाग द्वारा जंगल से आदिवासियों का ध्यान हटाने और जीवन–स्तर में सुधार की कुछ और गतिविधियाँ भी यहाँ संचालित हैं। इनमें बेम्बू ज्वेलरी, फटे कपड़ों से रस्सी, बाँस से कोयले के ब्रिकेट और आइस्क्रीम स्टिक, सीसल रेशे से हस्तशिल्प, महुआ के व्यंजन तथा अचार बनाना और मधुमक्खी पालकर शहद निकालना आदि हैं। पिछले साल भोपाल के प्र–संस्करण केन्द्र में करीब 10 क्विंटल शहद भेजा गया। अगरबत्ती काड़ी बनाने के लिये विभाग ने बाँस खरीदी केन्द्र बनाया है, जिसमें स्थानीय किसान खुद ही बाँस बेच जाते हैं। अगरबत्ती निर्माण में लगने वाली मशीनें भी उपलब्ध करवा रखी हैं। इन मशीनों द्वारा बाँसों की कटाई, साइजिंग से प्राप्त वेस्ट मेटेरियल भी अगरबत्ती बनाने में काम आ जाता है।

गाँधीग्राम में अगरबत्ती बनाती हुई महिलाओं की खिलखिलाहट, बातचीत में झलकता आत्म–विश्वास बताता है कि वे आत्म–तुष्टि से भरपूर जीवन जी रही हैं। वे न केवल अच्छा खा और पहन रही हैं, बल्कि बच्चे को भी स्कूल भेज रही हैं।

हमने जाना

- महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों या हिंसा को दो श्रेणियों में बाँटकर देखा जा सकता है। एक ओर तो ऐसे अत्याचार हैं जो कुप्रथाओं के नाम पर समाज में लम्बे समय से प्रचलित हैं। दूसरी ओर ऐसे अत्याचार हैं जो स्त्री होने के कारण उन्हें हिंसा के रूप में सहने पड़ते हैं।
- महिलओं के विरूद्ध कुप्रथाओं में प्रमुख रूप से बाल विवाह, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, डायन अथवा टोनही प्रथा, तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ आती हैं।
- स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा के रूप में लिंग आधारित भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा या सम्मान के लिये हत्या (ऑनर किलिंग) प्रमुख हैं।
- इन कुप्रथाओं और हिंसा के परिणाम स्वरूप देश के विकास में आधी आवादी का योगदान नहीं हो पा रहा है। समाज में शोषण और अत्याचार है। साथ ही स्त्री–पुरुष अनुपात में गिरावट आने से अनेक सामाजिक बुराईयाँ पनप रही हैं।
- महिलाओं की स्थिति में पलक झपकते ही परिवर्तन कर देना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। स्थितियों को संवेदनशीलतापूर्वक देखने से तथा सरकार, समाज, स्वयं सेवी संगठनों की साझा प्रयासों से परिवर्तन की राह खोजी जा सकती है।
- महिलाओं को हिंसा से बचाने तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से प्रोत्साहन देने के लिये अनेक संगठन, संस्थाएँ कार्यरत हैं। कई विधिक प्रावधान भी हैं पर वास्तविक बदलाव तभी संभव है। जब हम पुरुषवादी और दमनकारी सोच से ऊपर उठकर शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के लिए प्रयत्नशील हों। लैंगिक भेदभाव की समाप्ति हो और सभी को उसकी प्रतिभा और क्षमता के आधार पर राष्ट्र के विकास में योगदान करने का पूर्ण और पर्याप्त अवसर मिल सके।

कठिन शब्दों के अर्थ

- **टोनही** : सामाजिक कुप्रथा जिसमें किसी स्त्री को अपशगुनी मानकर उससे हिंसक अमानवीय व्यवहार करना।
- **देवदासी** : ऐसी स्त्रियाँ होती हैं जो आजीवन अविवाहित रहकर मंदिर में सेवा कार्य
- **ऑनर किलिंग** : बेटे या बेटी के अपने से नीची या ऊँची जाति में बिना अनुमति के विवाह करने पर या प्रेम सम्बन्ध रखने पर उनकी हत्या कर देना।
- **सती प्रथा** : ऐसी सामाजिक कुप्रथा जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नि भी अपना जीवन समाप्त कर लेती है।

अभ्यास के प्रश्न

- महिलाओं को अपने जीवन में किस–किस प्रकार की हिंसाओं का सामना करना पड़ता है? संक्षिप्त विवरण दें।
- भारत में लिंगानुपात की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करें।
- समाज में स्त्रियों की संख्या कम होने के दुष्प्रभावों की चर्चा करें।
- सम्मान के लिए हत्या (आनर किलिंग) से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं?
- क्या आप सहमत हैं कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से उनके विरूद्ध होने वाली हिंसा को रोका जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दें।
- 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का मनोवैज्ञानिक आधार पुरुष अहंकारवादी सोच है।' विश्लेषण कीजिए।

आओ करके देखें

- अपने आस–पास हिंसा की शिकार महिलाओं पर एक रिपोर्ट तैयार करें।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय का गठन किया गया है। इसकी अनेक शाखाएँ हैं। वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक अनेक संस्थायें एवं संगठन, महिलाओं के मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। इनके द्वारा प्रकाशित, प्रसारित सामग्री से अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। स्त्री–विमर्श के रूप में यह बौद्धिक वर्ग में विचार–विनिमय का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इससे सम्बन्धित अनेक पुस्तकें, लेख इत्यादि प्रकाशित होते रहते हैं। रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रम भी महिला सशक्तिकरण विषयक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन सभी से महिलाओं के सशक्तिकरण के सम्बन्ध में सूचना, समाचार, संचार और प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है।

■■■

11.5 : महिला सुरक्षा तथा विधिक प्रावधान (Protection of Women and Legal Provisions)

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- वर्तमान संदर्भों में महिला सुरक्षा की आवश्यकता और महत्व क्या है।
- महिलाओं की सुरक्षा और उनके विकास के लिए कौन–कौन संस्थाएं कार्यरत हैं और उनके दायित्व और कार्य क्या हैं?
- महिलाओं की सुरक्षा के लिये कौन–कौन से कानून बनाये गये हैं तथा उनके प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
- अपनी सुरक्षा के लिये महिलाएं कानून की सहायता किस प्रकार ले सकती हैं?

11.5.1 : महिला सुरक्षा हेतु विविध निकाय (Various Institutions for Protection of Women)

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में स्त्रियों के हित में अनेक संस्थागत तथा वैधानिक प्रयास किए गए। स्त्रियों को विकास का समान अवसर प्रदान करने हेतु अनेक शासकीय संगठनों व कानूनों का निर्माण किया गया। इस अध्याय में हम स्त्रियों के सर्वांगीण विकास तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुप्रथायें समाप्त करने हेतु निर्मित प्रमुख संस्थाओं तथा कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना था। 30 जनवरी 2006 से इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है।

महिला तथा बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में यह मंत्रालय योजना, नीतियां तथा कार्यक्रमों का निर्माण करता है। कानून को लागू करता है। कानूनों में आवश्यकतानुसार सुधार लाता है। महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों को दिशा–निर्देश देता है व उनके बीच तालमेल स्थापित करता है। इसके अलावा अपनी नोडल भूमिका निभाकर यह मंत्रालय महिला तथा बच्चों के लिए कुछ अनोखे कार्यक्रम चलाता है। ये कार्यक्रम कल्याण व सहायक सेवाओं, रोजगार के लिए प्रशिक्षण व आय सृजन एवं लैंगिक

समानता को बढ़ावा देते हैं। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा व ग्रामीण विकास इत्यादि के अन्य क्षेत्रों में भी सहयोगी कार्यक्रमों की भूमिका निभाते हैं। ये सभी प्रयास इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं कि महिला को आर्थिक व सामाजिक दोनों रूप से सशक्त बनाया जाए और इस प्रकार उन्हें पुरुषों के साथ राष्ट्र विकास में बराबर का भागीदार बनाया जाये।

संगठन

इस मंत्रालय के क्रिया–कलाप निम्नांकित संगठनों के माध्यम से सम्पन्न किये जाते हैं–

- राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान (NIPCCD)
- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
- राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (NCPCR)
- केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (CSWB)

राष्ट्रीय महिला आयोग : भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है।

- **अधिकार तथा कर्तव्य** : महिला आयोग संविधान तथा कानून में संदर्भित सुरक्षा उपायों की जांच और परीक्षा करती है। साथ ही उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार से सिफारिश करती है। साथ ही महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करती है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह देना तथा उसमें की गई प्रगति का मूल्यांकन करना इनके प्रमुख कार्यो में शामिल है।

  महिला आयोग के दायित्वों में कारागार, रिमाण्ड गृहों (जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है) आदि का निरीक्षण करना तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की मांग करना शामिल है। आयोग को संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं की रक्षा से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग गठन का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व कर उनके मुद्दों के लिए आवाज प्रदान करना है। अब तक आयोग ने बड़ी मजबूती से महिलाओं के शोषण के विरूद्ध आवाज उठायी है। आयोग

ने महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली–गलौज के प्रति भी गंभीरता से संज्ञान लिया है। बलात्कार पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

राष्ट्रीय महिला कोष : महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फण्ड या राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च, 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबों और बैंकिंग क्षेत्र के बीच के अन्तराल को कम करना है। स्वयं–सहायता समूहों के माध्यम से सहायता प्रदान कर महिलाओं के लिए आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में इस कोष की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

उद्देश्य : इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना।
2. संपत्ति निर्माण के लिए लघु–ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना।

11.5.2 : भारतीय प्रशासन में महिला पुलिस तथा महिला थाना

भारतीय पुलिस में महिलाओं को भी नियुक्त होने तथा पदोन्नत होने का समान अवसर प्राप्त है। तथापि अनेक सामाजिक विषमताओं के कारण महिला पुलिस की संख्या में आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाई है।

- **महिला पुलिस** : भारत की पुलिस में राज्य स्तर पर पहली महिला की नियुक्ति वर्ष 1933 में और आईपीएस स्तर पर 1972 में हुई थी। परन्तु अनेक कारणों से आज भी महिलाएं पुलिस सेवा में आने से कतराती हैं। देश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या काफी कम है। 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 17,22,786 पुलिस कर्मियों में से महिला पुलिस कर्मियों की संख्या मात्र 1,05,325 यानि केवल 6.11 फीसदी है।

- **महिला थाना**: केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2009 में सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में महिला थाना खोलने की सिफारिश की गई। वर्तमान में देश में लगभग 550 महिला थाने कार्यरत हैं।

  उद्देश्य : महिला थाना की परिकल्पना एक ऐसे सुरक्षित स्थल के रूप में की जाती है जहाँ स्त्रियाँ अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में खुलकर बता सकें। साधारणतया पुरुष अधिकारियों के समक्ष संकोचवश पीड़ित महिला अपनी बात नहीं कह पाती है। थाने में नियुक्त महिला अधिकारी तथा पुलिसकर्मियों से भी यह उम्मीद की जाती है कि वह पीड़ित महिलाओं की बात संवेदनशीलता के साथ सुनेंगी और तत्परता से उसके निराकरण की दिशा में प्रयास करेंगी।

11.5.3 : महिलाओं के हित में निर्मित प्रमुख विधिक प्रावधान (Various Legal Provisions for Women)

हम इकाई के इस भाग में बाल विवाह, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या आदि से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे –

- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006** : भारतीय कानून में इस कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान निर्मित हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति का विवाह निर्धारित आयु से पहले हो जाता है, तो उसे कानूनन शून्य घोषित किया जा सक़ता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उपहारों की वापसी, पुनर्विवाह तक भरण–पोषण, ऐसे विवाह से जन्मे बच्चों की अभिरक्षा का निर्धारण, तथा अनैतिक प्रयोजनों के लिये दुर्भावनापूर्वक किये गये विवाह हेतु प्रावधान हैं। जिसमें अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने पर दण्ड स्वरूप 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपये तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

कौन दंडित होगा

1. 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है।
2. कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है।
3. कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मलित होता है।

दण्ड : उपरोक्त स्थितियों में शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। किसी महिला को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता है।

बाल विवाह प्रतिषेध (रोकने वाला) अधिकारी

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी को बाल विवाह रोकने वाला अधिकारी घोषित किया गया है। बाल विवाह की सूचना अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पुलिस थाने में, महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, कोटवार आदि को दी जा सकती है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 : दहेज प्रथा के सामाजिक दुष्परिणामों को नियमित नियंत्रित और समाप्त करने के उद्देश्य से 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में दहेज के अंतर्गत लेन–देन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

- यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना प्रेरित करेगा वह 5 वर्ष तक के कारावास अथवा 15 हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। यदि दहेज की रकम 15 हजार रुपये से अधिक है तो जुर्माने की राशि दहेज की रकम के बराबर हो सकेगी।
- कोई व्यक्ति यथास्थिति वधु या वर के माता पिता या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह छः माह से 2 वर्ष तक के कारावास और 10 हजार रू. तक के जुर्माने से दंण्डित किया जा सकेगा।
- दहेज देने या लेने के लिए किया गया करार गैर कानूनी और शून्य होगा।

दहेज प्रतिषेध (रोकने वाला) अधिकारी : दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सलाह देने एवं प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए दहेज प्रतिषेध सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

कहाँ शिकायत करें

पीड़ित पक्ष स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा सकता है। कानूनी जानकारी तथा प्रक्रिया के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है।

दहेज हत्या तथा अन्य विधिक प्रावधान :

- जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु जलने से या शारीरिक चोटों से अथवा विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होती है और यह पाया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उसके पति ने या पति के किसी नातेदार ने दहेज संबंधी मांग के लिए या उसके संबंध में महिला के साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जायेगा और पति या नातेदार को उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जायेगा।

- दहेज मृत्यु के लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा से दंडित किया जा सकता है।

अन्य विधिक प्रावधान

- यदि किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार उस स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, तो वह तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा। यहां क्रूरता का मतलब है–
    - जानबूझ कर किया गया ऐसा अपराध जो स्त्री को आत्महत्या के लिए प्रेरित करे या जिससे उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर क्षति या खतरा होने की सभांवना हो, या
    - किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना जिससे उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सपंत्ति या मूल्यावान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाये या किसी स्त्री को इसलिए तंग करना क्योकि उसका कोई नातेदार ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहा है।

लिंग चयन का निषेध अधिनियम, 1994 व PC and PNDT Act : Pre-Natal Diagnostic Technige 2003 : इसका पूरा नाम 'पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम' 1994 (पीसीपीएनडीटी एक्ट) है। यह भारत में लिंग आधारित भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस एक्ट से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले पति–पत्नी, डॉक्टर व लैबकर्मी को **तीन से पांच वर्षों की सजा और दस से बीस हजार रुपये जुर्माने** का प्रावधान है।

प्रमुख विशेषताएं–

1. इस अधिनियम ने सभी परीक्षण प्रयोगशालाओं के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया है तथा अल्ट्रासाउंड के उपकरणों के निर्माता को अपने उपकरणों को पंजीकृत प्रयोगशालाओं को बेचने के निर्देश दिए हैं।

2. इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी मशीनों और उपकरणों के पंजीकृत निर्माताओं को संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के उपयुक्त प्राधिकारियों को तीन महीने में एक बार अपने उपकरणों के क्रेताओं की सूची देनी होगी और ऐसे व्यक्ति या संगठनो से हलफनामा लेना होगा कि वह इन उपकरणों का इस्तेमाल भ्रूण के लिंग चयन के लिए नहीं करेंगे।

इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कृत्य –

- लिंग चयन या लिंग का पूर्व–निर्धारण की सेवा देने वाले विज्ञापनों का प्रकाशन।
- **गर्भाधान**–पूर्व या जन्म–पूर्व परीक्षण तकनीकों वाले क्लीनिकों का पंजीकृत नहीं होना या क्लिनिक या संस्थान के भीतर सबको दिखाई देने वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रदर्शित नहीं करना।
- अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण करना।
- गर्भवती को लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए मजबूर करना।
- लिंग चयन की प्रक्रिया में सहयोग या सुविधा प्रदान करना।
- चिकित्सक द्वारा गर्भवती या अन्य व्यक्ति को अजन्मे बच्चे के लिंग के बारे में किसी भी तरह सूचित करना।
- पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत क्लीनिकों द्वारा अभिलेखों को भली–भांति सहेज कर नहीं रखना।

दण्ड –

- .यदि किसी विज्ञापन में लिंग चयन के लिए किसी प्रकार की सूचना प्रकाशित की जाती है।
- यदि कोई चिकित्साकर्मी अजन्मे बच्चे के लिंग की जानकारी देता है।
- यदि कोई व्यक्ति अपने अजन्मे बच्चे के लिंग का चयन कराता है या किसी महिला को लिंग चयन करवाने के लिए मजबूर करता है।

  तो उसे 3 साल तक की सजा और 10000/– रू. का जुर्माना हो सकता है।

शिकायत कहां की जा सकती है :–

- शिकायत और सहायता के लिए 1090 हेल्पलाईन पर फोन किया जा सकता है।
- राज्य, जिला, उप जिला शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उपयुक्त प्राधिकारी से लिखित में शिकायत की जा सकती है।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005
(Protection from Domestic Violence Against Women Act 2005)

घरेलू हिंसा निरोधक कानून 2005 को 2006 में लागू किया गया। इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा, दोषी के खिलाफ कार्रवाई तथा पीड़िता को राहत देने का विवरण है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा : अधिनियम की धारा 2 (छ) एवं 3 के अनुसार शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना, ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं। महिला बाल विकास विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस मामले में संरक्षक अधिकारी का दर्जा दिया गया हैं

कब दर्ज हो सकती है शिकायत –

- यदि महिला के साथ मार–पीट हो। (इस दायरे में सभी रिश्तेदार आते है।)
- उसे घर में नहीं रहने दिया जाए, खर्च के लिए पैसे न दिए जाएँ।
- उसके जेवर और पैसे छीन लिये जाएँ।
- चिकित्सकीय सुविधा से वंचित हो, सम्पत्ति पर अधिकार से वंचित कर दिया जाए।
- उसे या उसके मायके वालों को ताना या धमकी दी जाए।
- उसे संतान या पुत्र न होने पर ताना दिया जाता हो।

यह सिविल एक्ट है यानि यह दिवानी कानून है, इसके अंतर्गत दोषी के लिए सजा का प्रावधान नहीं है लेकिन पीड़िता को राहत अवश्य मुहैया कराया गया है।

राहतः इस अधिनियम के तहत पीड़िता यदि अलग रहना चाहे तो उसके आवास की व्यवस्था पति करेगा, इसके अतिरिक्त पीड़िता और उसके साथ रह रहे बच्चों के गुजारे का इंतजाम भी पति की जिम्मेदारी होगी।

यौन हिंसा : बलात्कार छेड़छाड़

भारतीय कानून में यौन हिंसा के तहत बलात्कार, छेड़छाड़ आदि के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस अपराध के लिए निम्नलिखत दंड की व्यवस्था की गई है–

- धारा 376— कम से कम सात साल की जेल, या फिर उम्र कैद और जुर्माना भी हो सकता है।
- सरंक्षण में बलात्कार होने पर धारा 376(2)— अगर कोई महिला किसी संस्थान, संस्था, पुलिस या अस्पताल आदि के संरक्षण में है और यदि यहां उसके साथ बलात्कार किया जाता है तो यह संरक्षण में बलात्कार कहलाएगा। इस अपराध मे कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माना किया जायेगा।
- बलात्कार के कारण मौत या अक्षम होनाः धाारा 376—क—के अनुसार कम से कम 20 साल से लेकर उम्र कैद की सजा।
- अलगाव की स्थिति में पति द्वारा बलात्कारः धारा 376—ख— यदि पत्नी अपने पति से अलग रहती हो और उस स्थिति में उसकी बिना सहमति के पति अगर ऐसा कोई भी कार्य करता है, तो धारा 375 में बताया गया है कि उसे 2—7 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है।
- प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वाराः धारा 376—घ— यदि किसी महिला के साथ एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का आरोपी माना जायेगा और कम से कम 20 साल की सजा या उम्र कैद और जुर्माना किया जायेगा।
- अपराध को दोहराने की सजाः धारा 376—ङ— धारा 376, धारा—376—क या धारा 376घ, के तहत इन्हीं अपराधों के दोहराए जाने पर उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है।

शील भंग : दण्ड संहिता की धारा 354 के अनुसार किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग व गरिमा को ठेस पहुँचाना है। इस अपराध के लिए कम से कम 1 वर्ष या 5 वर्ष तक की सजा व जुर्माना भी या दोनों हो सकता है। दंड संहिता धारा 354 के पश्चात् अन्य धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

1997 में निर्मित यह अधिनियम विशाखा केस में दिये गये लगभग सभी दिशा—निर्देशों को धारण करता है। शिकायत समितियों को सबूत जुटाने के लिए सिविल कोर्ट वाली शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपये से अधिक अर्थदंड भरना पड़ेगा, ये अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर—संगठित क्षेत्रों जैसे ठेके के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक या घरों में काम करने वाली नौकरानियाँ/कामवाली आदि को भी शामिल करता है। इस प्रकार, यह अधिनियम कार्यशील महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खतरे का मुकाबला करने के लिये कारगर अस्त्र है।

हमने जाना

- स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में महिलाओं के सर्वांगींण विकास हेतु अनेक संस्थागत एवं वैधानिक प्रयास किये गये हैं।
- इन प्रयासों की श्रृंखला में केन्द्र और राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। बाद में इसे मंत्रालय का भी दर्जा प्रदान किया गया।
- महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रमुख उद्देश्य महिला और बच्चों के समग्र विकास को बढावा देना है।
- महिलाओं के संवैधानिक हितों की रक्षा और कानूनी सुरक्षा के उपाय लागू करने के लिये सन् 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। महिलाओं से संबंधित मामलों की जाँच करने के लिये इसे सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।
- महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गयी है। यह महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के अलावा अन्य कई प्रकार से उनके आर्थिक हितों का संरक्षण करता है।
- महिलाओं की समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता से सुना जा सके और उसका निराकरण किया जा सके। इस उद्देश्य से महिला पुलिस और महिला थानो की स्थापना की गयी है। अनेक कारणों से इनकी संख्या आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त नहीं है।
- बाल विवाह, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा इत्यादि से बचाव के लिए अनेक कानूनी प्रावधान बनाये गये हैं। जिनको तोड़ने पर आर्थिक जुर्माना, कारावास की सजा या दोनों दिये जा सकते हैं।
- भ्रूण हत्या रोकने के लिये पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम में बनाया गया है। इसके प्रावधानो का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कारावास दोनो दिये जा सकते हैं।

कठिन शब्दों के अर्थ

- **दहेज – स्त्री को पिता पक्ष से विवाह के समय दिये जाने वाला धन और वस्तुएँ।**
- **बाल विवाह – स्त्री पुरूष का निर्धारित आयु से पूर्व कम आयु में ही विवाह।**
- **लिंग चयन – भ्रूण अवस्था में माता के गर्भ में लिंग का पता लगाना।**
- **घरेलू हिंसा – घर के अन्दर महिलाओं से अमानवीय व्यवहार करना।**

अभ्यास के प्रश्न

1. राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय महिला कोष का संक्षिप्त विवरण दें।
2. आपकी दृष्टि में महिला पुलिस तथा महिला थानों की संख्या में कमी के प्रमुख क्या कारण हैं?
3. बाल विवाह क्या है? यदि किसी व्यक्ति की बचपन में शादी हो जाए तो क्या वह इस शादी से मुक्त हो सकता है?
4. पीसीपीएनडीटी एक्ट किस अपराध से संबंधित कानून है? इसके विविध प्रावधान क्या हैं?
5. विभिन्न परिस्थितियों में किए गए बलात्कारों के हेतु दण्ड विधान की चर्चा करें।
6. घरेलू हिंसा की स्थितियों को समाप्त करने की दृष्टि से अपने सुझाव दीजिये।
7. दहेज लेना और देना दोनों अपराध की कोटि में आते हैं। इसे हतोत्साहित करने के लिये आप क्या सुझाव देंगे।

आओ करके देखें

- समाचार पत्रों से स्त्री उत्पीड़न के विरूद्ध न्यायालयों के दस फैसलों का विवरण एकत्र करें तथा उस पर अपनी टिप्पणी लिखें।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय का गठन किया गया है। इसकी अनेक शाखाएँ हैं। वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक अनेक संस्थायें एवं संगठन, महिलाओं के मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। इनके द्वारा प्रकाशित, प्रसारित सामग्री से अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। स्त्री–विमर्श के रूप में यह बौद्धिक वर्ग में विचार–विनिमय का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इससे सम्बन्धित अनेक पुस्तकें, लेख इत्यादि प्रकाशित होते रहते हैं। रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रम भी महिला सशक्तिकरण विषयक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन सभी से महिलाओं के सशक्तिकरण के सम्बन्ध में सूचना, समाचार, संचार और प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है।

■■■

परिशिष्ट–एक

महिला सशक्तिकरण हेतु कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Schemes of Women Empowerment)

इस परिशिष्ट में महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिये सरकार द्वार संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने तथा मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न क्षेत्रो में अवसरों के साथ–साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा व्यवसाय से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

1. **जननी एक्सप्रेस योजना** : जननी एक्सप्रेस योजना गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु चिकित्सालय ले जाने के लिये वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कॉल सेन्टर आधारित जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है। जिले के कॉल सेन्टर पर कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिये वाहन उपलब्ध कराने के लिये सूचित कर सकता है। काल सेन्टर पर सूचना मिलने पर संबंधित गर्भवती महिला के निवास की जानकारी ली जाती है। तत्काल वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। **उद्देश्य**– तत्काल **परिवहन** सुविधा मिलने से आकस्मिकता की स्थिति में महिला की जान बचाई जा सकती है। **क्रियान्वयन**– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग कार्यकर्ता। **पात्रता**– समस्त गर्भवती महिलाए। **सम्पर्क**– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ कार्यकर्ता एवं टोल फ्री नम्बर **108**
2. **जननी सुरक्षा योजना**: जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव कराने पर शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली महिला को 1000 रूपये और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली महिला को 1400 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। **उद्देश्य** : सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना। **क्रियान्वयन**– स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग। **पात्रता**– समस्त गर्भवती महिलाऐं प्रसव पश्चात् इस योजना के अंतर्गत लाभ की पात्रता रखती है। **सम्पर्क**– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ कार्यकर्ता।
3. **जननी शिशु सुरक्षा योजना** : समस्त गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को (जन्म से 30 दिवस तक) आवश्यक पैथालॉजी जांचें, रक्त व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, भोजन इत्यादि निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। **उद्देश्यः** निशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। **क्रियान्वयन** : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। **पात्रता** : समस्त गर्भवती महिलायें एवं नवजात शिशु। **सम्पर्कः** स्थानीय चिकित्सालय के अधिकारी/कर्मचारी।
4. **लाडली लक्ष्मी योजना** : बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच , लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में 01 अप्रैल, 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई। **आवेदन की प्रक्रियाः** जिनके माता–पिता म.प्र. के मूल निवासी हों। आयकरदाता न हों। द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवदेन करने से पूर्व

माता–पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हों। आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय में आवेदन किया जा सकेगा। **लाभ** : बालिका के नाम से शासन की ओर से रुपये 1,18,000 का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। योजनान्तर्गत बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षो तक रूपये 6–6 हजार म.प्र. लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जायेंगे। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रू. 2000/– कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर रू. 4000/– कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर रू. 6000/– तथा 12 वीं में प्रवेश लेने पर रू. 6000/– ई–पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा। अंतिम भुगतान रू. 100000/– बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर कक्षा 12 वी परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान किया जावेगा, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

5. **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना**– अनुसूचित जाति की ऐसी कन्यायें जो कक्षा– 6, 9, एवं 11 में प्रवेश लेती है उनको प्रवेश लेने पर क्रमशः रूपये 500/–, 1000/–एवं 2000/– प्रतिवर्ष की दर से राशि दी जाती है। यह राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है। **उद्देश्यः** अनुसूचित जाति की कन्याओं को निरंतर शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक रूप से प्रोत्साहन करना। **पात्रताः** शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शासकीय सस्था में कक्षा 6, 9, एवं 11 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति की ऐसी छात्राएं जो नियमित रूप से अध्ययन करती है। कक्षा 9 में अध्ययनरत् ऐसी छात्रायें जिन्हें निशुल्क साइकिल प्रदाय का लाभ की पात्रता है उन्हें प्रोत्साहन राशि प्राप्त नही होती है। **स्वीकृति की प्रकियाः** शाला में अध्ययन करने वाली छात्राओं को अपने आवेदन पत्र सस्था प्रमुख को देना होता है। आवेदन पत्र के साथ अंकसूची, टी.सी. एवं निर्धारित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। आयकरदाता अभिभावक की पुत्री को इस योजना की पात्रता नहीं है। **स्वीकृति के अधिकारः** संबंधित जिला संयोजक/सहायक आयुक्त को स्वीकृति के अधिकार प्राप्त हैं। **सम्पर्कः** सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, मण्डल संयोजक एवं संबंधित शाला के प्राचार्य/प्रधान पाठक।

6. **निःशुल्क गणवेश (अध्ययन सामग्री) प्रदाय योजनाः** मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाओं की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रति वर्ष सर्वशिक्षा अभियान एन.पी.ईजी.ई.एल. योजना के अंतर्गत राजीव गांधी मिशन द्वारा गणवेश प्रदाय योजना में विकासखण्डों मे शासकीय शालाओं में दर्ज कक्षा 1 से 8 तक अध्यनरत् अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा की जाती है। **पात्रताः** सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत ए.पी.ई.जी.ई.एल. योजनान्तर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा गणवेश प्रदाय योजना से शेष रहे विकासखण्डों की अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश दी जाती है, जिसमें समस्त शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं शिक्षा गारंटी शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक दर्ज समस्त अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकायें सम्मिलित हैं। **गणवेश क्रय एवं वितरण के अधिकारः** पालक शिक्षक संघ को होगा। पालक शिक्षक संघ को इस हेतु दी जाने वाली राशि के उपयोग के संबंध में संबंधित

शाला के सचिव जिम्मेदार होंगे **सामग्री क्रय की प्रक्रिया** : पालक शिक्षक संघ 90 रूपये प्रति गणवेश के मान से प्रदाय की गई राशि में स्थानीय स्तर पर अपने संसाधनों से और अधिक राशि मिलाना चाहे तो 90 रूप्ये के अतिरिक्त राशि मिलाकर गणवेश क्रय कर सकेगे। **संपर्क**– सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी/ संस्था प्रमुख।

7. **निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजनाः** इस योजना में अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन के उद्देश्य से कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत् पात्र बालिकाओं की निःशुल्क सायकिल प्रदान की जाती है। **पात्रताः** कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण करने बाद कक्षा 9 वीं में प्रवेश करने वाली पात्र अनुसूचित जाति वर्ग की ऐसी बालिकाओं को, जो स्वयं के ग्राम में शासकीय शाला न होने की स्थिति में अन्य ग्राम की शासकीय शाला में प्रवेश लेंगी, निःशुल्क सायकिल प्राप्त की पात्र समझी जातीं हैं। एक बालिका को एक ही बार सायकिल की पात्रता होगीं। **योजना का क्रियान्वयनः** पात्र अनुसूचित जाति बालिकाओं के लिये जाति प्रमाण पत्र आधार माना जायेगा, संबधित शाला के प्राचार्यो द्वारा प्रवेश लेने वाले समस्त अनुसूचित जाति बालिकाओं के नाम एवं संख्या जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण/सहायक कल्याण/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रेषित की जायेगी, सायकिल का क्रय जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। सायकिल का वितरण विकासखण्ड मुख्यालय पर पालक शिक्षक संघ के सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा। सायकिल देने के बाद यदि कोई बालिका शाला बीच में छोड़ देती है तो प्रदाय की गई सायकिल वापस ले ली जायेगी। **संपर्क**– सहायक आयुक्त/जिला संयोजक , आदिम जाति कल्याण संबंधित शाला के प्राचार्य।

8. **गांव की बेटी योजनाः** इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना में छात्रा को प्रतिमाह 500 रू.की दर से शैक्षणिक सत्र के लिये 5000 रुपये सालाना की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। **पात्रता**– मध्यप्रदेश के प्रत्येक गाँव से प्रतिवर्ष 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जायेगा। चयनित बालिकाओं में से जिसने उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो। यह योजना समस्त शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के लिये लागू होगी। नवोदय विद्यालय से 12 वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। **संपर्क**– संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।

9. **प्रतिभा किरण योजनाः** इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। **योजना का स्वरूप**– इस योजना में चयनित छात्रा को परम्परगत उपाधि पाठ्यक्रम हेतु 500 रू प्रतिमाह (10 माह तक) तथा तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु 750 रू प्रतिमाह (10 माह तक) दिये जाते हैं। **पात्रता**– गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा जिन्होंने

शहर की पाठशाला से 12 वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो। छात्रा ने जिस सत्र में कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसी सत्र में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेना जरूरी है। **संपर्क**– संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।

10. **सबला योजना** : किशोरी बालिकाओं को स्वस्थ एवं स्वावलंबी बनाना। **योजना का स्वरूपः** समस्त 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार का वितरण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तथा स्वावलंबी बनाने हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाता है। **पात्रता**– 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं। **संपर्कः** एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता /पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी।

11. **मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना** : इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवार की विवाह/निकाह योग्य कन्या, विधवा परित्यक्ता महिलाओं के सामूहिक विवाह हेतु गृहस्थी की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता पहुँचाना है। उसमें कन्या/विधवा/परित्यक्त महिलाओं के गृहस्थी की स्थापना हेतु राशि 13000 रुपये एवं प्रायोजक को सामूहिक आयोजन की प्रतिपूर्ति हेतु राशि 2000 रू की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। **पात्रता** : म.प्र. के मूल निवासी हो। आवदेक की आयु 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या /विधवा/परित्यक्ता महिला हो तथा गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित निर्धन परिवार की हो। **आर्थिक सहायता कैसे प्राप्त करे** : निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत एव शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के कार्यालयों में आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा किये जा सकते हैं। **सम्पर्कः** विस्तृत जानकारी हेतु जिले के संयुक्त संचालक/उपसंचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय म.प्र. से सम्पर्क किया जा सकता है।

12. **सौभाग्यवती योजनाः** अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार की कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। **योजना का स्वरूप**– इस योजना में अनुसूचित जाति के ऐसे माता–पिता/अभिभावकों की विवाहयोग्य कन्या की शादी हेतु रूपये 5000/–की राशि उपलब्ध कराई जाती है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है। **पात्रता**–कन्या के माता–पिता को मध्यप्रदेश का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है। कन्या की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये। एक ही परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं के विवाह हेतु राशि स्वीकृत करने का प्रावधान होगा। अनुसूचित जाति की परित्यक्ता एवं विधवा महिला भी योजना का लाभ ले सकती हैं। **आवेदन की प्रक्रिया**– पात्र कन्या के विवाह हेतु इच्छुक माता–पिता/अभिभावक को लिखित आवेदन पत्र कलेक्टर अथवा विभाग के जिला संयोजक/सहायक आयुक्त/मंडल संयोजक को प्रस्तुत करना होगा, साथ ही जाति प्रमाण –पत्र, गरीबी रेखा के नीचे सूची में सरपंच द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र, आवेदन पत्र मे कन्या विवाह की निश्चित तिथि, वर का नाम, पूर्ण पता एवं व्यवसाय का उल्लेख करना आवश्यक है। कन्या विवाह के लिये स्वीकृत राशि कन्या की

शादी की तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कन्या के अभिभावकों को बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी। राशि के **सदुपयोग का दायित्व**– शासन की ओर से इस स्वीकृत राशि के पूर्ण सदुपयोग का दायित्व हितग्राही पर रहेगा। उससे शासन की अपेक्षा है कि स्वीकृत राशि का उपयोग कन्या विवाह के लिये ही होगा। स्वीकृत राशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों में करने पर पूर्ण राशि की वसूली की जावेगी । **संपर्क**– जिला कलेक्टर, जिला संयोजक, सहायक आयुक्त, मंडल संयोजक।

13. **विवाह सहायता योजना**: योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो पुत्रियों तक अथवा स्वयं महिला पंजीकृत श्रमिक के विवाह हेतु सहायता प्रदान करना। **योजना का स्वरूप**–योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो पुत्रियों तक अथवा स्वयं महिला पंजीकृत श्रमिक के विवाह हेतु 10,000 रू प्रति विवाह सहायता एवं सामुहिक विवाह के आयोजन की दशा में हितग्राही को 9,000 रू तथा सामुहिक विवाह के आयोजक को 1,000 रू प्रति विवाह राशि दी जाती है। **पात्रता**–पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो पुत्रियों तक अथवा स्वयं महिला पंजीकृत श्रमिक होना। **आवेदन की प्रक्रिया**: आवेदक विवाह की प्रस्तावित तिथि से एक दिन पूर्व तक आवेदन कर सकता है। आवदेन–पत्र में हस्ताक्षर एवं फोटो आवेदिका महिला श्रमिक के स्वयं अथवा निर्माण श्रमिक की पुत्री का भी होना चाहिए। निर्माण श्रमिक (पिता/माता) के मात्र हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी होंगे । ग्रामीण क्षेत्रों अंतर्गत, जनपद पंचायत को तथा शहरी क्षेत्र में श्रम कार्यालय/नगर पालिका नगर निगम कार्यालय में समयावधि के अंदर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। **संपर्क**: पात्रता की जॉच उपरांत, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्रकरण को स्वीकृत कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों के लिये स्वीकृति के अधिकार सहायक श्रमायुक्त तथा श्रम पदाधिकारी को है। अन्य नगरीय क्षेत्रों में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त,नगर निगम स्वीकृति हेतु सक्षम होंगे ।

14. **विधवा सहायता योजना**: इस योजना में पुरूष श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। **पात्रता**: इस योजना के अंतर्गत लाभ हेतु आवश्यक है कि मृत्यु से पूर्व श्रमिक का एक वर्ष से निरन्तर सस्थान /स्थापना में कार्यरत् रहा होना चाहिए तथा उसकी विधवा को अन्य कहीं से पेंशन प्राप्त नहीं हो तथा विधवा ने पुनः विवाह न किया हो। आवेदिका को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीवित होने का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। **आवेदन**: आवेदन मृत्यु दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य होगा।

15. **बिटिया शिक्षा प्रोत्साहन योजना**: इस योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों की कक्षा 1 से 8 तक शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को स्वेटर प्रदान किये जाते है।

16. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना**: इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका का मध्य प्रदेश की मूल निवासी, आयु 40–49 वर्ष होने के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिये। इस योजना में 200 रूपये की पेंशन राशि

प्रतिमाह दी जाती है। राशि का भुगतान हितग्राहियों द्वारा बैंक/पोस्ट ऑफिस में खोले गये खातों के माध्यम से किया जाता है। **संपर्क**– ग्राम पचांयत, जनपद पंचायत, स्थानीय नगरीय निकाय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिले के संयुक्त संचालक/उपसचांलक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय म.प्र. से संपर्क किया जा सकता है।

17. **शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम योजना (यूडब्ल्यूएसपी) (ऋण व अनुदान)**: इस कार्यक्रम में प्रत्येक समूह में कम से कम पांच महिलाओं के एक समूह को अधिकतम 3 लाख रूपये का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान और 60 प्रतिशत ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है तथा 5 प्रतिशत सीमान्त राशि (मार्जिन मनी) हितग्राही द्वारा स्वयं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

18. **शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम योजना (यूडब्ल्यूएसपी) (आवर्ती निधि)**– इस कार्यक्रम में छोटी–छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने और शहरी गरीब महिलाओं में बचत की आदत डालने के लिये बचत एवं साख समूहों का गठन करने का प्रावधान है। समूह द्वारा एक वर्ष तक नियमित बचत करने पर उन्हें सरकार की ओर से उस समूह को 2000 रूपये प्रति सदस्य के मान से अधिकतम 25000 रू. आवर्ती निधि उपलब्ध कराई जाती है।

19. **शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना**: इस योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध कामकाजी महिलाओं को कौशल उन्नयन हेतु स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। **योजना का स्वरूप**– इस योजना में घरेलू कामकाजी महिलाओं को प्रदेश में आई.टीआई. के माध्यम से प्रशिक्षण के दौरान 2000 रुपये एकमुश्त राशि प्रदान की जाती हैं इसके अतिरिक्त पंजीबद्ध साईकिल रिक्शा/हाथ ठेला चालक के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर 2000 रूपये अंतिम संस्कार हेतु तथा प्रसूती सहायता के अन्तर्गत निर्धारित कलेक्टर दर पर 6 सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। **पात्रता**: शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार जिनके नाम शहरी गरीबी की सर्वे सूची में शामिल किये गये है। **सम्पर्क**– जिला शहरी विकास अभिकरण अथवा जिले की नगर निगम/नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत।

20. **उषा किरण योजना**: यह योजना घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं जिसमें शारीरिक, मानसिक, लैंगिक आर्थिक, मौखिक और भावनात्मक आदि प्रकार की हिंसा शामिल है को संरक्षण एवं सहायता का अधिकार उपलब्ध कराती है। इस अधिनियम एवं नियम में किये गये प्रावधानों के अंतर्गत पीड़िता को सेवायें उपलब्ध कराने के लिये विभाग द्वारा उषा किरण योजना संचालित है। **योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली सहायताएं**– योजना अंतर्गत पीड़ित को निम्नलिखित सहायता प्राप्त होगी– (1) अस्थयी आश्रय, (2) कानूनी सहायता, (3) चिकित्सा सुविधा, (4) पुलिस सहायता, (5) 24 घंटे हेल्प लाइन, (6) आर्थिक सहायता, विपणन व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, पुनर्वास, (7) आवश्यक प्रशिक्षण, (8)

सूचना बैंक। **संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति**– किसी महिला के उसके परिवार में घरेलू हिंसा से पीड़ित होने पर उसे इस कानून के तहत सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तथा पीड़ित को संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उसके क्षेत्र के लिए संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिन क्षेत्रों में बाल विकास परियोजना स्वीकृत नहीं है उन क्षेत्रों में जिला कार्यक्रम अधिकारी संरक्षण अधिकारी होंगे। **महिला हेल्प लाइन**– महिला हेल्प लाइन अंतर्गत टोल फ्री नम्बर **1090** समस्त जिलास्तरीय (पुलिस) परिवार परामर्श केन्द्रों में स्थापित की गई है।

21. **महिला वसति गृह योजनाः** कामकाजी महिलाओं के लिए महिला वसति गृह अपने घरों से दूर रहने वाली, कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्यसे केन्द्र शासन द्वारा संचालित है, जिसके निर्माण के लिये कुल लागत का 75 प्रतिशत के मान से सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
22. **अल्पकालीन आवास गृह संचालन की योजनाः** अल्पकालीन आवास गृह योजना में मूलतः अनैतिक सम्बन्धों से उत्पन्न तनावों अथवा भावनात्मक अशांति से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण तथा पुनर्वास के साथ–साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। केन्द्र शासन की इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत आर्थिक रूप से सक्षम, साधन संपन्न तथा अनुभवी संस्थाओं को आवर्ती एवं अनावर्ती मद में सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
23. **स्वाधार योजनाः** इसके तहत कठिन परिस्थितियों में जीवन–यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, कपड़े और अन्य आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए उनके पुनर्वास का प्रयत्न किया जाता है। इस योजना में निराश्रित विधवाये, जेल से छूटी हुई महिला कैदी, प्राकृतिक विपदाओं से निराश्रित हुई महिलाएं, हिंसा से पीड़ित महिलाएं तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त आदि कठिन परिस्थितियों में जीवन–यापन करने वाली महिलाएं आश्रय पाती है। इस योजना में जमीन के लिए, भवन निर्माण के लिए, केन्द्र की व्यवस्था के लिए, परामर्श सेवाओं के लिए पुनर्वास हेतु आर्थिक गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए और हेल्पलाइन सुविधा के लिए राशि दिये जाने का प्रावधान है।
24. **उज्जवला योजनाः** केन्द्र सहायता प्राप्त इस योजना में तस्करी की शिकार महिलाओं एवं उनके बच्चों के बचाव एंव पुर्नवास का प्रयत्न किया जाता है। उक्त योजना के अंतर्गत पांच चरण निर्धारित किए गए हैं– 1. रोकथाम, 2. बचाव, 3. पुनर्स्थापना, 4. पुनर्नाम, 5. पुनर्गार्डियनशिप। इन पांच गतिविधियों के कार्य हेतु अलग–अलग मापदण्ड का निर्धारण किया गया है। तदनुसार गतिविधि के संचालन करने वाले एन.जी.ओ. को नियमानुसार अनुदान प्रदान किया जाता है।
25. **मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरणयोजनाः** इस योजना के तहत विपत्तिग्रस्त, पीड़ित, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक उन्नयन हेतु स्थाई प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि रोजगार प्राप्त किया जा सके। इस योजना से निम्नलिखित महिलाएं लाभान्वित हो सकतीं हैं– बलात्कार से पीड़ित महिला बालिका। दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाऐं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो।

ऐसिड हमले की पीड़िता। जेल से रिहा महिलाएं। दहेज प्रताड़ित अग्नि पीड़ित महिलाऐं। **पात्रता**— आवेदिका व उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त न हों। सामान्य महिला की उम्र 45 वर्ष से कम हो। विधवा, परित्यक्यता, तलाकशुदा, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग की महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष प्रशिक्षण के **विषय**— **1.** फार्मेसी, 2. नर्सिंग, 3. ब्यूटीशियन, 4. आई.टी.आई. पॉलीटेक्निक पाठयक्रम, 5. प्रयोगशाला सहायक आदि चयन प्रक्रिया— महिला द्वारा आवेदन जिला महिला सशक्तिरण अधिकारी के कार्यालय में डाक या स्वय उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार गठित चयन समिति 15 दिवस के अंदर चयन की कार्यवाही करेगी— कलेक्टर या नामित अधिकारी अध्यक्ष पलिस अधीक्षक सदस्य, प्राचार्य, पॉलीटेक्निक आई.टी.आई.— सदस्य , महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार —सदस्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिविल सर्जन —सदस्य जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी —सचिव सदस्य।

26. **शौर्या दल** : शौर्या दल का गठन प्रत्येक ग्राम/वार्ड में किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दल में 10 सदस्य होंगे। जिसमें महिला समूहों से पांच जागरूक महिलाएं होगी। ग्राम के ही पांच जागरूक, संवेदनशील तथा जनसमुदाय में स्वीकार्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे। शौर्या दल का गठन किसी अधिनियम अंतर्गत न होने के कारण इसकी भूमिका विभाग के लिए अनुशंसात्मक तथा स्थानीय समाज के लिए प्रेरक के रूप में होती है। **उद्देश्यः** महिला/बालिका संबंधी मुद्दों को परिभाषित कर जनसामान्य को जनजागरूक बनाने के तरीकों को बताना। महिला/बालिका हिंसा संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता से जनसमुदायिक सहभागिता से निराकृत करना। जन—सामान्य को महिलाओ/बालिकाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी देना एवं पात्रता अनुसार लाभ दिलाना। महिलाओ/बालिकाओं से संबंधित अधिकारों को चिन्हांकित करना। शिशु लिंगानुपात के अंतर को कम करना। महिलाओ/बालिकाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा को पहचनना व गांव को हिंसामुक्त बनाना। महिलाओ/बालिकाओं का सामाजिक—आर्थिक सशक्तिकरण करना। महिला हिंसा मुक्त ग्राम बनाना। विभिन्न कानूनों, महिला अधिकारो, शासकीय योजनाओं को ग्रामीणों के विकास में उपयोग करना। ग्रामवासियो मे विश्वास स्थापित करना। शौर्या दल सरलता व सहानुभुति से समस्या सुनेगा व निर्णय लेगा। विभिन्न लोगों से पारस्परिक संबंध स्थापित कर प्रभावी वार्तालाप समस्या निराकरण करना। क्षेत्रीय समस्याओं को समझकर व उनका समाधान करना। महिलाओं को घरेलू हिंसा व उनके अधिकारों के विषय में जागरूक करना एवं सहयोग करना (महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों जैसे घरेलू हिंसा, बलात्कार, जमीन से बेदखली, संपत्ति का अधिकार न देना आदि पर चर्चा कर उसके प्रभावी निराकरण करना। बालिकाओं को घर में भोजन में भेदभाव, मजदूरी कराना, स्कूल न भेजना के कारणों को पता कर उनका निराकरण करना। बाल विवाह, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, लड़के—लडकियों में भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों से जन—सामान्य को जागरूक करना व रणनीति तैयार करना। स्कूलों की पढ़ाई की गुणवत्ता, आंगनवाडी केंद्रों पर पोषण आहार का वितरण, मिड—डे

मील, लाड़ली लक्ष्मी योजना, शासकीय भवनों का निर्माण का अवलोकन, टीकाकरण आदि पर निगरानी करना। शासन के प्रभावी एवं सूचना प्रणाली तंत्र को विकसित करना। **महत्व** : सामुदायिक विकास के लिए स्वयंसेवा के भाव से इस दल का गठन किया गया है। आज की स्थिति में कई मुद्दे समुदाय द्वारा आपसी बातचीत व शौर्या दलों की समझाइश द्वारा सुलझाये जा रहे हैं। शौर्या दल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण व समानता के लिए समुदाय में जागरुकता बढ़ी है। शौर्या दल द्वारा समुदाय के सदस्यों में एकता, भाईचारे व एकजुटता की भावना जागृत हुई है। शौर्य दलों द्वारा घरेलू हिंसा, बालविवाह, मानव तस्करी जैसे अपराधों को रोका गया है। शौर्या दल क्षेत्र में शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। समुदाय के विकास व हिंसा मुक्त ग्राम के स्वप्न को पूरा करने के लिये शौर्या दल प्रशासन व समुदाय के मध्य मजबूत कड़ी है।

विभिन्न अधिनियमों तथा सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओ के उत्थान के लिए अत्यधिक प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि कोई भी योजना अथवा कानून तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक समाज की प्रत्यक्ष भागीदारी न हो। इसके लिए सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर समाज के उन प्रबुद्ध सम्मानित तथा प्रभावशाली लोगों के साथ संवाद करना होगा जिनकी बात समाज में मानी जाती है। सरल भाषा में जिनका कहा टाला नहीं जाता। जिस मानसिकता का निर्माण कई सदी में हुआ हो उसे बदलने के लिए जादू की छड़ी नहीं बनायी जा सकती। परंतु यह भी सत्य है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

■■■

परिशिष्ट–दो

स्वयंसिद्धा

इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक काल खण्ड में भारतीय नारियों ने अपने ज्ञान, विवेक, परिश्रम, और समर्पण से अपनी छाप छोड़ी है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो नारियों ने उस पर अपनी सफलता की मोहर लगायी है। इस विशेष परिशिष्ट में हम कुछ विशेष नारियों का परिचयात्मक आलेख दे रहे हैं। यह सूची अन्तिम नहीं है ऐसी अनेक विभूतियाँ है जिनके योगदान को भारत वर्ष भुला नहीं सकेगा किन्तु सीमाओं में सभी को स्थान देना और उनके योगदान के अनुरूप महत्व सम्भव नहीं है। विद्यार्थी इसे नारी गौरव की चयनित गाथाओं के रूप में लेंगे और अपने अध्ययन से इस जानकारी को और समृद्ध करेंगे ऐसा विश्वास है।

रजिया सुल्तान : 1205 ईस्वी में जन्मी तुर्की मूल की रजिया सुल्तान का वास्तविक नाम जलाल–उद–दीन रजिया है। यह इल्तुतमिश की पुत्री थीं। यह तुर्की तथा मुसलमान इतिहास की पहली शासिका हैं। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनकी बेवा शाह तुर्रान का शासन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। सल्तनत संभालने के बाद वह पर्दा त्यागकर पुरूषों के समान चोगा तथा कुलाह (टोपी) पहनती थी। युद्ध में भी वह बेनकाब ही सम्मिलित हुईं। वह एक कुशल शासिका थीं परंतु उनके भाई ने याकूत–उद–दीन नामक गुलाम के साथ प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर विद्रोह कर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया।



चित्र : रजिया सुल्तान

मीरा बाई: पंद्रहवीं शताब्दी की यह महान संत कवियित्री मध्ययुगीन भारत के स्त्री प्रतिरोध की प्रतीक भी मानी जाती हैं। इनकी जन्म तिथि को लेकर मतैक्य नहीं है परंतु 15वीं शताब्दी पर सहमति अवश्य है। यह शास्त्र से लेकर भास्त्र तक सभी विद्याओं निपुण थीं। विवाहोपरांत कृष्ण प्रेम में पति गृह त्याग दिया। मुगलकालीन भारत की रूढ़ परम्पराओं के कारण उन पर कई अत्याचार किए गए। हत्या की चेष्टा की गई। परंतु वह अपने पथ से विचलित नहीं हुई। आगे चलकर उन्होंने संत रैदास को अपना गुरू बनाया। उनके जीवन की अनेक घटनाएं तात्कालीन सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से क्रांतिकारी मानी जाती हैं। इनकी रचनाओं में स्त्री जीवन की पीड़ा तथा विद्रोह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।



चित्र : मीरा बाई

गुलबदन बेगम (1523–1603): गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री तथा हुमायुं की बहन थी। बादशाह अकबर के आदेश पर सन् 1576 में गुलबदन बेगम ने हुमायुँनामा की रचना की। इस पुस्तक में तत्कालीन समय के भारत की आर्थिक तथा सामाजिक दशा का महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। यह पुस्तक मूल रूप से फारसी में लिखी गई है।



चित्र : गुलबदन बेगम



चित्र : चांद बीबी

चांद बीबी: (1550–1590): यह बहादुर भारतीय मुस्लिम योद्धा चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जानी जाती हैं। इन्होंने अहमदनगर(1580–1590) तथा बीजापुर (1596–1599) की संरक्षिका के तौर पर शासन किया। अहमदपुर की रक्षा में वह अकबर की विशाल सेना से भिड़ गयीं थी। वह अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी तथा कन्नड़ सहित अनेक भाषाओं की ज्ञाता थीं। उन्हें सितार बजाना तथा फूलों का चित्र बनाना बहुत पसंद था।

माहम अनगा: यह अकबर की दूध माता (अनगा) थी। यह अकबर के हरम की प्रमुख थीं जो अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण कटु राजनीतिज्ञ बनकर उभरीं। बैरमखान तथा अकबर के मध्य वैमनस्य उत्पन्न करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपने चातुर्य और कौशल के दम पर 1560 –1562 में अकबर के मंत्रिमंडल में शामिल रहीं। इनका दबदबा हरम की चौहद्दी से निकलकर प्रमुख राजनीतिक फैसलों पर काबिज हो गया था।



चित्र : माहम अनगा



चित्र : नूरजहाँ

नूरजहाँ (मेहरून्निसा): यह मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम थीं। शाहजहां ने धोखे से उसके पति शेर अफगान को मरवाकर उनसे निकाह किया था। जहांगीर के अस्वस्थ होने के बाद सल्तनत की बागडोर एक प्रकार से नूरजहां के हाथ में आ गई। 1622 से लेकर 1627 तक मुगल सल्तनत में नूरजहां का दबदबा रहा। उनके नाम से सिक्के भी जारी किये गये।



चित्र जहां आरा बेगम

जहां आरा बेगमः यह शाहजहां और नूरजहां की बड़ी पुत्री थीं। इनका जन्म 1614 में हुआ था। यह चौदह वर्ष की आयु से राज–काज में पिता का हाथ बटाने लगीं। वह फारसी में गद्य और पद्य की ज्ञाता थीं। इन्होंने भाइयों के मध्य उत्तराधिकार की लड़ाई को टालने की चेष्टा की परंतु असफल रहीं। इनकी सहानुभूति दारा शिकोह के पक्ष में थीं।



चित्र : रौशन आरा बेगम

रौशन आरा बेगमः यह शाहजहां और नूरजहां की छोटी पुत्री थीं। इनका जन्म 1617 में हुआ था। शाहजहां के पुत्रों में जिस वक्त उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था, रौशन आरा औरंगजेब के पक्ष में खड़ी थीं। उसके सत्ता पर काबिज होते ही रौश्न आरा बेगम ताकतवर होती चली गईं। इन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 'बैतुल इस्लाम नामक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की। मुगल इतिहास में रौशन आरा वह कड़ी हैं जिन्होंने सत्ता संघर्ष की बाजी पलटकर रख दी।



चित्र : जैबुन्निसा बेगम

जैबुन्निसा बेगमः यह बादशाह औरगंजेब की पुत्री थीं। कृष्ण भक्त जेबुन्निसा अत्यंत विदुशी स्त्री थीं। उन्होंने दिल्ली में अनेक पुस्तकालयों की स्थापना करवाई।



चित्र : रानी दुर्गावती

रानी दुर्गावतीः (1524–1564) यह कालिंजर के राजा कीर्तिसिंह चंदेल की एक मात्र संतान थीं। वह संग्राम भाह के पुत्र दलपत शाह की पत्नी थीं। विवाह के सिफ चार वर्ष बाद दलपत शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र वीर नारायण सिंह को सिंहासन पर बैठाकर वह संरक्षक के रूप में शासन करने लगीं। उन्होंने अपने शासन काल में अनेक मंदिर, पाठशाला , धर्मशाला आदि का निर्माण करवाया। उनके राज्य पर मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया तथा हर बार वह पराजित हुआ। 1564 में इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खान के साथ युद्ध के दौरान वह चारो तरफ से दुश्मनों से घिर गईं। उन्होंने अपने वजीर आधार सिंह से कहा कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दे। परंतु आधारसिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सीने में स्वयं कटार भोंक ली। जीते जी दुश्मन उनकी परछाई तक भी नहीं पहुंच सका।

महारानी अहिल्या बाई होलकर(1725–1795): यह प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थीं। इनका कार्यक्षेत्र सीमित था। इन्हें अपने जीवन में सामान्य स्त्री की भांति उन सभी दुखों का सामना करना पड़ा जो तात्कालीन समाज में आम बात समझी जाती थी। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत–भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर, घाट, कुआं, बावड़ी आदि का निर्माण करवाया। अनेक मार्गों पर सुधार कार्य के साथ–साथ नए मार्ग बनवाए गए। गरीबों के लिए अन्नक्षेत्र तथा प्याऊ खोले गए। वह जीवनपर्यंत जनता के अत्यंत लोकप्रिय एवं स्नेह की पात्र बनीं रहीं



अहिल्या बाई होलकर

रानी चेनम्मा: (1778–1829): यह कर्नाटक में स्थित कित्तूर की रानी थीं। अपनी साहस और वीरता के कारण यह प्रसिद्ध हुईं। इन्होंने 1824 में अंग्रेजों की हड़प नीति **ड्राक्ट्रिन आफ लैप्स** के विरूद्ध सशस्त्र संघर्ष किया तथा वीरगति को प्राप्त हुईं।



बेगम हजरत महल

बेगम हजरत महल: (1820–1879): यह वाजिद अली शाह की बेगम थीं, जिनकी मृत्यु के बाद इन्होंने अपने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को गद्दी पर बिठाकर स्वयं अंगेजों से लोहा लिया। यह सैन्य नेतृत्व संगठन क्षमता तथा बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी सेना में अनेक बहादुर स्त्रियां थीं।

उदा देवी पासी: इनके जन्म तिथि का विवरण उपलब्ध नहीं है। यह दलित पासी समुदाय से सम्बंधित महिला नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्या थीं। 1867 के विद्रोह के समय 200 सैनिकों के साथ अंग्रेजों द्वारा सिकंदर बाग में घेरकर के उनका संहार कर दिया गया। इस लड़ाई में उदा देवी पेड़ पर चढ़ कर दुश्मन के हमले का जवाब देने लगी तथा तब तक अंग्रेजों को सिकंदर बाग में प्रवेश नहीं करने दिया जब तक उनका गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया।



चित्र : उदा देवी पासी



चित्र : लक्ष्मीबाई

लक्ष्मीबाई:(1835–1858) मराठा शासित झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई ने मात्र 23 वर्ष की आयु में अंग्रजों की सेना से युद्ध किया तथा रणक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुईं तथा अपने जीते–जी झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं होने दिया। इनके दल में अनेक प्रक्षिक्षित स्त्री योद्धा थीं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिये।



चित्र : झलकारी बाई

झलकारी बाई(1830–1857): यह लक्ष्मी बाई की नियमित सेना महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल मानी जाती थीं। इसलिए शत्रुओं को धोखा देने के लिए लक्ष्मीबाई के वेश में युद्ध करतीं थीं। अंतिम समय में अंग्रेजों ने उन्हें रानी समझकर पकड़ लिया जबकि महारानी लक्ष्मी बाई को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया।



चित्र : अवंतीबाई

अवंतीबाई:(1831–1858) अवन्तिबाई का विवाह रामगढ़ रियासत के राजकुमार विक्रम जीत सिंह के साथ हुआ। सन् 1850 में राजकुमार विक्रमजीत सिंह गद्दी पर बैठे। परंतु कुछ समय बाद ही वे अर्धविक्षिप्त हो गए, उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी छोटे थे, अतः राज्य का सारा भार रानी अवन्तिबाई के कन्धों पर आ गया। परंतु अंग्रेजों ने 13 सितम्बर 1851 ई० में 'कोर्ट ऑफ वार्डस' के तहत उनकी रियासत पर कब्जा कर लिया। सन 57 के विद्रोह में अवन्ती बाई ने ना केवल विद्रोहियों का साथ दिया बल्कि अपने क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व भी किया। अपनी रियासत रामगढ़ को अंग्रेजों से मुक्त करने के पश्चात उन्होने मंडला पर भी विजय हासिल की। रानी अवन्तिबाई ने दिसम्बर 1857 से फरवरी 1858 तक गढ़ मण्डला पर शासन किया। बौखलाए अंग्रेजों ने मौका पाते ही 1858 के अन्त में रामगढ़ पर दुबारा हमला कर दिया। रानी किला छोड़ देवगढ़ के जंगल में जा छुपी और अपने साथियों के सहयोग से छापामार युद्ध का संचालन करने लगी। अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई। उन्होने भारी संख्या में जंगल को घेर लिया। शत्रुओं से घिर जाने के बाद उन्होने अपनी पूर्वज रानी दुर्गावती का अनुसरण करते हुए, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने से श्रेयष्कर अपना आत्म बलिदान समझा और स्वयं अपनी तलवार अपने पेट में घोप कर शहीद हो गई।



चित्र : अजीजन बाई

अजीजन बाई: यह एक तवायफ थीं जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ गुप्तचरी का काम करती थीं। उन्होंने 400 महिलाओं की एक टोली बनायी जो मर्दाना वेश में रहती थीं तथा अंग्रेजो विरूद्ध कार्य करतीं थीं। ऐतिहासिक विवरणों से ज्ञात होता है कि कानपुर में नाना साहब, अजुमुल्ला खां, बाला साहब, सूबेदार टीका सिंह आदि के साथ अजीजन बाई भी बैठक में शामिल थीं। बिठूर पराजय के बाद नाना साहब तथा तात्या टोपे पलायन कर गए परंतु अजीजन पकड़ी गई और उन्हें गोली से उड़ा दिया गया।



चित्र : सावित्री बाई फूले

सावित्री बाई फूलेः (1831–1897) यह भारत की महान समाज सुधारक तथा मराठी कवियित्री थीं। यह देश के प्रथम कन्या विद्यालय तथा किसान विद्यालय की प्रधानाध्यापिका थीं। वह जीवनपर्यंत सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध लड़तीं रहीं। वह स्कूल जाती थीं तो लोग उन पर पत्थर, कूड़ा तथा गंदगी फेंकते थे। वह अपने झोले में साड़ी लेकर चलती थीं तथा विद्यालय पहुंचकर वस्त्र बदल लेतीं थीं।

रानी कमलापतिः भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भोपाल से 55 किलोमीटर दूर चकला गिन्नौर में 750 ग्राम सम्मिलित थे। उस समय यहां गोंड़ राजा निजाम शाह का राज्य था, जिनकी सात रानियां थीं, जिनमें कृपाराम गौड़ की पुत्री कमलापति भी थी, जो अति सुन्दर थीं, रानी जितनी सुन्दर थी उतनी ही वीर और बुध्दिमान भी। निजाम शाह के परिवार का भतीजा चौनशाह का बाड़ी पर राज्य था, उसे अपने चाचा से ईर्ष्या थी। उसने अपने चाचा की हत्या करने के लिए कई प्रयास किये थे। चौनशाह ने धोखे से निजाम शाह को विष दे दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चौनशाह के षड़यंत्रों से बचने के लिये विधवा कमलापति और उसका एकमात्र पुत्र नवलशाह गिन्नौरगढ़ के किले में छुपे हुए थे, यह किला गौड़ राजाओं के समय में ही बना था जो चारों ओर से घने वनों से ढंका हुआ था। पति की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने दोस्त मुहम्मद खान को राखी भेजकर भाई बना लिया तथा उसके सहयोग से अपने पति की हत्या का बदला चौनशाह से लिया।



नवाब कुदसिया बेगम

नवाब कुदसिया बेगम (गौहर बेगम): यह भोपाल की प्रथम महिला शासिका तथा 8वीं नवाब थीं। इन्होंने भोपाल रियासत .पर 1819 से लेकर 1837 तक राज किया। वह कुशल शासिका थीं। इन्होंने अपने शासन काल में अनेक आकर्षक ईमारतो तथा बावड़ियों का निर्माण करवाया। इनके द्वारा निर्मित गौहर महल आज भी भोपाल की शान है।



चित्र : सिकंदरजहाँ बेगम

सिकंदरजहाँ बेगमः कुदसिया बेगम के पश्चात उनकी पुत्री सिकंदर जहां अगली नवाब बनीं। इन्होंने 21 वर्षों तक भोपाल पर शासन किया। यह भोपाल के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। 1848 से 1868 तक शासन करने वाली सिकंदर जहां बेगम की उपलब्धियों में जामा मस्जिद फिर से खुलवाना माना जाता है जिसे अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद भोपाल में अंग्रेजों द्वारा दोहरी शासन पद्धति अपनायी गई। इसमें वास्तविक सत्ता का अधिकार उनके मामा फौजदार मोहम्मद के हाथ में दे दिया गया। बेगम सिंकंदर जहां ने इस शासन पद्धति का विरोध किया और रियासत की बागडोर पुनः हासिल कर लीं।



नवाब शाहजहाँ बेगम

नवाब शाहजहाँ बेगमः नवाब सिकंदर जहां बेगम के बाद उनकी पुत्री शाहजहां बेगम नवाब बनीं। इन्होंने 1868–1901 तक भोपाल पर शासन किया। इनके शासनकाल में फौज, अदालत, पुलिस, वित्त एवं राजस्व विभाग अलग अलग कर दिए गए। ताजपोशी के तुरंत बाद इन्होंने राज्य भर का दौरा किया तथा अनेक सुधारकार्य करवाये। इनके शासन काल में तांबे के सिक्कों के स्थान पर चांदी का सिक्का प्रचलन में आया। इस प्रगतिशाली शासिका ने भोपाल में कई मस्जिदों और और आलीशान महलों का निर्माण करवाया। इनके शासन काल में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद का निर्माण प्रारंभ हुआ, परंतु धन की कमी के कारण इसे बाद मे पूरा किया गया।

नवाब सुलतानजहाँ बेगम : यह नवाब शाहजहां बेगम की पुत्री थी तथा 4 जुलाई 1901 में इनकी ताजपोशी हुई। शिक्षा के प्रचार प्रसार में इनका अत्यधिक झुकाव था। उन्होंने कई किताबें भी लिखीं जिनमें तुजके सुल्तानी, गौहर इकबाल, अख्तर इकबाल, हयाते कुदसी, हयाते शाहजहांनी, खुतवाते सुल्तानी, तजकराबाकी, हयाते सिकन्दरी, फलसफाये अखलाक, बागे अजब, हिदायते तीमारदारी एवं उमरे खानदानी आदि शामिल हैं। नवाब सुल्तान जहां बेगम द्वारा सदर मंजिल, बाग फरहत अफजा, जियाउद्दीन टेकरी पर अहमदाबाद पैलेस (कसरे सुल्तानी) आदि का निर्माण कराया गया। शाहजहांनाबाद और अहमदाबाद के बीच जनरल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, 1913 ई. में हमीदिया लाइब्रेरी, पुराने किले के पास चार बंगले तथा लार्ड मिन्टो के नाम पर मिंटो हाल तथा लाल पत्थरों की एडवर्ड म्यूजियम नामक इमारत बनवाई। इसके अलावा इनके दौर में कारखाने, पंचायतें और तहसीलें बनायी गई। मालगुजारी खत्म करके रईयतवारी का निजाम कायम किया गया।



नवाब सुलतानजहाँ बेगम

सरोजनी नायडूः (1879–1849): इनका जन्म हैदराबाद में हुआ। सरोजनी नायडू बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थीं। उन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी। यह कवियित्री भी थीं। तीन पुस्तकों के प्रकाशन के उपरांत सुप्रसिद्ध कवियित्री बन गईं। गांधीजी के विचारों से प्रभावित सरोजनी नायडू गांव–गांव घूमकर देश प्रेम का अलख जगाती थीं। 1964 में उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया।



चित्र : सरोजनी नायडू

दुर्गा भाभी (1902–1999) : क्रांतिकारियों को समय–समय पर सहयोग उपलब्ध करवाने वाली दुर्गा भाभी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी थीं। 1930 में पति के शहीद होने के उपरांत भी दुर्गा भाभी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहीं। 1930 में इन्होंने गवर्नर हैली पर गोली चला दी जिसमें गवर्नर बच गया और उसका सहयोगी घायल हो गया। इस घटना के बाद वह प्रमुख क्रांतिकारियों की जमात में शामिल हो गयीं। दिसम्बर 1928 में भगत सिंह ने दुर्गा भाभी के साथ ही वेश बदलकर यात्रा किया। चंद्रशेखर आजाद ने जिस पिस्तौल से गोली मारी थी वह पिस्तौल दुर्गा भाभी द्वारा ही उपलब्ध करवायी गई थी।


चित्र : दुर्गा भाभी

21 सदी की स्वयंसिद्धाएँ :–

किरण मजूमदार शॉ : किरण मजूमदार–शॉ भारतीय महिला व्यवसायी, टेक्नोक्रेट, अन्वेषक और बायोकॉन की संस्थापक है, जो भारत के बंगलौर में एक अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है। वे बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा सिनजीन इंटरनेशनल लिमिटेड और क्लिनिजीन इंटरनेशनल लिमिटेड की अध्यक्ष हैं। उन्होंने 1978 में बायोकॉन को शुरू कर किया और उत्पादों के अच्छी तरह से संतुलित व्यापार पोर्टफोलियो तथा मधुमेह, कैंसर–विज्ञान और आत्म–प्रतिरोध बीमारियों पर केंद्रित शोध के साथ इसे एक औद्योगिक एंजाइमों की निर्माण कंपनी से विकासित कर पूरी तरह से एकीकृत जैविक दवा कंपनी बनाया।


किरण मजूमदार शॉ

कर्णम मल्लेश्वरी: कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून,1975 को श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होने अपने करियर की शुरुआत जूनियर वेटलिफ्टिंग चौंपियनशिप से की, जहां उन्होंने नंबर एक पायदान पर कब्जा किया। 1992 के एशियन चौंपियनशिप में मल्लेश्वरी ने 3 रजत पदक जीते। वैसे तो उन्होंने विश्व चैंम्पियनशिप में 3 कांस्य पदक पर कब्जा किया है, किन्तु उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2000 के सिडनी ओलंपिक में मिली, जहां उन्होने कांस्य पर कब्जा किया और इसी पदक के साथ वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी।


चित्र : कर्णम मल्लेश्वरी

सुनीता नारायणः पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता सुनीता नारायण समाज की हरित विकास की समर्थक हैं। दशकों से वे पर्यावरण और समाज की मूलभूत समस्याओं के लिये जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। वर्ष 2001 में उन्हें इसी संस्थान का निदेशक बना दिया गया था। उन्होंने समाज के उत्थान के लिये पानी से जुडी समस्याओं, प्रकृति और वातावरण से जुड़े मुद्दों आदि पर काम किया है।



चित्र : सुनीता नारायण



चित्र : गुलाबो सपेरा

गुलाबो सपेराः कालबेलिया नृत्य राजस्थान के आदिवासी समाज कालबेलिया का पारंपरिक नृत्य है। जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालबेलिया नर्तकी गुलाबो सपेरा ने पहचान दिलाई है। कम लोगों को पता होगा कि इस कलाकार को पैदा होते ही समाज की महिलाओं ने जमीन में गाड़ दिया था। अपनी मौसी की बदौलत उन्हें नया जीवन मिला। जिस समाज की रीति–रिवाजों के कारण उन्हें पैदा होने के एक घंटे बाद जमीन में गाड़ दिया गया था उसी समाज को उन्होंने दुनिया में पहचान दिलाई है।

शिवालिका : भारत में पुरुषों की तरह अब महिलाओं में भी बॉडी बिल्डिंग का क्रेज बढ़ रहा है। कई लड़कियां अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम में घंटों एक्सरसाइज करने लगी हैं। ऐसी ही एक बॉडी बिल्डर कोलकाता की रहने वाली सिबालिका साहा हैं, जिन्हें भारत की पहली महिला बॉडी बिल्डर कहा जाता है। 35 साल की सिबालिका ने वर्ल्ड चौम्पियनशिप–2012 में हिस्सा लिया था जिसमें वह पांचवे स्थान पर रहीं। ऐसा करने वाली वह भारत की पहली वुमन बॉडी बिल्डर हैं। उन्हें इंडियन सुपरवुमन भी कहा जाता है।



चित्र : शिवालिका



चित्र : टेसी थामस

टेसी थामसः वैज्ञानिक टेसी थॉमस को 1988 से अग्नि प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम से जुड़ने के बाद से ही अग्निपुत्री टेसी थॉमस के नाम से भी जाना जाता है। उनकी अनेक उपलब्धियों में अग्नि–2, अग्नि–3 और अग्नि–4 प्रक्षेपास्त्र की मुख्य टीम का हिस्सा बनना और सफल प्रशीक्षण है।

भूरी बाईः आज से कई साल पहले जब अपने पति के साथ मजदूरी की तलाश में भील आदिवासी महिला भूरी बाई भोपाल पहुंची उस वक्त शायद वह भी नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में वह पिथोड़ चित्रकला के लिए दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगी। आज पिरोरा चित्रकला के लिए दुनिया भर में इनके नाम की धूम है। झाबुआ जिले के गांव पिटोल मोरी बावड़ी में जन्मी भूरी बाई ने अपनी कला के जरिए विशिष्ट पहचान बनाते हुए यह साबित कर दिखाया है कि कुछ कर दिखाने की तमन्ना हो, तो असंभव कुछ भी नहीं।



चित्र : भूरी बाई

इस सूची में कुछ विशिष्ट नाम उल्लेखनीय है– जैसे, **पीटी उषा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, कमला भसीन, मीरा शिवा, वंदना शिवा आदि। इन विश्वप्रसिद्ध हस्तियों के संबंध में हम सभी जानते हैं। इस कड़ी में और भी नाम जुड़ने का सिलसिला जारी है। भारतीय स्त्रियां कल्पना चावला, सुनीता विलियम विपरीत परिस्थिति में अपनी अस्मिता सिद्ध करने वाली स्वयंसिद्धाएं हैं।**

- प्रथम महिला शासिका: रजिया सुल्तान
- भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला: श्रीमती इंदिरा गांधी
- प्रथम महिला राष्ट्रपति: प्रतिभा पाटिल
- प्रथम महिला प्रधान मंत्री: इंदिरा गांधी
- प्रथम महिला राज्यपाल: सरोजनी नायडू
- प्रथम महिला मुख्यमंत्री: श्रीमती सुचेता कृपलानी
- प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री: श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष: श्रीमती ऐनी बेसेंट
- प्रथम महिला चुनाव आयुक्त: श्रीमती रमा देवी
- उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम मुख्य न्यायाधीश: न्यायधीश लीला सेठ
- सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली प्रथम महिला: न्यायाधीश एम फातिमा बीबी
- प्रथम महिला लोक सभा अध्यक्ष: श्रीमती मीरा कुमार
- संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष: श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित
- भारत की पहली महिला सांसद: राधाबाई सुबरायण
- भारत की सबसे पहली महिला चिकित्सक–पुणे की आनंदी बाई जोशी
- इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला: आरती साहा
- ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला: कर्णम मल्लेश्वरी
- एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला: बैछेंद्री पाल
- भारतीय सेना में शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला: मेजर मिताली मधुमिता
- मिस युनीवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला: रीता फारिया
- विस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला: ऐश्वर्या राय
- भारत की प्रथम बुकर प्राइज विजेता: अरूंधती राय।

- प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त महिलाः आशापूर्णा देवी
- उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिलाः प्रीती सेनगुप्ता
- प्रथम महिला आई.ए.एस अधिकारीः अन्ना जार्ज
- प्रथम महिला आई.पी.एस अधिकारीः किरण बेदी
- नोबल पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिलाः मदर टेरेसा

■■■



मध्य प्रदेश-गान

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है,
यहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है।
उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न, सम्पदा जहां अशेष है,
स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है।

चंबल की कल-कल से गुंजित कथा तान, बलिदान की,
खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की।
भीमबैठका आदिकला का पत्थर पर अभिषेक है,
अमृत कुंड अमरकंटक में, ऐसा मध्यप्रदेश है।

क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहां,
महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहां,
कविता, न्याय, वीरता, गायन, सब कुछ यहां विशेष है,
हृदय देश का है यह, मै इसका, मेरा मध्यप्रदेश है।

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

वन्दे मातरम्

सुजलां, सुफलां, मलयज-शीतलाम्॥
शस्य-श्यामलां, मातरम्। वन्दे मातरम्॥

शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित-यामिनीम्,
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्,
सुहासिनीं, सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदां, वरदां, मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

कोटि-कोटिकंठ कलकल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृतखरकरवाले।
अबला केनो मा एतो बले।
बहुबलधारिणीं, नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहु ते तुमि मां शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति
तोमारई प्रतिमा गड़ि, मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीं
कमलां कमलदलविहारिणीं
वाणी विद्यादायिनीं, नमामि त्वां, नमामि कमलाम् अमलां अतुलाम्
सुजलां सुफलां मातरम् .... श्यामलां, सरसां, सुस्मितां, भूषिताम्
धरणीं भरणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

Centre for Community Leadership Development Studies
MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
Chitrakoot, Satna (M.P.) - 485 334
Phone : 07670 - 265622, E-mail : cmcldpcourse@gmail.com
www.cmcldp.org